



मुनि मंहालाल 'शार्दूल'

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ପଦମାତ୍ରାକୀ

प्राथमिकी

एक बूद्ध दार्शनिक अधर्म-राति के समय घर से निकला और चिन्तन में डूबा हुआ एक बगीचे में पहुंच गया। बगीचे में वह एक बैंच पर बैठा ही था कि उद्यान के प्रहरी ने कड़ककर कहा—“कौन हो तुम ?”

बूद्ध ने गम्भीर होकर कहा—“मेरे समक्ष यहीं तो जटिल समस्या है। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ ? मैंने तो उस खोज में जीवन वित्ता दिया पर कोई पता नहीं लगा। तुम्हीं बता दो मैं कौन हूँ ?”

प्रबुद्ध लोग कहते हैं—यह आत्म-जिज्ञासा ही दर्शन-उत्पत्ति की मुख्य पृष्ठभूमि है। जैनागम आचाराग में, मैं कौन था, कहा से आया हूँ और यहा से च्यवन प्राप्त कर कहा जाऊगा—इस गहन मीमांसा के परिपाक में जीवन-दिशा का सही मार्ग निकलता है। और इसे ही अध्यात्म-परिभाषा में दर्शन कहा जाता है। चिरकाल से जो सत्य आवृत और अनाकलित पड़ा है, उसे उद्धाटित एवं आकलित करने का सत्प्रयत्न ही दर्शन की अभिधा धारण करता है।

जैन दर्शन एक आत्मवादी दर्शन है। उसके अभिमत में जीवन का परम प्रयोजन आत्म-मुक्ति है और उसके साधन हैं सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चारित्र।

वर्तमान युग विज्ञान के वर्चस्व का युग है। आज विज्ञान का बोल-बाला है। जैन दर्शन के तथ्य भी विज्ञान की कसीटी पर कसे जा रहे हैं और वे खरे उत्तर रहे हैं। इसलिए विचारक लोगों के मन में जैन दर्शन के प्रति बहुत आकर्षण और खिचाव बढ़ रहा है। भारत में ही नहीं, विदेशों

मेरी भी जैन दर्शन के अनुशीलन एवं अनुसधान का कार्य तीव्र गति से हो रहा है।

पर विज्ञान स्वयं प्रयोग की भूमिका पर खड़ा है। अत जो तथ्य विज्ञान-सम्मत हो, वे ही सत्य हो—यह अनुबन्ध नहीं है। विज्ञान स्वयं विकासशील है। उसके अनेक सिद्धान्त और मान्यताएं परिवर्तित हो चुकी हैं। अत 'विज्ञान' को ही प्रामाण्य की कसीटी नहीं माना जा सकता। सत्य की उपलब्धि विज्ञान की सीमा से परे भी हो सकती है। ऐसी स्थिति मेरे दर्शन की सत्य-साक्षात्कार की अहंता स्वयंसिद्ध तथ्य की भाँति स्पष्ट है। जैन दर्शन भी इसी अहंता को अपने मेरे लिये हुए है।

'जैन दर्शन के परिपाश्व मे' मेरे निबन्धों का सकलन है। इसमें जैन दर्शन के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है तथा कतिपय स्वतन्त्र विषयों पर भी ध्येयपात्र किया गया है।

प्रस्तुत संकलन मेरे इकीस निबन्ध सकलित है। निबन्ध-लेखन मेरे सत्य का काफी अतराल है। इसलिए भाषा और प्रतिपादन-शैली मेरे पार्थक्य भी सभव हो सकता है। फिर भी विषय-बोध की ध्येय से एक ऋमवद्धता और लयात्मकता बनाए रखने का प्रयत्न मैंने किया है।

युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी के नेतृत्व मेरे तेरापथ सघ ने साहित्य की विभिन्न विधाओं मेरे युगीय चेतना के अनुरूप अभिनव कदम उठाए हैं। 'जैन दर्शन के परिपाश्व मे' उसी शृखला की एक कढ़ी है। इस सकलन के अधिकांश निबन्ध साहित्य-परामर्शक मुनिश्री दुष्मनललजी के दिशा-दर्शन मेरे दिल्ली, वगली और कलकत्ता प्रवास-काल मेरे लिखे गए हैं तथा भगवान् महावीर से सबद्ध लेख पिछले वर्ष निर्वाणोत्सव के प्रसरण पर मुनिश्री दुलीचन्दजी के सान्निध्य मेरे लिखे गए थे। इस सकलन के माध्यम से जैन दर्शन की जानकारी और प्रभावना लोगों मेरे वृद्धिगत हो, इसी मगल कामना के साथ।

लाडलू

२० फरवरी, १९७६

मुनि मोहनलाल 'शार्दूल'



१० जैन दर्शन के परिपालन में

आध्यात्मिक दर्शन कहलाते हैं। प्राय पाश्चात्य दर्शन भीतिकता-प्रधान कहे जाते हैं और भारतीय दर्शन अध्यात्म-प्रधान।

वैज्ञानिक उपलब्धियो से प्रभावित हुआ आज का अधिकाश भारतीय जनमानस पाश्चात्य दर्शन की ओर अधिक आकृष्ट है। अपने मौलिक विचार-निष्कर्षों के विस्मरण और अज्ञान से ऐसा ही होता है। एक बार की घटना है—समुद्र में यात्रा करते हुए एक बड़े जहाज के कप्तान ने द्वीपवासियो से पानी के लिए सकेत किया। द्वीपवासियो ने कहा—वाल्टी उसे रिये और पानी भर लीजिये। कप्तान अपनी अवज्ञा समझ कुपित हो उठा और उसने अपने व्यक्तियो को आदेश दिया—इस द्वीप को तोपो से उड़ा दो। एक अनुभवी बूढ़ रसोइए ने नीचे का पानी खीचा और चखकर देखा तो लगा—पानी खारा नही मीठा है। उसने कप्तान को सारी बात बताई। कप्तान ने छानबीन की। मालूम पड़ा जहाज के आसपास एक देगवान मीठे जल की धारा वह रही है।

रहस्य यह है कि पाश्चात्य विद्वान्, अन्वेषक और जन-सामान्य भारतीय दर्शन के प्रति हमसे भी अधिक आकृष्ट है, पर भारतीय विद्वान् अपनी विचार-निधियो से उस कप्तान की तरह अनभिज्ञ है।

प्रतिपाद्य विषय

प्रस्तुत निबन्ध का प्रतिपाद्य विषय है—जैन दर्शन। जैन दर्शन व्यापक और उन्मुक्त दर्शन है। वह कोई व्यक्ति, जाति, वर्ग और सम्प्रदाय विशेष से बघा हुआ नही है।

जैनागम मे कहा गया है—“सेवता कोह च माण च माय च एय पासगस्स दसण”—जिसने कथाय-चतुर्ङ्क का परित्याग किया है वही पश्यक है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है और जिन है। जिनकी सारमयी एव कल्याणमयी विचारधारा है उसी का नाम ही जैन दर्शन है।

जैन दर्शन की विशेषता

जैन दर्शन ने सबसे अधिक महत्त्व आत्मा को दिया है। उत्थान-पतन की सारी नकेल जैन दर्शन के अनुसार आत्मा के हाथ में है। उसका उद्धोष है—‘अप्या कर्ता विकर्त्ताय’—अर्थात् आत्मा ही अपने सुख-दुःख की कर्ता और विकर्ता है। वह स्वयं ही अच्छे-बुरे कर्म करती है, स्वयं ही कृत कर्मों को भोगती है। स्वयं ससार में भ्रमण करती है और स्वयं ही उससे मुक्त होती है।

जैन दर्शन की यह भौलिक विशेषता है कि उसने हर व्यक्ति को परमात्मा बनने की स्वाधीनता दी है, जबकि अन्य दर्शनों ने व्यक्ति को स्वतन्त्र नहीं, ईश्वराधीन रखा है। उन्होंने कहा है—यह प्राणी अज्ञ है और अपने सुख-दुःख का स्वामी नहीं है। ईश्वर-प्रेरित ही नरक और स्वर्ग को जाता है। जैन दर्शन ने इस परायत्ता की दीवार को गिराकर स्वयं के निर्माण और विकास को पूरा अवकाश दिया है जो कि हर आत्मा को नैसर्गिक ही प्राप्त है।

आत्मवाद की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त जैन दर्शन के दो मुख्य परिणाम और भी है—अहिंसा और अपरिग्रह। वैमनस्य—सत्त्वस्त और भोगवाद से अभिश्वस्त विश्व में इनकी मनोवैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है। जैन दर्शन के अनुसार धर्म वही है, जहा अहिंसा और अपरिग्रह की पुष्टि है। धर्म के नाम पर हिंसा और शोषण करनेवालों पर इसका करारा प्रहार है।

जैन दर्शन का पक्ष

जैन दर्शन हर समस्या को त्याग और सयम से सुलझाने में विश्वास रखता है। असल में स्थायी और मनोवैज्ञानिक समाधान यही हो सकता है। सथमी और त्यागी वस्तुओं की अल्पता में भी शान्ति प्राप्त कर सकता है।

पदार्थों की अल्पता में सतुष्टि रहने वाला और हृदय को विशाल

१२ जैन दर्शन के परिपाद्वं में

रखने वाला व्यक्ति अपनी और दूसरों की समस्या को स्वयं सुलझा देता है। वह अपने द्वारा कोई समस्या पैदा नहीं होने देता। सबसे जैन दर्शन का अपना मौलिक और विशिष्ट पथ है।

साध्य और साधन

जैन दर्शन के अनुसार जीवन का साध्य सारे बन्धनों से छुटकारा पाना है। कर्मों के आचरण को हटाकर चिन्मय स्वरूप को प्राप्त करना है। इस साध्य को उपलब्ध करने का साधन भी मनुष्य को अपने ही जीवन से मिलता है। बाचक मुख्य उभास्वाति के शब्दों में वह 'सम्यग् ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष' है। सम्यग् ज्ञान और सम्यक् क्रिया ही सारे ज्ञानों का निराकरण कर सकते हैं। जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ते हैं, आदमी दो पैरों से चलता है और रेल दो पटरियों पर चलती है, वैसे ही जीवन-उत्थान की ये दो प्रक्रियाएँ हैं।

सक्षेप में जैन-दर्शन आत्मवादी है, वह परिणामी नित्यत्व को स्वीकार करता है। सिद्धान्त-प्ररूपण-पद्धति में वह अनेकान्त को माध्यम बनाता है। वह आत्मकल्याण को सर्वोच्च ध्येय मानता है। उसके लिए विविध साधनाओं का उपदेश करता है तथा आचरण को प्रधानता देता है। इस प्रकार वह समर्थ और पूर्ण दर्शन बन जाता है।

जैन दर्शन की एक मुख्य विशेषता : आत्म-कर्तृत्व

भारत दार्शनिकों और विचारकों का देश कहलाता है। अध्यात्म पर जितना मनोमन्थन एवं परिशीलन यहा हुआ है सभवत अन्य किसी दूसरे देश में नहीं हुआ, तभी तो वर्तमान के वैज्ञानिक और पाश्चात्य विद्वान् आज तक आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत को अगुआ मानते हैं और इस विपर्यक नये आविष्कार की आशा यही से रखते हैं।

भारत में विविध विचारधाराओं का उद्गम हुआ है और उन पर बहुत गहराई से आलोचन-प्रत्यालोचन हुआ है। ये विचार-वीथिया दर्शन के नाम से अभिहित की जाती हैं। प्रत्येक दर्शन में कोई न कोई मौलिक तत्त्व है। इसीलिए वे आज तक जीवित हैं। जिस विचार में कोई मौलिकता और उपयोगिता नहीं होती, वह अधिक दिन जनता का श्रद्धा-भाजन नहीं रह पाता।

जैन दर्शन आत्म-कर्तृत्व, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्तवाद आदि अनेक विशेषताओं का पुज है। पर यहा केवल इसकी एक मुख्य विशेषता पर ही कुछ विचार लिपिबद्ध हैं। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, आत्म-कर्तृत्व।

दूसरे कुछ दर्शनों ने यहा कहा—यह आत्मा अज है, अपने सुख-दुःख के लिए असमर्थ है। मनुष्य का सुख-दुःख ईश्वर पर निर्भर है। वह चाहे तो उसे स्वर्ग भेज सकता है और वह चाहे तो उसे नरककुण्ड में भी डाल

सकता है, इस विचार में व्यक्ति की सारी स्वाधीनता हर ली गई है और उसे निःस्त्व बना दिया गया है।

पर जैन दर्शन ने कहा—‘अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाणय दुहाणय’—मनुष्य का भाग्य उसके अपने हाथ में है। अपने सुख-दुख का वह स्वयं ही घटक और विघटक है। वह स्वयं ही भले-दुरे कार्य करता है, स्वयं उनका फल भोगता है, स्वयं ही सासार में अमण करता है और स्वयं उससे मुक्त होता है। अपना निर्माता वह स्वयं ही है। उसमें अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। अपने को महान् और गौरवशाली बनाने का वल है।

ईश्वर-कर्तृत्व जहा मनुष्य को उदास, निराश और अम-विमुख बनाता है, वहा आत्म-कर्तृत्व उत्साही और अम-प्रायण बनाता है।

‘मेरे भाग्य का मैं स्वयं निर्माता हूँ’—इस विचार-मान से मनुष्य में कर्तृत्व-शक्ति जागृत होती है और एक स्फुरणा प्रवाहित होती है। ‘मैं कुछ नहीं कर सकता,’ यह विचार जितना नि-शक्त बनाने वाला है, ‘मैं सब कुछ कर सकता हूँ’ यह उतना ही स्फूर्तिमय और आशान्वित बनाने वाला है।

शक्ति कही बाहर से उपलब्ध नहीं होती। वह तो मनुष्यों के विचारों में गुम्फित है। शक्ति का विचार ही शक्ति पैदा करता है। अपने आपको अभागा, निर्बल, असहाय और क्षुद्र भानने वाला अपने हाथों से अपनी कब्ज़ा खोदता है। मनुष्य अपने विचारों से बहुत दूर नहीं हो सकता। उसका जीवन अपने सूक्ष्म विचारों की ही परिणति है।

उच्च कल्पना करने वाला और स्वर्णिम स्वप्न देखने वाला मनुष्य अवश्य ही अपने को अपनी भावनाओं के अनुरूप गढ़ लेता है।

पराधीनता की दशा में मनुष्य का मन न कोई बड़ा काम करने के लिए उत्सुक होता है और न उसमें निष्ठा ही जागृत होती है। उसे प्रतिक्षण परतन्त्रता खलती रहती है। आदमी की स्वतन्त्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है।

आत्म-कर्तृत्व में हर प्रकार का अवकाश रहता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को ऊंची उठा सकता है और तदनुकूल प्रयत्न करके अपने जीवन को नयी आत्मा दे सकता है। मनुष्य छोटे से बीज को विशाल वृक्ष बना लेता है, यह तभी सभव है जब वह जानता है कि उपर्युक्त सामग्री से ऐसा मैं कर सकता हूँ। अगर वह जानता हो कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता तो वह कभी उद्योग की ओर नहीं झूकेगा।

आत्म-कर्तृत्व के आधार पर ही एकदम गरीब मनुष्य भी अनुपम समृद्धिशाली बनता है। अतिशय भोगी भी महान् योगी बनता है। सिंह-सा खूखार भी मा-जैसा ममतामय बन जाता है। कुटिल भी ऋजु बन जाता है और देश-द्वाही भी देश-प्राण बन जाता है।

मनुष्य पर परिस्थितिया प्रभाव डालती है। इसका एकदम खण्डन नहीं किया जा सकता। किन्तु मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है। वह उनका स्वामी है, स्पष्टा है, परिपोपक है, परिवर्तक है और उनका विष्वसक है।

वह जब अपने पी॒षप को जागृत कर लेता है और कर्तृत्व-बल को पहचान लेता है तब फिर उसके समझ कोई बाधा नहीं ठिकती। बड़े-बड़े पर्वतों को वह रोद डालता है और महान् सागरों को मथ देता है। सदियों की बेड़ियों को मिनटों में तोड़ देता है। शताब्दियों की दासता से मुक्त हो जाता है।

ये सब क्षमताएं केवल आत्म-कर्तृत्व की देन हैं। आत्म-कर्तृत्व जैन दर्शन की भौलिक महत्ता है। उसने मनुष्य को अपना भाग्य-विधाता रखा है, उसके स्वत्व का अपहरण नहीं किया। इसी आधार पर मनुष्य बन्धन-मुक्तता का अधिकारी होता है और सर्वश्रेष्ठ पद की साधना कर सकता है।

ईश्वर कर्तृत्व-वाद जहा निष्क्रियता और तज्जन्य अक्षमता का निमित्त बनता है, वहा जैन दर्शन का आत्म-कर्तृत्व सक्रियता और सफलता का आयाम उद्धाटित करता है।

जैन दर्शन का कर्मवाद

कर्म-मान्यता

भारत के लगभग सभी दार्शनिकों तथा चिन्तकों ने कर्मवाद को स्वीकार किया है। भगवान् बुद्ध ने कहा है—कर्मा पुनर्भवो होति ? कर्म से पुनर्भव होता है—जन्म-मरण की परम्परा चलती है। वैदिक धारणा में प्रतिपादित है—

‘यादृश क्रियते कर्म, तादृश लभ्यते फल’—जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही फल मिलता है। महाभारत में उल्लेख है—“जैसे हजारो गायों में भी वच्छा अपनी मां के पास पहुंच जाता है, वैसे ही पूर्वकृत कर्म अपने कर्ता का अनुगमन करते हैं।” रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदासजी ने कर्म को ही सृष्टि का भौलिक तत्त्व माना है। उन्होंने कहा है—

‘कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तसु फल चाखा’
यो लगभग भारतीय दर्शनों ने कर्मवाद को पूर्ण समर्थन एवं अनुमोदन दिया है, किन्तु कर्मवाद सम्बन्धी उनकी धारणाएँ भिन्न-भिन्न हैं।

१. दी० नि�० विभाग, पृ० ४२६

२. यथा घेनु सहश्रेषु वत्सो याति स्व-मातर
तथा पूर्वकृत कर्म कर्तार मनुगच्छति

परिभाषाए पृथक्-पृथक् हैं। फिर भी समन्वय की दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो प्राय तत्त्व-विचारको ने कर्मवाद को माना है—यहाँ एकत्र है।

कर्म शब्द जिस अर्थ में जैन दर्शन में प्रयुक्त हुआ है, कुछ दर्शनों ने उसके स्थान पर लगभग उसी अर्थ में दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है। माया, अविद्या, वासना, अपूर्व, सस्कार, दैव और अदृष्ट आदि शब्द व्यक्त किये गये हैं। आत्मवादी दर्शनों के लिए यह आवश्यक है कि आत्म-वन्धन और आत्ममुक्ति के कारण भूतकर्म को अग्रीकार करें। शब्द और व्याख्या में भले ही कोई भिन्नत्व रहे, पर भाव की भूमिका पर वे सब एक ही स्थान पर पहुँचते हैं।

जैन दर्शन का अभिमत

जैन दर्शन ने कर्म शब्द को अनेक अर्थों में व्यवहृत किया है। उनमें दो अधिक व्यापक हैं। एक आचरण के अर्थ में और दूसरा आत्म-प्रकृति के द्वारा आकृष्ट परमाणु-ग्रहण के अर्थ में। प्रथम अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान् महावीर ने कहा है—“मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से शूद्र होता है।”^१ जैसे कि समता के आचरण से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य की साधना से ब्राह्मण होता है, ज्ञान की आराधना-मनन से मुनि होता है और तपश्चरण से तापस होता है।^२ जो मूल कर्म-आचार से शून्य होता है और बाह्य क्रिया करता है वह तद्वान् नहीं हो पाता। “सिर मूढ़ लेने से कोई श्रमण नहीं होता, उंका जापकरने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, केवल अरण्यवास से कोई मुनि और कुण का चीवर पहनने से कोई तापस नहीं होता।”^३

१ उत्तरा० अ० २५ श्लोक ३१

२ वही, श्लोक ३०

३ वही, श्लोक २६

मूल कर्मवाद

‘जैन दर्शन का कर्मवाद’ नाम से जो सिद्धान्त प्रख्यात है, मूलतः निवन्ध का विषय वही है। जैन दर्शन की कर्मवाद विषयक मान्यता विलकुल मौलिक है, और साथ-साथ बड़ी वैज्ञानिक भी है। जैन साहित्य में कर्मवाद के सम्बन्धों में प्रचुर मात्रा में वाढ़्-भय लिखा गया है। अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं जो कर्म-स्वरूप, कर्म-प्रकृति, कर्म-स्थिति, कर्म-शक्ति, कर्म-बन्ध के हेतु और कर्म-मोक्ष की प्रक्रिया आदि विभिन्न विषयों पर वहुत मार्मिक और विशद प्रकाश डालते हैं।

भगवान् महावीर के अभिमत में कर्म का अर्थ है—‘आत्मा की सत्-असत् प्रकृति से आकृष्ट होकर कर्म रूप में परिणत होने वाला पुद्गल समूह’। आत्मा के दो प्रकार हैं—मुक्त और बद्ध। जो आत्माएं कर्मों से सर्वथा मुक्त हैं, वे स्वभाव में स्थित हैं। वे सर्वदा के लिए समस्त बन्धनों से छुटकारा पा चुकी हैं। जन्म-मृत्यु के चक्र से बाहर निकल चुकी हैं। मुक्त आत्माओं में कोई भेद नहीं है। वे सब स्वरूप से एक समान हैं। पूर्ण रूप से निरावरण हैं, कर्मों के समग्र आवरण उनके हट चुके हैं। उनका कोई रूप-रग नहीं है, न उनका कोई ‘लिंग है—“उन्हें कोई उपमा नहीं दी जा सकती।”^१ वे एक अरूप सत्ता हैं।^२ उनके स्वरूप को कोई भाषा नहीं बता सकती। कोई शब्द उस विशालता को बाध नहीं सकते। वहां तक पहुंचते-पहुंचते सब स्वर निर्वाति हो जाते हैं, व्यर्थ ब्रन जाते हैं।^३ परम-

१ आत्म प्रवृत्त्याकृष्टा स्तत् प्रायोग्य पुद्गला कर्म

—जैन भिद्धान्त दीपिका ४।१

२ उपमा ण विज्जए

—अग सुत्ताणि १, पृ० ४८

३ सत्वे सराणियदृति

—अग सुत्ताणि १, पृ० ४८

४ अरुवी सत्ता

—अग सुत्ताणि १, पृ० ४८

आत्माए परिपूर्ण, नि सग और निलेप है। अपने स्वभाव मे निरत हैं। एकदम ज्योतिमय और शाश्वत सुख मे अवस्थित हैं। वे अजर-अमर बन चुकी हैं। उनके लिए कुछ भी करणीय शोष नहीं रहा है। वे कृत-कृत्य हैं। सिद्ध हैं। हर आत्मा का साध्य उस सहजावस्था तक पहुचना है।

कर्मावद्ध आत्माओ की स्थिति बड़ी विपम और दयनीय है। उन्हें चतुर गति-रूप ससार मे परिभ्रमण करना पड़ता है। अनेक रूप-योनि के साथ अनुबन्ध करना होता है।^१ अनुकूल-प्रतिकूल नाना रूप स्पर्शों का प्रति-संवेदन करना पड़ता है।^२ तरह-तरह के सुखो और दुखो की अनुभूति करनी पड़ती है। कर्म के सग से जीव समृद्ध, द्विषित और बहुत वेदना वाले बन जाते हैं। उन्हे अपने कृत कर्मों से नरक और तिर्यञ्च योनियो मे भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं।^३

जीव की विभिन्न परिणतिया कर्मों के आधार पर होती हैं। मौलिक रूप से जीव शुद्ध है, एक स्वरूप वाला है, चिन्मय है। किन्तु कर्म आवरण के कारण उसकी विविध दशाए हो जाती हैं। उसी से उसे अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। स्वर्ण दूसरे अणुओ के साहचर्य से विकृत बन जाता है। अपने रूप को विस्मृत कर दूमरे ही रूप को धारण कर लेता है, उसी प्रकार कर्म-सग से आत्मा भी विचित्र बन जाती है, नट की तरह नये-नये रूप बनाती है। तरह-तरह के अभिनय करती है। पर जब वह कर्म की कारा से मुक्त हो जाती है, तब उसका रूप अप्रतिम हो जाता है। आत्मा की जितनी अवस्थाए होती है, वे सब कर्मजन्य हैं। कर्मोदय और कर्म-क्षयोपशम से ही उसे विभिन्न प्रकार की सामग्री मिलती है।

शुभ कर्म के उदय से जीव को सितारे के समान चमकता जीवन, मधु-सा मधुर व्यक्तित्व मिलता है और अशुभ कर्म के उदय से नमक के समान

१ अणेग रुवाओ जोणीओ सन्धेइ—आयारो, पृ० ६

२ विरुद्ध रुवे फासे पहिसे वेदेइ—आयारो, पृ० ६

३. उत्तरा० अ० ३ गा० ६

कडवा जीवन, पत्थर-सा निस्तेज व्यक्तित्व उपलब्ध होता है। कर्मों के आधार पर प्राणी विशाल वैभव और प्रचुर ऐश्वर्य का स्वामी बनता है, और कर्मों के आधार पर ही हीन, दीन, घर-घर भीख मागने वाला भिखमगा बनता है। कर्म से ही स्वस्थ, सुडील, सुन्दर और आकर्षक शरीर प्राप्त होता है और उससे ही धृणास्पद तन की प्राप्ति होती है। विद्वता, वाग्मिता, गायकता, स्वभाव-मधुरता आदि सद्गुण कर्म-क्षयोपशम और कर्मोदय से मिलते हैं। वैसे ही मूढ़ता, मदता और प्रकृति-चड़ता भी कर्मों के छारा ही मिलती है। व्यक्ति सम्राट भी कर्म से बनता है और दास भी कर्म से ही बनता है।

कर्म का प्रामाण्य

कर्म के अस्तित्व का पुष्ट प्रमाण ससार की विचित्रता और विपरता है, लोक का वैचित्र्य और वैपर्य कर्म-जनित है।^१ कही अत्यन्त सम्पन्नता है, कही सीमातीत विपन्नता है। कही ऐश्वर्य अठखेलिया कर रहा है तो कही दारिद्र्य मासूम बच्चों के प्राण नोच रहा है। कही पड़ा वेशुमार पकवान सड़ रहा है तो कही क्षुधाक्रान्त आदमी मर रहा है। कही कचा सिर किए हुए और गर्व से सीना ताने गगनचुम्बी अट्टालिकाएं खड़ी हैं तो कही धास-फूस की जीर्ण-शीर्ण झोपड़िया सिसक रही है। कही सुरूपता मद में झूम रही है तो कही कुरुपता ओघे मुह पड़ी तड़फ रही है। ये सब वैचित्र्य कर्म-सत्ता को प्रमाणित करते हैं। कर्मों के अनुसार ही सयोग और वियोग का यह नाटक रगीन खेल दिखाता है।

कर्मवाद का सबूत उस समय और अधिक प्रखरता एव स्पष्टता से मिलता है जब समानसाधन और समान परिस्थिति होने पर भी फल में वैपर्य आता है। एक ही घर में और एक ही समय में जन्मे हुए बन्धुओं में जब एक सिंहासनारूढ होकर राजा बनता है और एक एकदम असहाय दर-दर का

भित्तारी बनता है। एक गुरु के समीप एक समान वातावरण में तुल्य-भाव और तुल्य-चात्सल्य में अध्ययन करने वाला एक शिष्य तलस्पर्शी ज्ञानी बन जाता है और दूसरा मतिमद ही रह जाता है। समान स्थितियों, तुल्य परिव्राम और सदृश सहयोग में भी जब बहुत बड़ा तारतम्य और विभेद रह जाता है तब अपने-अपने कर्म की कहानी साक्षात् हो उठती है। समान सुविधा और समान सहानुभूति में भी चुद्धि, विवेक, चिन्तन, स्वास्थ्य, सुख-दुःख में प्राज्य पार्थक्य रह जाता है, यह सब पूर्वकृत कर्म का परिणाम है। सामान्य घर में जन्मा और पला-पुसा व्यक्ति तो अतिशय बैभवशाली हो जाता है और लक्ष्मीपति के सिंहासन पर बैठा विलकुल दीन-दर्शन बन जाता है। ये सब तथ्य कर्मवाद को उजागर करते हैं।

कर्म की प्रकृति—कर्म आत्मा के स्वरूप को आवृत, अवरुद्ध और विकृत करते हैं। उसके मौलिक गुणों पर आधात लगाते हैं। आत्मा कर्म सयोग से अन्य भाव वाली बन जाती है, फिर भी उसका मूल्य चैतन्य सुरक्षित रहता है। आत्मा की समग्र चेतना कभी भी आवृत नहीं होती। उसका कुछ अश हर दशा में अनावृत रहता है। बादल किनने भी सघन हो, सूर्य का अस्तित्व आभासित हो उसका इतना प्रकाश सदा विद्यमान रहता है।

शुद्ध, बुद्ध और एक स्वरूप वाली आत्मा भी कर्मों के योग से अनेक रूपवाली हो जाती है। उसकी दशा तुच्छ और सामान्य बन जाती है। आत्मा अनन्त शक्तियों का स्रोत है विशिष्ट गुणों का पूज है, किन्तु कर्मों के द्वारा उसके मूलभूत गुण आवृत हो जाते हैं। आत्म के आठ मौलिक गुण होते हैं—१. अनन्त ज्ञान, २. अनन्त दर्शन, ३. आत्मिक सुख, ४. कायक सम्बन्ध, ५. अटल अवगहन, ६. अमूर्तत्व, ७. अगुरु लघुत्व और ८. सत्त्व।

कर्म पौद्गलिक है। पौद्गल-स्वभाव की अपेक्षा से वे एक हैं। किन्तु आत्मा के आठ गुणों का स्थगन करने की अपेक्षा से उनकी मूल प्रकृतिया आठ मानी गई हैं—१. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. वेदनीय,

२२ जैन दर्शन के परिपार्श्व में

४. मोहनीय, ५. आयुष्य, ६. नाम, ७ गोत्र और ८ अन्तराय ।

इनका स्पष्टार्थ बोध यो है—

“जैसे—१ जैसे परदा कभरे के भीतर की वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता वैसे ही ज्ञानावरण कर्मज्ञान को रोकने या अल्पाधिक करने का निमित्त है । इसके उदय की हीनाधिकता के कारण कोई विशिष्ट ज्ञानी और कोई अल्पज्ञानी होता है ।

२ जैसे द्वारपाल दर्शनार्थियों को राजदर्शन आदि से रोकता है, वैसे ही दर्शन का आवरण करने वाला दर्शनावरण कर्म है ।

३ जैसे तलवार की धार पर लगा मघु चाटने से मघुर स्वाद अवश्य आता है, फिर भी जो भक्त कट जाने का असह्य दुख भी होता है, वैसे ही वेदनीय-कर्म सुख-दुख का निमित्त है ।

४ जैसे मद्यपान से मनुष्य मदहोश हो जाता है, सुध-बुध खो बैठता है, वैसे ही मोहनीय कर्म के उदय से विवश जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है ।

५ जैसे हलि (काठ) मे पाव फसा देने पर मनुष्य रुका रह जाता है, वैसे ही आयु कर्म के उदय से जीव शरीर मे निश्चित समय तक रुका रहता है ।

६. जैसे चिक्कार नाना प्रकार के चिक्क बनाता है, वैसे ही नाम कर्म के उदय से जीवों के नानाविधि देहों को रचना होती है ।

७ जैसे कुम्भकार छोटे-बड़े बर्तन बनाता है, वैसे ही गौण कर्म के उदय से जीव को उच्चकुल या नीचकुल मिलता है ।

८ जैसे भण्डारी (खजाची) दाता को देने से और याचक को लेने से रोकता है, वैसे ही अन्तराय कर्म के उदय से दान-दाभ आदि मे बाधा

१ अट्ठ कम पगड़ी औ पन्नताओ, तजहा-णाणा वरणिज्ज, दसणावरणिज्ज वेयणिज्ज, मोहणिज्ज, आ उय, नाम, गोत्र, अतराह्य ।

पड़ती है। इस तरह ये आठों कर्मों के स्वभाव हैं।”

—समणसुत्त २२।२३

इन आठ कर्मों के अवान्तर १५८ भेद हैं—ज्ञानावरण के ५, दर्शनावरण के ६, वेदनीय के २, दर्शन मोहनीय के ३ और चारिक्र मोहनीय के २५, आयुष्य के ४, नाम के ४२, गोक्र के २, अन्तराय के ५—यो १७ भेद होते हैं। प्रकारान्तर से १५८ भी होते हैं। इन्हे उत्तर प्रकृति कहा जाता है।
कर्म का सम्बन्ध

कर्म का फलित कर्तृत्व में है। उसका सीधा सम्बन्ध कर्ता के साथ ही है। जो जैसा कर्म करता है उसको उसका वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है।

“जो अज्ञानी इस जीवन के लिए रोद्र पाप कर्म करते हैं, वे घोराति-घोर तिमिर एव अथन्त उत्तापवाली नरक में पड़ते हैं।”^१ अपने कृत कर्मों का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है। “प्राणी अपने बन्धुजनों के लिए जो साधारण कर्म (इसका फल मुझे भी मिले और उनको भी—ऐसा कर्म) करता है उसकर्म के फल-भोग के समय वे बन्धुजन बन्धुता नहीं निभाते।”^२ उसमें कोई हाथ नहीं बंटाते, बटा भी नहीं सकते। यहा कोई रिश्तेदारी नहीं चल सकती। अपनी प्रवृत्ति का उत्तरदायी अपने आपको ही होना पड़ता है।

“व्यक्ति के दुख को ज्ञाति, मित्र और बन्धु कोई भी विभक्त नहीं करते, उसे अकेले को ही उसका प्रतिसंवेदन करना पड़ता है क्योंकि कर्म कर्ता से अनुबन्धित होता है।”^३ महाभारत में भी कहा है—“एक के किए

१ जे केहि वाला इह जीवियट्टी पावाइ कम्माइ करेतिरुढ़ ।

ते घोर रवे तिमि सधयारे तित्वाभित्तावे नरय पडति

—सूत्रकृताग अ० गौ० ३

२ उत्तरा० अ० ४—गाथा ४

३ उत्तरा० अ० १०—गाथा २३

हुए कर्म का फन कोर्द दूसरा नहीं भोग सकता। जिमने जो कर्म किए हैं, उसपर ही [उनका परिणाम शुगतना पड़ता है। किसी भी दशा में उनमें छुटकारा नहीं मिल सकता, यद्योंकि कृत कर्म का नाश नहीं होता है।^१ भोगना ही उनका उपाय होता है या साधना से क्षय करना ही उनका उपाय हो सकता है।

कर्म करने में आत्मा स्वतन्त्र है, यद्योंकि हर कर्म उसी के द्वारा उपार्जित है। जो इष्ट या अनिष्ट कर्म किए जा रहे हैं, उन सबसी भूमिका आत्मा ने ही बनाई है। मौलिक रूप से आत्मा ही कर्ता है। भव्य से भव्य और अभव्य में अभव्य कर्म आत्मा ही करती है। सब कुछ आत्माधीन है, पर अज्ञानवश आत्मा ही कुछ कर्माधीन बना देती है। अनन्त शक्ति-शाली स्वतन्त्र आत्मा भी कथचित् परतन्त्र बन जाती है।

आत्मा दो प्रकार के कर्मों का बन्धन करती है—दलिक और निकाचित। जिन कर्मों का विवाक अन्यथा हो सकता है, बदला जा सकता है, उन्हें दलिक कर्म कहते हैं और जिन कर्मों का परिणाम अन्यथा नहीं हो सकता, किसी भी प्रक्रिया से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्हें निकाचित कर्म नाम से पुकारा जाता है। यद्यपि दोनों ही प्रकार के कर्मों की कर्ता आत्मा है। कर्म कर्तृत्व-नाल में वह स्वतन्त्र है, परन्तु निकाचित कर्म के फल-भोग के समय वह परतन्त्र बन जाती है।

मकड़ी जाल स्ववशता से बनाती है, पर कभी-कभी वह स्वयं ही उसमें फस जाती है। उसको तोड़कर बाहर निकलना उसके सामर्थ्य में नहीं रहता। सूर्य अपने प्रचड़ ताप से आकाश में बादलों को उठाता है। अपनी

१ अन्योहि नाप्नोति कृतहि कर्म,
मनुष्य लोके मनुजस्य कमिचत् ।
यत्तेन किञ्चिद् हि कृत हि कर्म,
तदशनुते नास्ति कृतस्य नाश ॥

शक्ति से खड़ा करता है। पर कभी-कभी वह स्वयं ही उनसे आच्छादित हो जाता है। उस पर गहरा आवरण पड़ जाता है। उसका प्रखर तेज आवृत हो जाता है। स्ववश सूर्य की सत्ता भी सघन वादलों से धिर जाती है। उसकी चमक-दमक अंकिचित्कर हो जाती है।

इसी प्रकार अनन्त शक्तिमयी आत्मा भी अपने ही द्वारा कृत कर्मों के अधीन हो जाती है। उसकी कर्तृत्व-शक्ति दब जाती है, मद हो जाती है। किन्तु उसका आगे का प्रथल नहीं रुकता। आत्मा का कर्तृत्व प्रतिक्षण विद्यमान रहता है। इसी आधार पर वह कर्मों को छिन्न-भिन्न करके स्वतन्त्र हो जाती है।

कर्म और आत्मा का साहचर्य

कर्म और वद्ध आत्मा का साथ अनादिकालीन है। यद्यपि कर्म मूर्ति और जड़ता स्वभाव बाला है, आत्मा अमूर्त और चैतन्य स्वभावी है। किन्तु फिर भी अनादिकाल से इनका सम्बन्ध चला आ रहा है, जैसे स्वर्ण और मिट्टी का, तिल और तेल का तथा अरणी और आग का सम्बन्ध अनादिकालीन है। इनकी कोई आदि नहीं है, वैसे ही जीव के साथ परपरा-स्वरूप कर्मों के सम्बन्ध की भी कोई आदि नहीं है। प्रवाह रूप से कर्म सदा आत्मा के साथ रहे हैं। व्यक्ति कर्म की दृष्टि से कर्मों की आदि भी होती है। आत्मा कर्मवद्ध है, इसीलिए नये कर्मों का वन्धन होता रहता है। कर्म-वद्ध आत्मा कथचित् मूर्त है इसीलिए मूर्त कर्मों का सम्बन्ध चलता रहता है।

आत्मा के साथ कर्म-सम्बन्ध के स्वरूप के विषय में कई अभिमत हैं। कुछ आचार्यों की धारणा है कि आत्मा और कर्म का सम्बन्ध क्षीर-नीरवत् होता है। आत्म-प्रदेश और कर्म वर्गण के अणु एकाकार हो जाते हैं। एकदम धूल-मिल जाते हैं। कुछ कर्म-शास्त्र के ज्ञाता मानते हैं जैसे लोहे के हर कण में आग के अणु प्रविष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार आत्म-प्रदेशों में कर्मणु प्रवेश पा जाते हैं। और कुछ तत्त्व-विशारदों की मान्यता है कि जैसे सर्प पर केंचुली आ जाती है, वैसे ही कर्म आत्मा को आवृत कर लेते हैं।

जैसे याक्षिक प्रक्रिया में स्थर्ण और मिट्टी को भलग-अनुग किया जा सकता है और सध्यपंथ के द्वारा अरणी से आग प्रकट की जा सकती है तथा यद्य-प्रयोग से तिल और तेल के कणों को पृथक किया जा सकता है, वैसे ही साधना से आत्मा और कर्म के मम्बन्ध को गिन्न किया जा सकता है।

कर्मों की फलदान-क्षमता

कर्म स्वयं ही अपने अनुरूप ठीक-ठीक फल दे देते हैं, बीच में किसी भाष्यम की आवश्यकता नहीं। आणका ही भक्ती है कि जड़ कर्म उचित फल कीमे दे सकते हैं ? उनमें कौन-सी चेतना होती है, जो उचितानुचित का विवेक कर सके ? गिन्नु पराकाष्ठा पर पहुचे शौकिक विज्ञान के इस युग में यह कोई पहेली नहीं है। सब ऑटोमैटिक चलता है, ठीक समय पर ठीक जगह बम फटते हैं। यिना चालक के बाह्यन बम बरसाकर बापम अपने स्थान पर निपित्त अवधि में पहुच जाते हैं। अन्तरिक्ष में आरोपित यक्ष अपने आप धरती पर सूचना भेजते हैं। जड़ पुद्गल जड़ पर तो असर करते ही है पर वे चैतन्य पर भी असर डालते हैं। बड़ी क्षमता से वे चेतना को प्रभावित करते हैं, यह तथ्य लोक-व्यवहार से अच्छी तरह प्रमाणित किया जा सकता है।

धाराव का नमा होते ही चेतना अपना होश खो देती है। मध्यपायी पागलो जैसी हरफते करने लगता है। उसका विवेक विलुप्त हो जाता है। मरणासन्न व्यक्ति को शक्ति का इन्जेक्शन दे दिया जाए तो एक बार उसकी आखें खुल जाती हैं और विष का इन्जेक्शन दे दिया जाए तो सदा के लिए बद हो जाती हैं। पूर्ण चेतनाशील भी जब क्लोरोफार्म सूध लेता है तो वह निष्पेतन-सा बन जाता है। अशु गैस छोड़ते ही लोगों की आखों में पानी बहने लगता है। दिल्ली की घटना है, किसी गदे नाले में सफाई के निमित्त एक-एक करके तीन सफाई-कर्मचारी उतरे थे। वहाँ की वायु इतनी दूषित और विषाक्त थी कि कितनों की ही मृत्यु हो गई। इसके विपरीत वेहोष पड़े मनुष्य को भी जब शीतल और शुद्ध पवन लगती है तो

उसमें प्राण सचारित हो जाते हैं।

पौद्गलिक अणु अपना कार्य बड़ी खूबी से करते हैं। भोजन से व्यक्ति की क्षुधा शान्त हो जाती है, जलपान से प्यास मिट जाती है और व्याधि-सेवन से व्याधि-शमन हो जाता है। औपचिके रूप में विष-कणों का प्रयोग किया जाए तो वे रोग को काट देते हैं। किन्तु किसी को समाप्त करने के लिए उनका प्रयोग हो तो वे मनुष्य को मिनटों में ही मौत की घाट उतार देते हैं। तात्पर्य है जह में भी अपना अर्थ-क्रिया कारित्व होता है।

कर्मवन्ध के साथ ही फल-दान के सामर्थ्य का भी वन्धन हो जाता है। कर्म-वन्ध के सभय चार प्रकार के वन्ध होते हैं—

१ प्रकृति वन्ध—बद्ध कर्म आत्मा के कीन से गुण का आवारक होगा उसका स्वभाव क्या है—इसका निर्णय।

२ स्थिति वन्ध—कितने समय तक उसका वन्धन रहेगा।

३ अनुभाग वन्ध—कर्म किस रूप में उदय आयेगा—साधारण-दण्ड में अथवा विशेष रूप में। उसका प्रभाव सामान्य होगा या विशिष्ट।

४ प्रदेश वन्ध—दल सचय सघन होगा या विरल।

इन चारों वन्धों को सक्षेप में यो अभिव्यक्ति किया गया है—

“स्वभाव प्रकृति प्रोक्ति स्थिति कालावधारणम् अनुभागो रसोज्ञेयो विपाको दल सचय।”

कर्म-वन्ध होने के उपरान्त अन्दर में एक प्रक्रिया चलती रहती है, वह समय पर सब कुछ सम्पन्न कर देती है। बीज बोने के बाद कपर तो कुछ दिखाई नहीं पक्षता किन्तु भीतर एक प्रवाह प्रवाहित होता है और समय पर सब आवरणों को हटाकर बीज अकृति हो जाता है।

जिस प्रकार के कर्मों का वन्धन हुआ होता है उनके अनुरूप ही उनका फल मिलता है। भले कर्मों का फल भला और बुरे कर्मों का फल बुरा

१ चरन्विहे वधे पन्ते त जहा पगह वधे ठिह वधे अणुभाग वधे पएस
वधे। —स्थानाग ४३२६६

२८ जैन दर्शन के परिपारम्य में

होता है।^१ इसीलिए आत्म-जाग्रति की जाती है कि मनुष्य पाप-कर्म से बचे। पाप-कर्म का फल चहुत ही कटुक होता है।

बन्धन पुण्य का हो अथवा पाप का हो, वह बन्धन ही है। दोनों को हो गा सोहे की, बन्धन की अपेक्षा से उसमें कोई भ्रेद नहीं है। दोनों ही जजीरे हैं। दोनों ही लकड़ती हैं। शुभ कर्म-बन्धन भी आत्मा की मुक्ति गे अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए पुण्य और पाप दोनों ही हैं। दोनों का आवरण सूटने ने ही आत्मा मुक्त होती है।

कर्म-बन्ध के कारण

कर्म-बन्धन कर्म-बद्ध आत्मा के ही होता है। मुक्तात्मा के कर्म-बन्धन का कोई कारण विद्यमान नहीं रहता। जीवात्मा जब अपने स्वभाव से स्थिरित होकर विभायग्रस्त होता है तब कर्म-बन्धन होता है।

कर्मों का बन्धन मूलत आत्म-परिणामों के आधार पर होता है। पर वस्तु प्रत्ययिक अणु मात्र भी बन्धन नहीं होता।^२ हूमरे कितने भी निमित्त मिल जाए आत्म-भाव जब तक उनके द्वारा उत्तेजित नहीं होते हैं, कर्म-बन्ध नहीं होता। आत्मभाव उन निमित्तों से प्रभावित होते हैं, रक्त अथवा विरक्त होते हैं, तभी बन्धन की क्रिया कलित होती है। निमित्तों में आत्मा निरपेक्ष रह जाए, किसी प्रकार की कोई चलता न हो तो उसके कर्म-बन्धन नहीं होता।

कर्म-बन्धन वस्तु और निमित्त से नहीं, आत्म-अछ्यवसाय से, राग-द्वेषात्मक सकल्प से होता है।^३ “भाव कर्म के बिना नये कर्मों का बन्ध नहीं होता।”

१. सुचिना कम्मा सुचिना फला, दुचिना कम्मा, दुचिना फला।

—ओपपातिक सूक्त ५६

२. अणुमित्तों विन वधो, पर वत्पु पञ्चभो भणिभो।

—ओध निर्युक्ति, गाथा ५

३. ए य वस्तु दो, दुवधो, अज्ञ व साणेण वधोत्ति—समयसार २६५

कर्म-बन्धन के पाव्र कारण माने गये हैं। प्रथम है—मिथ्यात्व अर्थात् विपरीत शद्भान। जो सत्य अथवा वस्तु जिस रूप में है, उससे उल्टा मानना मिथ्यात्व कहलाता है। दूसरा है—अन्त-वस्तुओं के प्रति मूर्च्छा भाव। तीसरा है—प्रमाद धर्म के प्रति अनुत्सा, चौथा है—कपाय-आत्मा का राग-रोपमय आन्तरिक उत्ताप। पाव्र वा है—योग मनो वाक्याय की सूक्ष्म या स्थूल क्रिया।

आत्मा के दो प्रकार का बन्धन होता है—शुभ कर्मों का बन्धन और अशुभ कर्मों का बन्धन। दूसरे शब्दों में पुण्य बन्ध और पाप बन्ध भी कहा जा सकता है। कर्म पुद्गल तो एक ही प्रकार के होते हैं किन्तु आत्म-प्रवृत्ति के अनुसार पुण्य या पाप रूप में परिणत हो जाते हैं। शुद्ध भाव और शुद्ध क्रिया से पुण्य बन्ध होता है तथा अशुद्ध भाव एवं अशुद्ध प्रवृत्ति से पाप का बन्धन होता है। जिसका राग प्रशस्त है, आत्म-परिणाम अनुकम्पा से भीगा है और मन में कोई कलुप भाव नहीं है, उस जीव के पुण्य बन्धन होता है। “प्रमादमयी चर्या, मानसिक कलुषता, विषयों के प्रति लोलुपता, पर-परिताप (पर-पीड़ा) और पर-निन्दा इनसे पाप का बन्धन होता है।”^१ और “जिस साधक का किसी भी द्रव्य के प्रति राग, द्वेष और मोह नहीं होता, जो समभाव रहता है, उसके न पुण्य का बन्ध होता है और न पाप का।”^२

१ अकुच्चबो णव णत्थि—सूक्तकृताग, १/१५/७

२ रागो जस्त पसत्थो, अणुकपास सिदो य परिणामो।

चित्तम्भ णत्थि कलुस, पुण्य जीवस्त आसवदि ॥

३. चरिया पमाद बहुला, कालुस्त लोलदा य विसयेसु।

पर परितावपवादी, पावस्त य आसव कुणदि ॥

४ जस्तण विज्जदि रागो, दो सो मोहो व सब्बदञ्जेसु।

णा सवदि सुह असुद, सम सुह दुक्खस्त भिक्खुस्त ॥

—पचास्तिकाय, १३५, १३६, १४२

कर्मों का वर्णन मौलिक रूप से भाव कर्मों के द्वारा होता है। कर्म दो प्रकार के हैं—भाव और द्रव्य। भाव कर्म आत्मा के परिणामों को कहा जाता है।

आत्मा का विभावात्मक जितना परिणमन है, वह समग्र भाव कर्म में आता है। राग-द्वेष के गस्कार, मोह-ममता-मिथ्यात्व के विफ़ार और कथायों के वाकेश—ये सब भाव कर्म हैं, जिनके द्वारा द्रव्य कर्म पुद्गलों का वर्णन होता है। भाव कर्म बीज है। ससार का वृक्ष भाव कर्म के बीजों से पड़ा होता है। बीज ही न हो तो अकुर उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं रहती।

द्रव्य कर्म आत्म-परिणामों से य योगों की प्रवृत्ति से आकृष्ट आत्म-सम्बद्ध पुद्गल समूह को कहा जाता है। दोनों का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म का साग्रहण होता है और द्रव्य के उदय से भाव कर्म को उत्तेजन तथा तीव्रता मिलती है। भाव कर्म द्रव्य कर्म का उत्पादक है तो द्रव्य कर्म भाव कर्म का सचालक और प्रेरक बन जाता है। दोनों की अविच्छिन्न परम्परा चलती रहती है। भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्म सचय नहीं होता और द्रव्य कर्म के बिना भावों में चलता नहीं आती। दोनों एक-दूसरे पर आधारित हैं।

आत्मा और कर्म दोनों सर्वथा भिन्न हैं। आत्मा चेतन और अमूर्त है। कर्म जड़ एवं मूर्त है। आत्मा कभी जड़ नहीं बनेगी और कर्म कभी चेतन नहीं बनेगे। फिर भी जीवात्मा कर्मों से बद्ध है। वह जब कर्मों से मुक्त हो जाती है तब परमात्मा बन जाती है। फिर वह कभी बन्धन में नहीं आती। उसका फिर अवतार नहीं होता। सासारिक प्रपञ्चों के समग्र बीज मुक्तात्मा के प्रणाली हो जाते हैं अत पुनरवतार के कारण ही नहीं रहते।

आत्मा के साथ बद्ध कर्मों का परिणमन तीन तरह का होता है। कुछ कर्मणु आत्मा को आवृत करते हैं जैसे प्रज्वलित दीप के प्रकाश को ढक्कन ढक देता है। कतिपय कर्मणु आत्मा को विकृत बनाते हैं, जैसे दूध में

काजी मिल जाए तो वह विकृत बन जाता है। कुछ कर्मणु आत्म-विकास को अवश्य करते हैं, जैसे कुए के ताला लगा दिया जाए तो उसका जल किसे भी प्राप्त नहीं होता। अन्दर जल है पर उसका आयात बन्द हो जाता है। इसी प्रकार आत्म-शक्ति होती है, पर वह कर्मणुओं से प्रति-वन्धित हो जाती है।

कर्म-मुक्ति के साधन

भारतीय दर्शनों में आत्ममुक्ति को, सर्वोपरि लक्ष्य माना गया है। आत्मोदय के लिए सब कुछ का त्याग विहित है। विभिन्न धर्मों ने आत्म-दर्शन की विभिन्न साधनाएँ और उपासनाएँ बताई हैं।

जैन दर्शन ने आत्म-मुक्ति के लिए चार साधनों का विवाद किया है। उनको जीवन में चरित्तार्थ कर कोई भी कर्म-मुक्त हो सकता है। उसमें किसी जाति, लिंग, वर्ण और वर्ग की भेद-रेखा नहीं है। शुद्ध भाव और शुद्ध आचार ही अपेक्षित हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—

नाण च दसण चेव चरित्र च तत्वो तहा

एस भग्नोत्ति पण्णतो जिणेहि वर दसीहि

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—यह मुक्ति का मार्ग है। इन चारों की समन्वित साधना से ही कर्म-मुक्ति फलित होती है। चारों मिलकर ही एक साध्य को सिद्ध करते हैं। जैसे हलवा बनाने से मैदा, चीनी, धी और पानी चारों चीज़ें अपेक्षित हैं, उसी तरह ये चारों साधन सापेक्ष होकर ही एक कर्म-मुक्ति के लक्ष्य को साधते हैं, निरपेक्ष होकर नहीं। अकेली मैदा अथवा धी से हलवा नहीं बनता।

णाणेण जाणइ भावा दसणेण च सद्धे

चरित्तेण णिगिण्हाई तवेण परि सुज्ञाइ

ज्ञान से तत्त्वों को जाना जाता है, दर्शन से उन पर श्रद्धा की जाती है। चरित्र-संयम से असत् कर्मों का निग्रह किया जाता है और तपस्या से

३२ जैन दर्शन के परिपाश्व में

बद्ध कर्मों को तोड़ा जाता है।

सम्यक्-असम्यक् पुरुषार्थ के आधार पर कर्मों की शक्ति घटती-बढ़ती रहती है। त्याग-तपस्या और साधना निष्प्रयोजन नहीं होते हैं। उनके द्वारा कर्मावरण को मिटाया जा सकता है। कषायों की तीव्रता में कर्मों की तीव्रता और मदता में मदता फलित होती है। परिस्थितिवश हर पदार्थ की शक्ति का क्षरण अथवा वर्धापन होता है। काष्ठ कपाट को तैल से सीचा जाए और उसकी हिफाजत की जाए तो वह काफी लम्बी अवधि तक टिक सकता है और अगर उस पर पानी गिरता रहे, धूल जमती रहे, कोई सार-सभाल न हो तो जलदी ही नष्ट हो जाता है। परिस्थिति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। निश्चित भी परिस्थितिवश टूट जाता है। भजदूत घट पर भी यदि इंट का प्रहार किया जाए तो वह फूट जाता है। तृफान में सुदृढ़ तार भी टूट जाता है। जो फल वृक्ष पर धीरे-धीरे पकता है, उसको दूसरी प्रक्रिया से शीघ्र भी पकाया जा सकता है। लम्बी पड़ी रस्सी आग से सुलगती हुई बड़ी देर से जलती है किन्तु उसी को इकट्ठी कर घासलेट डालकर जलाया जाए तो वह मिनटों में ही जल जाती है।

इसी प्रकार विशिष्ट पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों की प्रकृति, स्थिति, रस और दल संचय में परिवर्तन किया जा सकता है। मनोभावों और योगों की प्रवृत्ति के द्वारा यह सभव हो सकता है। जिस कर्म का फल अत्यन्त कठवा आने वाला हो उसे हल्का बनाया जा सकता है। जिसका दल संचय बहुत सघन हो उसे विरल किया जा सकता है।

बद्ध कर्मों में प्रथल विशेष से परिवर्तन हो सकता है किन्तु उनका फलभोग तो अनिवार्य है। बद्ध कर्मों का उदय अवश्य होता है। उदय दो प्रकार का है—विपाकोदय और प्रदेशोदय। जिसमें फल की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, उसे विपाकोदय और जिसका केवल आत्म-प्रदेशों में ही अनुभव होता है वह प्रदेशोदय कहलाता है। सब कर्मों का जब क्षरण हो जाता है, आत्मा मुक्त बनती है।

कार्य-निष्पत्ति के पाच कारण

जैन दर्शन ने प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति के काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति—ये पाच कारण स्वीकार किये हैं। पाचों का अपना महत्त्व है। किसी एक चीज से कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। पाचों कारणों के योग से कार्य सम्पन्न होता है।

काल—बीज में वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता है। किन्तु काल सापेक्ष है। बीज वपन करते ही कोई अकुर पैदा नहीं होता। समयागमन पर वह क्रिया निष्पत्ति होगी। कोई कितनी ही कला चलाए और पुरुषार्थ करे, उत्पन्न होते ही वच्ची रसवती कार्य में मा का हाथ नहीं बटा सकती। अवस्था परिपाक होने पर ही वह गृह कार्य को सभाल पाएगी। इधर वगीचा लगाया और उधर उसे लहलहाता देखना चाहे, यह सभव नहीं है।

स्वभाव—अगारे को फूल नहीं बनाया जा सकता। उसका स्वभाव ही नहीं है। प्रयत्न के द्वारा स्वभाव को ही प्रकट किया जा सकता है, उसके विपरीत को नहीं। आम से आम उत्पन्न किया जा सकता है किन्तु कितने ही दीर्घकाल तक पुरुषार्थ कर लिया जाए आक के अनुओं से आम नहीं निकल सकता। स्वभाव एक स्थिर तथ्य है।

कर्म—सब कुछ कर्मों का फल है। कर्म के अनुरूप ही उपलब्धि होती है। माता-पिता वडा स्नेह रखते हैं, पुत्र को सुखी बनाने के लिए हर क्षण उद्योगशील रहते हैं, किन्तु पुत्र जुआरी बनकर बर्बाद हो जाता है। उनका उद्यम और वात्सल्य कोई कार्य नहीं कर पाता। कर्मों के अनुमार उसकी दिशा ही भिन्न हो जाती है, जो उसे पतन के गर्त में ढकेल देती है।

पुरुषार्थ—काल, स्वभाव और कर्म सब कुछ होता है पर पुरुषार्थ के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाता। मिठ्ठी, चाक सब तैयार हैं, कुम्भकार भी बैठा है किन्तु जब तक वह प्रयत्न नहीं करता, घट का निर्माण नहीं

हो सकता। निर्माण का सूक्ष्म प्रमुख रूप से पुरुषार्थ के हाथ में ही है।

नियति—बहुत कठिन परिश्रम और अध्ययन के प्रति तीव्र अध्यवसाय के बाद भी विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाता है—यह नियति है। नियति का निर्माता आत्मा का पुरुषार्थ ही है। पर निर्भित होने के उपरान्त नियति स्वतन्त्र हो जाती है। उसका उसी रूप में फल-भोग करना पड़ता है। नियति का अर्थ है—निकाचित कर्म। इसके परिणाम को किसी भी प्रक्रिया से अन्यथा नहीं किया जा सकता।

इन पाच कारणों के आधार पर ही कार्य की निष्पत्ति होती है। निरपेक्ष काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ कुछ भी नहीं कर सकते। अपने-अपने स्थान पर इन सबका महत्त्व है, कोई किसी से कम नहीं। इनकी समन्विति से ही कार्य सिद्ध हो सकता है।

पुरुषार्थ का महत्त्व

कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया में वैसे तो इन पाचों का साहाय्य अपेक्षित है, फिर भी पुरुषार्थ का अपना पृथक गौरव है। पुरुषार्थ अन्य साधनों को जुटाने की क्षमता रखता है। पुरुषार्थ बाधाओं को हटाने का उपाय निकाल लेता है। मौलिक रूप से आत्म कर्तृत्त ही बलिष्ठ है। बन्धन और मुक्ति अपने ही कर्तव्य पर अवलम्बित है। बढ़ कर्मों में भी विशिष्ट पुरुषार्थ के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। आत्मा अपने पुरुषार्थ के बल पर ही कर्मों को छिन्न-भिन्न कर मुक्त होती है।

यद्यपि निकाचित कर्मों को भोगने के लिए आत्मा वाद्य है, फिर भी आत्मा का पुरुषार्थ ही विशिष्ट है। भाग्य पुरुषार्थ की ही निष्पत्ति है। भाग्य का घटक पुरुषार्थ है। पूर्व में जो कर्म किये जा रहे हैं, कल भाग्य बनेंगे। भाग्य की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं। आत्मा ने ही उसे बनाया है और आत्मा ही उसे मिटा भी सकती है, सद्भाग्य को दुर्भाग्य और दुर्भाग्य को सौभाग्य बना सकती है।

आत्मा अपने प्रबल पुरुषार्थ के आधार पर कर्म-फल में परिवर्तन

ला सकती है। इस सम्बन्ध में भगवान् महावीर के कर्म-परिवर्तन के निम्नांकित चार सिद्धान्त विषेष महत्त्वपूर्ण हैं—

१ उदीरणा—नियत अवधि से पहले कर्म की उदय में आना।

२ उद्वर्तना—कर्म की अवधि और फल देने की शक्ति में अभिवृद्धि होना।

३ अपवर्तना—कर्म की अवधि और फल देने की शक्ति में कमी होना।

४ सक्रमण—एक कर्म प्रकृति का दूसरी कर्म प्रकृति में सक्रमण होना।

उक्त सिद्धान्तों का आशय यह है कि कर्मफल में पुरुषार्थ के बल पर परिवर्तन किया जा सकता है। तीव्र कर्म-फल को मद और मंद कर्म-फल को तीव्र बनाया जा सकता है। पाप प्रकृति को पुण्य में परिणत किया जा सकता है। आत्मा सर्वथा दबेल नहीं है। वह हर अवस्था में स्वतन्त्र भी है। वह अपने पवित्र और प्रवल पराक्रम के बल पर सब कुछ निष्पत्ति कर सकती है। हर अवरोध को मिटा सकती है। प्रत्येक वन्धन को तोड़ सकती है। कर्मचाद उसकी परतन्त्रता का नहीं, स्वतन्त्रता का उद्घोष करता है। शुद्ध कर्मों के आधार पर आत्मा निष्कर्म बन जाती है। सदा-सदा के लिए सब वन्धनों से छुटकारा पाकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाती है।

जैन दर्शन तथा गांधी दर्शन में अहिंसा और सत्य

तर्क की कसोटी पर कसी हुई सुसमीक्षिन विचारद्वारा दर्शन कहलाती है। दर्शन समग्र विश्व का एक है। दर्शनों का पार्थक्य एक विवक्षा-विशेष है। सत्य सबका एक होता है, उसके टुकड़े नहीं किये जा सकते। द्वितीय तक दिखता है जब तक परिपूर्ण नहीं जान लिया जाता। समग्र की पहचान होने पर भेद स्वतं समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर पूर्णता एक ही स्थान पर पहुंचती है। उसका एक ही स्वरूप होता है। उस एकत्र में अनन्तता समायी रहती है। वह व्यष्टि समष्टि होता है और समष्टि व्यष्टि।

विश्व के दर्शनों में जैन दर्शन एक व्यापक दर्शन है। उसकी तात्त्विक और आचारिक स्थापनाएँ बहुत गभीर हैं। जैन दर्शन ने आत्मा, परमात्मा, सत् और सृष्टि के विषय में तर्कसंगत मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्माचर्य और अपरिग्रह पर भी उसमें बहुत सूक्ष्म विवेचना उपलब्ध है। जैन दर्शन अति प्राचीन दर्शन है, पर निकट में उसके प्रवर्तक अथवा प्रभावक भगवान् महावीर हुए हैं। विलास-सुलभ राजपरिवार में जन्म लेकर भगवान् महावीर ने त्याग, तपस्या और साधना का जीवन विताया और लोगों को जीवन का सही दर्शन दिया। उनके दृष्टि-विन्दु के अनुसार जीवन का साध्य भोग नहीं है, परित्याग है, आसक्ति नहीं है, अनासक्ति है। भगवान् महावीर की मूल आस्था आत्मवाद पर थी।

उनकी साधना और प्ररूपणा के अनुसार अनन्त शक्तियों की खानि और अक्षय ज्ञानित का क्षेत्र आत्मा ही है। आत्म-निष्ठा और आत्म-स्वास्थ्य ही विश्व-ज्ञानित का मूल मत्र है। आत्मा ही सब समस्याओं का समाधान है।

महात्मा गांधी के विचारों में भी यह इष्ट विकसित है। उन्होंने इसे ही सर्वोपरि सत्ता माना है। उन्होंने एक आत्मविश्वास के सहारे ही एक महान् सांग्राम्य को झकझोर दिया था। कोई शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से विमुख नहीं कर पायी। जीवन-पर्यन्त वे अपने उद्देश्य में जुटे रहे। उन्हें न कोई प्रलोभन फिसला सका और न कोई आक्रमण-आक्रोश पथ से विचलित कर सका, क्योंकि जिस आत्म-बल पर उन्हें अमर आस्था थी वह उनका बहुत बलवान् था। मृत्यु के समय भी उन्होंने अपने घातक की कल्याण-कामना की।

भगवान् महावीर और महात्मा गांधी के सिद्धान्तों तथा क्रियाकलापों में काफी सामीप्य दीखता है। यद्यपि काल की दीर्घ दूरी है, भगवान् महावीर गांधीजी से चौबीस सौ वर्ष पूर्व इस धरा पर अवतीर्ण हुए थे। फिर भी दोनों की धारणाओं में बहुत सामंजस्य है। दोनों का इष्टिकोण बड़ा उदार है। दोनों को ही अपने जीवन में बहुत कष्ट और यातनाएँ सहन करनी पड़ी। फिर भी साधना और धैर्य इतना प्रवल था कि युग की चिन्तनघारा में परिवर्तन कर सके और युग को एक नयी चेतना दे सके तथा जन-जन के श्रद्धा-भाजन बन सके। दोनों की विचार-पद्धति में और आचरणशीलता में जो समन्वय है उसी को विशिष्ट करना प्रस्तुत निवन्ध का विषय है।

अहिंसा

जैन दर्शन में अहिंसा सबसे मूलभूत सिद्धान्त है। दूसरे सब महाव्रतों का पालन इसी की सुरक्षा के लिए है। अहिंसा को खेत कहा गया है और अन्य नियमों को इसकी रक्षा के लिए बाढ़। अहिंसा का अर्थ यहा बहुत विशाल है। प्राणिमात्र को आत्मवत् मानने की प्रतिश्वास है—आय तुले

३८ जैन दर्शन के परिपार्श्व में

पथासु । अहिंसा को ही ध्रुव, नित्य और शाश्वत धर्म कहा है । जो हिंसा करता है, करवाता है अथवा करते हुए को अच्छा जानता है, वह अपनी आत्मा के साथ वैर और वैमनस्य की वृद्धि करता है । ससार के सबं जीव जीने की कामना करते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । सब सुख के हज्जूक है, दुःख के नहीं । ऐसी दशा में किसी को मारना, सताना, पीड़ा पहुँचाना और उस पर शासन करना पाप है । किसी के प्रति बुरे विचार रखना भी आत्म-अपराध है ।

जैन दर्शन के अनुसार बिना किसी भेदभाव के छोटे-बड़े सब जीवों के प्रति सर्वम् (समभाव) रखना अहिंसा है (अहिंसा निहृणा दिट्ठा, सब्ब भूएसु सज्मो) । अपने विरोधी की भी हिंसा सर्वथा वर्ज्य है । विरोध भावना का परिहार करना अनिवार्य है । जब तक मनुष्य में विरोध भाव रहता है तब तक वह हिंसा-मुक्त नहीं हो सकता । हिंसा की आग उसके अन्तर्गतम् में जलती रहती है । इसलिए केवल निषेधात्मक अहिंसा ही काफी नहीं, विद्यात्मक अहिंसा की भी अपेक्षा है । जैनागमों में इस भावना का विकास हुआ और तथ्य उभरा । प्रत्येक प्राणी के साथ मैत्री करो (मैत्ति भूएसु कप्पए), किसी को वैरी मत मानो । जैन दर्शन के अनुसार अहिंसा के साधक का प्रतिज्ञा-मन्त्र है—“मेरी सब प्राणियों के साथ मैत्री है, किसी के साथ वैर-भावना नहीं ।” विरोधी और विद्वेषी के प्रति जब उक्त भाव मनुष्य के मन में उत्पन्न हो जाता है तब उसके समग्र व्यवहार में मृदुता आ जाती है । कोई कटुता नहीं रहती । उसे एक शान्ति की अनुभूति होती है । इस सबकी प्रतिक्रिया उसके विपक्षी पर भी होती है । उसके मन में भी सद्भावना और सहानुभूति जागृत होती है । मानव-समाज की शान्ति और भलाई के लिए यह मैत्री-भावना बहुत अपेक्षित है । युद्धों की आग वैमनस्य, विद्वेष और पारस्परिक तनावों के कारण ही भड़कती है ।

आचाराग सूत्र में आया है कि कुछ लोग इसलिए मारते हैं कि उन्होंने उन्हे मारा है । कुछ इसलिए मारते हैं कि लोग उन्हें मारते हैं । और कुछ लोग इसलिए हिंसा करते हैं कि वे उन्हे आगे मारेंगे । हिंसा के इन तीनों

प्रकारो मे द्वेष, वैर और भय व्याप्त है। अहिंसक को निर्द्वेष, निर्वैर और निर्भय होना होगा।

धृणा, कटुता और विद्वेष, ईर्ष्या और सकीर्णता आदि दुर्गुण वैयक्तिक शाति और विकास के तो अवरोधक हैं ही, उससे कही अधिक सामाजिक और राष्ट्रीय अवनति और खलेश के कारण है। निश्चित ही ये हिंसा के कारण बनते हैं।

जैन दर्शन ने अहिंसा के सूक्ष्म को बहुत प्रबल, पुष्ट और समर्थ बनाया है। भगवान् महावीर के समय हिंसा का बड़ा बोलबाला था। चारो और हिंसक क्रियाकाण्डो की धूम मची थी। यज्ञो मे मूक प्राणियों की तो बलि दी ही जाती थी, साथ ही सामाजिक विप्रमता बढ़े पैमाने पर फैली हुई थी। मनुष्य-मनुष्य मे भेदरेखा खीची हुई थी। किसी को उच्च और किसी को नीच माना जाता था। स्त्रियों की भी बड़ी दुर्देशा थी।

भगवान् महावीर ने यह हृदयद्रावक दूश्य देखा तो उनका हृदय काप उठा। उन्होने इस हिंसक वातावरण को परिवर्तित करने का प्रण किया। निर्भय होकर अहिंसक क्रान्ति की। उन्होने उच्च स्वर मे कहा—“याज्ञिकी हिंसा हिंसा न भवति”—यह सिद्धान्त गलत है। हिंसा हर अवस्था मे हिंसा ही रहती है। वह किसी उद्देश्य से की जाए, उसका हिंसापन मिट नहीं जाता। जातिवाद का भी उन्होने खण्डन किया और कहा—त्याग और सत्पस्या ही विशेष है, कोई जाति विशेष नहीं। उन्होने उद्घोषणा की—सब भनुष्य समान हैं, कोई अतिरिक्त अथवा हीन नहीं। इसी प्रकार उन्होने स्त्रियों को भी पुरुषों के समान बताया। उन्हे भी आत्म-विकास और आत्मोन्नयन का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को। यो उन्होने अहिंसक क्रान्ति का विगुल बजा दिया। तात्कालिक स्वार्थप्रवण और रुद्धिशस्त्र लोग इसे सुनकर बोखला उठे। भगवान् महावीर का विरोध किया किन्तु महावीरकृत क्रान्ति सबके हित मे थी। सबकी भलाई उसमे गर्भित थी। इसलिए उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। हिंसा के स्थान पर अहिंसा की प्रतिष्ठा हुई।

महात्मा गांधी ने अहिंसा का जो प्रयोग किया उसका भी बड़े पैमाने पर असर हुआ। भारत में तो एक नीतिकता की ज्योति जली ही पर साथ ही भारत के बाहर भी उसका प्रकाश फैला। दूर-दूर तक अहिंसा के इस नये प्रयोग की गूज पहुची। विचारक लोग इस प्रक्रिया से आकृष्ट हुए। निशस्त्र लोगों का एक साम्राज्य के साथ यो खिड जाना वास्तव में एक निराली और दिलचस्प घटना थी। किन्तु यथार्थ वात यह है कि आत्म-शक्ति अनन्त है। वह एटम बमो, तलबारो और हिंसा के तूफानों से क्षत-विक्षत नहीं हो सकती।

महात्मा गांधी की अहिंसा का स्वरूप भी विशाल था। उन्होंने अपनी अहिंसा की परिभाषा करते हुए कहा था—“अहिंसा के माने सूक्ष्म जन्तुओं से लेकर मनुष्य तक सभी [जीवों के] प्रति समभाव (मगल प्रभाव, पृ० ८१)। उनकी अहिंसा किसी समाज या राष्ट्र से बधी नहीं थी। एक की सुरक्षा में जो दूसरों को हानि पहुचाए वह अहिंसा शुद्ध नहीं रह जाती। अपने विरोधियों का भी बुरा न चाहना अहिंसा की सार्थकता है।” गांधीजी ने इसी भावना के आधार पर कहा था कि “मैं भारत की सेवा करने के लिए इग्लैड या जर्मनी को हानि नहीं पहुचाऊगा।”

उन्हे अहिंसा पर पूर्ण आस्था थी। मनुष्य की अन्तिम सिद्धि को वे इसी के सन्दर्भ में देखते थे। एक जगह उन्होंने कहा है—“मेरे हृदय में तो आधी सदी के निरन्तर अनुभव और प्रयोग के बाद इतना तिंशक विश्वास है और ऐसा विश्वास पहले से ज्वलन्त हो गया है कि केवल अहिंसा में ही मानव-जाति का उद्धार निहित है।”

वैर-विरोध और अपराध न हो तब तो अहिंसा स्वयं फलित है। किन्तु जब वैर हो अथवा आदमी कोई अपराध कर वैठता है तब मनुष्य अपनी उत्तेजना पर कितना सर्यम रखता है, इसी पर उसकी सौहार्द भावना की कसीटी होती है। उस दशा में मनुष्य का धैर्य प्राय ढोल जाता है और वह हिंसा पर उतारू हो जाता है। किन्तु वहां दण्ड-विधान कोई वास्तविक हल नहीं। सुधार के लिए सद्भावना और प्रेम आवश्यक है। दुद्धिमत्ता के

साथ प्रेम और सहानुभूति के व्यवहार से ही अपराधी की सद्वृत्तिया जागृत हो सकती है। कठोर दण्ड केवल अपराधी के लिए ही हानिकारक नहीं है, बल्कि जेल के कर्मचारियों के लिए और समाज के लिए भी हानिकारक है। इसलिए अहिंसात्मक उपायों से सुधार करना ही एकमात्र मार्ग है।

वैसे तो अहिंसा हर व्यवहार में माला के फूलों में धागे के समान ओत-ओत है। जीवन का कोई पहलू उससे अछूता नहीं रहता। किन्तु गांधीजी ने उसका राजनीति में अभिनव प्रयोग किया था। लोगों की धारणा में राजनीति एक कूटनीति मान है। गांधीजी ने कहा—राजनीति व्यक्ति व समाज को संतुलित बनाने का उपकरण है। मैं राजनीति में धर्म की पुष्ट देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हमारी आखो के सामने और हमारे पीछे राज्य-शासन की कला वर्चरता से परिपूर्ण है, अगर मुझे विरोधाभास की आपा का प्रयोग करने दिया जाए तो मैं कहूँगा कि अभी तो लोगों में राज्य-शासन की कला का विचार ही नहीं बना है। शासन कला का उद्देश्य तो यह है कि समाज और व्यक्ति के जीवन की धाराओं में सतुलन और समत्व हो। उक्त विचार पाश्चात्य लोक ढान सालवें और डीमेंडिया गर के हैं। इन्हीं विचारों को पुष्ट करने वाले सेनिन के विचार हैं—लोगों को प्राण-दण्ड देना, हृदयहीन होकर उनकी खोपड़िया फोड़ना एक अत्यत निर्दयता-पूर्ण और कठिन कार्य है, जबकि हिंसा को निर्भूल करना ही अन्तिम राजनीतिक आदर्श है। इन सब विचारों का प्रतिफलित यह है कि राजनीतिक कोरी तिकड़मबाजी अथवा शोपण की विधि नहीं है। वह जनता की भलाई की चीज़ है। उससे लोगों को सुव्यवस्था, न्याय और शान्ति मिलनी चाहिए। इसलिए महात्माजी ने उसे धर्म से अनुग्राणित करने का प्रयत्न किया।

गांधीजी ने वर्ग-संघर्ष को मिटाने का भी प्रयत्न किया। जातीयता और वर्ग-संघर्ष के कारण समाज और राष्ट्र में बड़ी विसंगति आती है। पारस्परिक तनाव किसी भी उन्नति में अग्रसर नहीं होने देते। इस

सभन्या को उन्होंने भौतिक और साहानुभूति के बन पर सुलझाया। हरिजन-चद्वार का आर्थिक वडी आत्मीयता से किया। इन सब कार्यों में उनकी व्यापक अहिंसा-निष्ठा और एकत्र्य की धारणा ही काम करती थी।

महात्माजी के हृदय पर अहिंसा बहुत गहरी अकित हो चुकी थी, उस पर उनका अधिचन विश्वास था। उन्होंने कहा है—“कठोरतम धातु काफी धाता से नरग हो जाती है, इस प्रकार कठोरतम हृदय भी अहिंसा की पर्याप्त आन लगाने से पिछल जाना चाहिए। और अहिंसा कितनी आच पैदा कर सकती है दूसकी कोई सीमा नहीं। अपनी आघी भत्ताल्दी के अनुभव में मेरे सामने एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं आयी जब मुझे यह नहना पड़ा हो कि मैं अगहाय हूँ और मेरी अहिंसा निरूपाय हो गई।”

जैन दर्शन में सत्य-साधना की बड़ी गरिमा है। सत्य की भगवान् माना है (सच्चं भयय) और सासार में उसे ही सारभूत माना है (सच्च लोयम्मि सार भूय), इसलिए सत्य को जानने की ही प्रेरणा दी गई है (पुरिसा सच्चमेव समग्निजाणाहि)। अपनी दुष्टि को सत्यान्वेषण में लगाओ (सच्चम्मिधिद कुव्वहा) और सत्य में उपस्थित होकर ही मेघावी मृत्यु का अतिक्रमण करता है (सच्चस उवटुए मेहावी मार तरइ)।

सत्य की परिभाषा भी बड़ी व्यापक है। सत्य का अर्थ है ‘सद्भ्यो हित सत्य’—अर्थात् अस्तित्वमात्र का जो हित है—वह सत्य है। सत्य का आशय है यथार्थ, यथार्थ को पहचानना और उसकी साधना करना। यही जीवन का उद्देश्य है। सत्य के निकट पहुचा व्यक्ति परम पवित्र और भास्वर बन जाता है।

सत्य की पहचान तब होती है जब मनुष्य का चिन्तन उन्मुक्त और आखे खुली होती है। अभिनिविष्ट और आवद्ध व्यक्ति सत्य को नहीं पा सकता। सत्य को कोई अपने घेरे में बन्द नहीं कर सकता। वह एक विराट् तत्त्व है। अपने ही विचार को पूर्ण मानने वाला बहुधा आग्रह-ग्रस्त होकर ‘असत्य उपासक बन जाता है।

जैन दर्शन ने वस्तु को अनन्त धर्मात्मक माना है। उसको जानने के लिए अनेक पहलू हैं। वस्तु के किसी एक धर्म पर ही अड़ना सत्य का तिरस्कार करना है। जैन दर्शन नय दृष्टि के आधार पर हर चिन्तन और धर्म को सत्याश मानता है।

सत्य जितना गौरवपूर्ण है उतनी ही उसकी उपलब्धि कठिन है। सत्यानुसन्धान में बहुत-सी वाधाए हैं। ग्रन्थों में कहा है—सत्य का मुख स्वर्ण-पात्र से ढका हुआ है (हिरण्यमये न पात्रे ण सत्यस्य पिहित मुखम्)। मनुष्य उस तक पहुच नहीं पाता, बहुधा बाहर ही बटक जाता है। बाहर की चकाचौंध को भेदकर उसके अन्तर्दर्शन पाना महान् अध्यवसाय का विषय होता है। मात्र सत्य की श्रद्धा ही सत्य का द्वार खोलती है।

महात्मा गांधी के विचारों में भी सत्य की बड़ी प्रतिष्ठा है। उन्होंने भी जैन दर्शन की तरह कहा है—“सत्य से परे और कोई ईश्वर नहीं है। सत्य ही सर्वप्रथम खोजने की वस्तु है।” एक जगह कहा है, “मेरे निकट तो सत्य ही सर्वोपरि है और उसमें अनगिनत वस्तुओं का समावेश हो जाता है। यह सत्य केवल हमारा कल्पनागत सत्य ही नहीं है, अपितु स्वतन्त्र, चिर-स्थायी सत्य अर्थात् स्वयं परमेश्वर है।”

गांधीजी ने जीवन को सत्य के समर्पित माना है और उसके बिना किसी धर्म, नियम की कल्पना नहीं की। उनका एक गम्भीर वचन है—“सत्य की भक्ति के कारण ही हमारी हस्ती हो। उसी के लिए हमारा हर एक काम, हर एक प्रवृत्ति, हो, उसी के लिए हम हर सास लें। ऐसा करना हम सीखें तो हूँसरे सब नियमों के पास भी आसानी से पहुच सकते हैं, और उनका पालन भी आसान हो जाएगा। सत्य के बिना किसी भी नियम का शुद्ध पालन नामुमकिन है।” यो गांधीजी ने सत्य को परम धर्म और सर्वोत्कृष्ट शक्ति माना था और उसी आराधना में आत्मोत्सर्ग कर दिया था।

भगवान् महावीर की दृष्टि में जातिवाद

विश्व में साम्य की भापणों में जितनी प्रखर चर्चा चल रही है, व्यवहार में उस पर उतना ही सबल आधात हो रहा है। विभिन्न बहानों के नाम पर प्राणी एकत्व को विदीर्ण एवं छिन्न-भिन्न किया जा रहा है। भगवान् महावीर ने कहा था—“सब प्राणी एक समान हैं, विशालकाय हाथी से लेकर क्षुद्र चीटी तक मेरे जीवन की समान आकाशा है। कीट-पतंग, पशु-पक्षी और मनुष्य, सब जीवों को जीवन प्रिय है, सबको ही सुख की कामना है, कोई भी दुःख नहीं चाहता।”

भगवान् महावीर ने प्राणी-मात्र को एक बताया है पर दूसरे लघु प्राणियों की बात तो बहुत दूर, मनुष्य को मनुष्य से नफरत हो गयी है, मनुष्य-मनुष्य के बीच भी भेद की दीवार खड़ी कर रखी है। वह माननीय एकता भी स्वीकार नहीं करता। वहाँ भी देश, क्षेत्र, रग, लिंग, जाति, धर्म और ऊन-नीच के नाम पर टूटकर रहा है। ‘मनुष्य-मनुष्य एक है’—इसको खड़ित कर वैर-विरोधी को उत्पन्न कर रहा है। उग्र तनावों और भीषण उत्तेजनाओं का वातावरण बना रहा है, निर्बल और असहाय मनुष्यों पर अत्याचार ढहा रहा है।

यह विघटन श्रमण भगवान् महावीर के समय में भी प्रबल वेग से चल रहा था। खासकर जातिवाद की बड़ी आपाधारी थी। लोग अपनी ही कल्पना से बढ़े और महान् बने हुए थे। विकास, प्रगति और प्रतिष्ठा के सब अधिकार अपनी मुट्ठी में बन्द कर रखे थे। ‘स्त्री शूद्री नाधीयताम्’ का उद्धोष करके स्त्री और शूद्र को तो एकदम अयोग्य ही छहरा दिया

था । मनुष्य के लिए अस्पृश्य बन गया था ।

भगवान् महावीर ने इस विपाक्त वातावरण को अमृतमय बनाने के लिए जाति का शख फूका । उन्होंने उच्च स्वर से उद्घोषणा की—

“कोई भी मनुष्य जन्म से महान् और प्रतिष्ठित नहीं बनता, गुणों से और उच्च आचरणों से ही व्यक्ति बड़ा और महत्त्व-योग्य बनता है ।” उन्होंने जाति-प्रतिष्ठा का निराकरण करते हुए कहा—“कम्मुणा वभणो होई, कम्मुणा होइ खत्तिभो । कम्मुणा वझसो होई, सुहो हवह कम्मुणा ।”

(उत्त० २५-३३)

अर्थात् कर्म से ही कोई मनुष्य ब्राह्मण होता है और कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र बनता है ।

भगवान् महावीर ने बाहर के मुखीटों पर पूरी चोट की । उन्होंने आचरणों का ही मूल्यांकन किया । बाहु वेश का खण्डन करते हुए उन्होंने कहा है—

न वि मुडिएण समणो, न ओकारेण वभणो,

न मुणी रण वासेण कुस चीरेण न तावसो

—सिर मुण्डित कर लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं होता, केवल ‘ऊ’ का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, अरथवासी होने मात्र से कोई मुनि नहीं होता और बल्कल-चौर धारण मात्र से कोई तपस्वी नहीं होता ।

समयाए समणो होइ, वभचेरेण वभणो ।

नाणेण यमुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥

—अर्थात् समरा की साधना से ही मनुष्य श्रमण बनता है और ब्रह्मचर्य की साधना से ब्राह्मण । आत्मज्ञान से ही कोई मुनि बनता है और तप से ही कोई तपस्वी बनता है ।

भगवान् महावीर ने निर्भय होकर कहा—यहा प्रत्यक्ष ही तपस्या, सत्कर्म और साधना ही विशेष है, जाति की कोई गरिमा नहीं है । (चडाल) इवपाक कुल में पैदा होकर भी हरिकेश श्रमण तप-कर्म से

४६ जैन दर्शन के परिपार्श्व में

महान् बन गए।

जैन दर्शन का निषिद्धत अभिभवत है कि जाति की कोई ज्येष्ठता नहीं है, मनुष्य गुणों एवं कर्मों से ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनता है। ("नहिं जन्मनि ज्येष्ठत्व, ज्येष्ठत्व गुण उच्चते")

"उदात्त भावना और उदार गुणों के आधार पर ही उच्च जाति का निर्माण होता है। आचार-अप्ल और गुण-शूल्य होने पर बड़ी से बड़ी जाति भी नप्ट हो जाती है।

वस्तुत तो मानव जाति एक ही है—मनुष्य-मनुष्य एक है। चाहे वह कही का जन्मा हो, किसी रंग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इन ऊपर के भेदों से उनमें कोई भेद नहीं आता। सकीर्ण विचारधारा से व्यर्थ ही मनुष्य-मनुष्य के बीच खाई खोद दी जाती है। भगवान् महावीर ने भेद की इस खाई को पाटने का प्रयास किया था। टूटी हुई शूखला को पुन जोड़ने की दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उन्होंने कहा था—“नो हीणे नो अइस्ते”—जाति से न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा। मनुष्य-मनुष्य सब समान हैं। मनुष्य की एक जाति है (मनुष्य जाति ऐकीवं)।

भगवान् महावीर के इस क्रान्तिकारी कदम का समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों के चिन्तन में मौलिक परिवर्तन आ गया। भगवान् महावीर के समकालीन प्रबुद्ध चेता भगवान् गौतम बुद्ध ने महावीर के समान ही अपनी आवाज बुलन्द की—

“न जच्चा वसलोहोइ, न जच्चा होति नाहाणो

कम्मुना वसलोहोइ, कम्मुना होति नाहाणो”

—जाति से कोई वैश्य नहीं होता है और न कोई जाति से नाहाण होता है। कर्म से ही मनुष्य वैश्य बनता है और कर्म से ही नाहाण।

शील, सन्तोष, सयम और सेवा आदि महान् गुणों से ही जाति महान बनती है, केवल जन्म से कोई भी जाति बड़ी नहीं होती। यह विचारधारा अमात्मा के द्वेष में प्रवाहित द्वेषों लगी। कवि शार्ङ्ग धर ने इसी विचार को

पूष्ट करते हुए कहा है—

“गुणनर्चन्ति जन्मना न जाति केवला क्वचित्

स्फटिक भाजन भग्न काकिन्यापि न गृह्णते”

—सर्वत्र भनुष्य के गुणों की ही पूजा होती है, केवल जाति की कोई महिमा और मूल्य नहीं है। स्फटिक का फूटा हुआ पाद कोई कानी कौड़ी में भी नहीं खरीदता, विषाक्त हुए दूध का पान कोई नहीं करता, हुर्गन्ध-ग्रस्त गुलाब के पूष्प को कोई नहीं सूखना चाहता।

समाज में मूलत आचार की ही प्रतिष्ठा है। धन, ऐश्वर्य, पद और जाति का कोई महत्त्व नहीं है। आचार-भ्रष्ट की कोई रक्षा नहीं कर सकता। वैदिक सूक्त है—“आचार हीन न पुनर्लिति वेदा”—आचारहीन को वेद पावन नहीं बना सकते। उच्च जाति में पैदा हुआ व्यक्ति भी यदि हुर्गुणी एवं दुर्व्यस्ती है तो वह साक्षात् चण्डाल ही है, क्योंकि चण्डाल कोई जाति से नहीं, कर्म और व्यवहार से ही बनता है। किसी कवि का बड़ा मार्मिक पद्धति है—

“जपो नास्ति तपो नास्ति, नास्ति चेन्द्रिय निग्रह.

दया दान दमो नास्ति, इति चण्डाल लक्षणम्”

—जप, तप, सयम, दया और दान आदि कोई भी गुण जिसमें नहीं है, वह चाहे किसी भी जाति में जन्मा हो साक्षात् चण्डाल के लक्षणों से युक्त है।

जातिवाद के विरोध में भगवान् महावीर के आनंदोलन ने बहुत जन-जागरण किया। उसके बाद महात्मा गांधी ने भी व्यापक स्तर पर कार्य किया। फिर भी इस धाव को पूरा भरा नहीं जा सका है।

आज अस्पृश्यता भारतीय संविधान के द्वारा अपराध घोषित है। शूद्र जाति में उत्पन्न भनुष्य भी मनुष्य के समान ही होता है। उसके भी उच्च समझी जाने वाली जाति के मनुष्यों के समान महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मानव-माल को भी उतना ही समझत है, फिर भी समाज में आज तक यह समझ नहीं आयी है कि उसको समकक्ष मानकर मानवीय धरातल का सम्मान दिया जाए और मनुष्य एकता का गौरव बढ़ाया जाए।

भगवान् महावीर और नारी-जागृति

जागरण की लहर

भगवान् महावीर का युग जागरण का युग था। प्रत्येक क्षेत्र जागृति की सुरक्षिता से अभिधिकत हुआ था। जैसे सूर्योदय होते ही समग्र वातावरण परिवर्तित हो जाता है, सब स्थानों में प्रकाश पहुँच जाता है और समस्त प्राणी जाग उठते हैं, वैसे ही भगवान् महावीर को आत्मज्ञान होते ही जागरण की एक कमनीय लहर समग्र क्षेत्रों में दौड़ गई थी। जीवन का प्रत्येक स्पन्दन पुलकित और झटकत हो उठा था। सब जगह एक नई ज्योति प्रसारित और सचारित हो गई थी। जागरण की लहरी उत्तरोत्तर विशाल बनती गई थी।

तत्कालीन विपर्यय

उस समय सबसे बड़ा विपर्यय मान्यताओं में था। सिद्धान्त बहुत ही भ्रामक और विपरीत प्रचलित हो गये थे। आत्मा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया था। अपने सुख-दुःख का अधीश व्यक्ति नहीं, किन्तु भगवान् था। मनुष्यों में इस प्रकार के विचार संप्रेषित किये जाते थे कि वे अपने को हीन-दीन और ईश्वर के हाथ की कठपुतली समझें। जाति-गवं और जाति-हीनता की कृत्सित धारणा भी बड़े विशाल दायरे में फैली हुई थी। नारी को एक तुच्छ दासी से अधिक तुच्छ नहीं माना जाता था। उसके सब अधिकार कुचल दिये गये थे।

महावीर की क्राति

भगवान् महावीर ने इन सब विषयों में अपने प्रज्ञा व साधना-बल से अद्भुत क्रान्ति की। नए सिरे से सिद्धान्तों की स्थापना कर समस्त जनता को विना किसी भेद-भाव के दिव्य दृष्टि प्रदान की। भगवान् महावीर ने व्यक्ति को उच्च और श्रेष्ठ जाति तथा ऐश्वर्य से नहीं किन्तु सदाचार एवं सद्गुणों के आधार पर माना।

अपने सुख-दुख का, उन्नति-अवनति का, प्रगति-प्रतिगति और विकास एवं ह्रास का समग्र उत्तरदायित्व व्यक्ति को सौंपा। उसको ही अपने जीवन का निर्माता, अपने भाग्य का विद्वाता माना और उसे उच्च से उच्च आत्म-विकास के लिए उद्दुद्ध एवं उद्युक्त किया।

भगवान् महावीर ने प्राणी-एकत्व तथा प्राणी-समत्व की प्रतिष्ठा की। उन्होंने उद्घोषणा की—“प्राणी-प्राणी परम स्वरूप से एक है, सब समान हैं और सबको आत्मिक विकास के लिए सदृश अधिकार हैं। उच्च-नीच की रेखा खीचकर उनमें भेद ढालना भ्रापाप है। बड़े-छोटे की दीवार खड़ी करना असामाजिक और अमानवीय है।”

धर्म और ईश्वर के नाम पर मूक प्राणियों की आहुति देना घोर पाप है और निबंल जीवों पर भीषण अत्याचार है।

नारी-जागृति

भगवान् महावीर की दृष्टि परम सूक्ष्म थी। उसमें अन्तिम सत्य ही प्रतिविम्बित हुआ था। भेद जो वास्तविक नहीं है, केवल कल्पना, अज्ञान और विभाव से प्रसूत है, उनकी सम्पत्ति में कभी नहीं उत्तर पाया। आत्मा में उन्हे कभी भेद दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उन्होंने कहा—आत्मा आत्मा ही है। “न इत्यी, न पुरुषे, न अन्नहा” (आचाराग) —वह न स्त्री है, न पुरुष और न अन्य कुछ। वाह्य क्षमताओं के आधार पर उसमें भेद नहीं होता। अन्तिम अर्थ में वह एक समान है।

भगवान् महावीर की चेतना में स्त्री-पुरुष का भेद आया ही नहीं। उन्होंने आध्यात्मिक विकास और स्वसाधना के लिए उनमें कोई रेखा नहीं खीची। जिस परम पद को पुरुष पा सकता है, उसको नारी भी अपने में प्रकट कर सकती है। भगवान् महावीर ने नारी-स्वातंत्र्य और नारी-समत्व की घोषणा ही नहीं की अपितु व्यावहारिक क्षेत्र में उसकी सफल अवतारणा भी की। राजकुमारी चन्दनवाला जो विक्रीत होकर दासी जीवन व्यतीत कर रही थी, उन्होंने उसे दीक्षित कर ३६००० साधिवयों की मुखिया बनाया।

सामूहिक समाज ही सामृद्धी को भी हर पद को अधिकारिणी होने का विधान बनाया। उपाध्याया और आचार्या तक के व्यवस्था पद उसके लिए उन्मुक्त किये।

तत्कालीन समाज में नारी का स्थान

तत्कालीन समाज-व्यवस्था में नारी पूर्ण रूप से उपेक्षित और पद-दलित कर दी गयी थी। उसका समाज में कोई स्थान नहीं रह गया था। वह मातृ भोग की सामग्री समझी जाती थी। उसे शिक्षा के अधोग्रह करार दे दिया गया था। ‘स्त्री शूद्री नाधीयताम्’—ऐसे अत्याचारमूलक सूत्र ग्रथित किये गये। उसे जीतदासी से अधिक कुछ नहीं माना जाता था। आत्मिक उत्थान और धार्मिक आचरण पर भी उसे कोई स्वतंत्रता नहीं थी। उसके चारों ओर ऐसी मजबूत दीवारें खड़ी कर दी गयी थीं कि वह अपने विषय में कोई भी आवाज बुलान्द नहीं कर पाती थी।

निरन्तर की उपेक्षा और प्रबल आघातों से महिला-समाज में हीन भावना घर कर गई थी। अपने सामग्र्यों और स्वतंत्र को उदीप्त तथा विकसित करने का आव कुण्ठित बन चुका था। अपने औचित्य के विषय में उसका मन टूट चुका था। समाज का एक सबल अग पोषण के अभाव में अक्षम और बेकार बनता चला जा रहा था।

भगवान् महावीर ने जो कि समत्व के प्रहृती थे, निर्भयतापूर्वक नारी-

जागरण का विगुल बजाया। उन्होंने अनेक महारानियों और राजकुमारियों के जीवन में चैतन्य की ज्योति जलाई। तुच्छ से तुच्छ अबोध समझी जाने वाली अबलाओं में भी उन्होंने उच्छ एवं महान् भावनाओं को प्रतिष्ठित किया। साध्वियों के समान ही उनकी आविकाओं की सख्त्य भी बड़ी विशाल थी। अनेक श्रमणोपासिकाएं धर्म-श्रद्धा और धर्म-दृढ़ता में अद्वितीय थीं एवं कुछेक तत्त्वज्ञान और धर्म-चर्चा में बहुत निपुण थीं। सुलसा, जयन्ती, रेवन्ती आदि अनेक आविकाएं ऐसी थीं, जो किसी दिग्गज विद्वान् से भी बिना क्षिक्षक धर्म-विवाद कर सकती थीं। विवाद ही नहीं, अपने तर्क, श्रद्धा, आचार और प्रतिभा बल से उन्हें निरुत्तर कर उन्हें परास्त कर डालती थीं।

जैन धर्म में स्त्री का गौरव सदा से रहा है। इस अवसर्पिणी काल में सर्वप्रथम मुक्तिनगमन का श्रेष्ठतम श्रेय श्री ऋषभनाथ स्वामी की मातुश्री भर्णदेवा को है, जिन्होंने हाथी पर बैठे-बैठे निर्मोह दशा में उत्तर-कर कैवल्य प्राप्त किया।

ब्राह्मी, सुन्दरी जो कि आदिनाथ भगवान् की पुत्रियां थीं, प्रवृत्तित बनकर परम तत्त्व में लीन हुईं। ब्राह्मी के निर्देशन में तीन लाख साध्वियों का विशाल सघ था। पाश्वनाथ के काल में पुष्पचूला साध्वीप्रमुखा थीं। उनकी देख-रेख में ३८,००० साध्विया थीं।

मल्लीकुमारी जो उन्नीसवीं तीर्थंकर हुई हैं, जैन का सबसे उत्कृष्ट और सर्वोत्तम पद उसने पाया।

राजीमति, जिससे भगवान् नेमिनाथ ने पशुओं का करण क्रन्दन सुनकर मुह मोड़ लिया था, विरह-विदर्घ बनकर विभ्रान्त नहीं बनी, प्रत्युत विवेकपूर्वक परम साध्य के लिए अग्रसर हुई थी और पतित होते रथ नेमि को उद्वोध देकर बचाया था। कितने नाम लिये जाएं, अनेक ऐसी सन्नारिया हुई हैं जिन्होंने शील में, सहिष्णुता में और धर्म-श्रद्धा में पुरुषों से भी बढ़ा-चढ़ा शोर्य दिखाया है, जिनके उच्च आदर्शों के आगे मस्तक स्वयं विनीत हो जाता है।

५२ जैन दर्शन के परिपालन में

स्त्री समाज की निर्माता है, भरकिना है और भाग्य-विद्याता है। सन्तानों में स्स्कार-निर्माण का कार्य माताओं के हाथ में ही रहता है। वे जित गृहुता और सीहाद्रि में समाज में निर्माण का वरिष्ठ कार्य करती हैं, अनेक पिता भी नहीं कर सकते। किसी कवि ने बहुत ही महत्वपूर्ण उद्गार व्यक्त किये हैं—

“शहस्रतु पितृन् माता गौरवेणाति रिच्छते”

—हजारों पिताओं से एक माता गौरव में श्रेष्ठ होती है। किसी पात्रत्वात्म विचारक ने कहा—एक जननी भी अध्यापकों से बढ़कर स्स्कार-शिक्षा देती है।

‘मनुस्मृति’ में मनु गहर्षि ने भी नारी के प्रति वडी प्रतिष्ठामयी और उच्च भावना प्रकट की है—“थत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता”—जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। वस्तुतः ही नारी समाज का महत्वपूर्ण अर्धांग है। समाज-विकास के अनुष्ठान में पुरुष से भी अधिक भूमिका वह अदा करती है। उसे अशिक्षित, उपेक्षित और अधिकारहीन रखना समाज को अर्धांग विफाल बनाना है।

नारी यथार्थ में सदृगुणों का पूँज है। उसकी विभल विशेषताओं पर ही समाज का महाप्राप्ताद अविचल खड़ा है। इतिहास साक्षी है, लोगों ने उस पर भीयण अत्याचार किये हैं, पर उसकी सहिष्णुता कभी नहीं दूरी। कोई भी यातना का सूर्य उसकी सहिष्णुता को उत्तप्त नहीं कर सकता, विकट से विकट अत्याचार का तूफान उसकी सत्य-अद्वा को हिला नहीं सकता और कोई भी कष्ट का सागर उसके धैर्य को गला नहीं सकता। सहिष्णुता के विषय में वह पुरुष वर्ग के समक्ष एक उच्चादर्श है।

महिला वर्ग पुरुष वर्ग के समान ही हर कार्य का दक्षतापूर्वक सञ्चालन कर सकता है। आध्यात्मिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, व्यावसायिक आदि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपनी अद्भुत समता प्रदर्शित कर चुकी हैं। फिर भी पुरुष वर्ग उन्हे समानता का अधिकार नहीं दे पा रहा है। अपने पैरों तले रोदने की ताक में बैठा

है। देश-विदेश में नारी-स्वातन्त्र्य के कितने ही आनंदोलन चल रहे हैं, कितनी ही कान्ति की चिनगारिया उछल रही हैं, लेकिन पुरुष वर्ग की आत्मा अभी जागृत नहीं हो पायी।

पुरुष-समुदाय को यह पूर्ण निश्चय कर लेना चाहिए कि नारी के जागरण में ही समाज-जागरण निहित है। समाज का सर्वांगीण उत्थान एवं कल्याण महिला-उत्थान तथा महिला-कल्याण पर ही निर्भर है।

प्रस्तुत वर्ष भगवान् महाबीर निर्वाणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और साथ ही यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष भी उद्घोषित हो चुका है। ऐसे सुब्रवसर पर पुरुष वर्ग का कर्तव्य है कि नारी को शिक्षा-दीक्षा के लिए उन्मुक्त करे और उसके सर्वांगीण विकास के लिए उसको स्वामित्व सौंपकर समाज को उन्नति के शिखर पर चढ़ाए।

भगवान् महावीर की समत्व-साधना

भगवान् महावीर समत्व-साधना के महान् साथक थे। वे ज्ञान-स्थावर, छोटे-बड़े सब प्राणियों पर अमाव रखने वाले थे। वे निर्लेप और नि संग थे। उनकी दृष्टि में सब प्राणी आत्म-समान थे। उन्हे प्रिय, अप्रिय, अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर पाती थी। उनकी आत्मलीनता इतनी गहरी थी कि बाह्य वातावरण वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था। अपनी चेतना को उन्होंने इस प्रकार केन्द्रित कर लिया था कि उन्हे आत्मा के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर ही नहीं होता। “लाभालाभ में, सुख-दुःख में, जीवन-मृत्यु में, निन्दा-प्रशंसा में, भान और अपमान में वे परिपूर्ण समदर्शी थे।” सब अवस्थाएँ उनके लिए निर्विशेष थीं, सामान्य-विशेष की द्वन्द्वात्मक कोई कल्पना उन्हे नहीं सत्ताती थी।

सामान्य-विशेष, प्रिय-अप्रिय और अनुकूल-प्रतिकूल की भेदात्मक अनुशूतिया पूर्णता की नहीं अपूर्णता की हैं, अखण्डता की नहीं खण्डता की हैं। अपना-पराया, छोटा-बड़ा, हीन-उच्च—ये सब विभक्तिया खण्डता चेतना की कुद्र लहरें हैं, अखण्ड की नहीं। अविभक्त चेतना में सब समान हैं। सब पर सम दृष्टि है। सब आत्म-नुल्य हैं।

आत्मा की एकाग्रता में भिन्नता का बोध नहीं हो सकता। आत्मा जब अपने स्वभाव में लीन होती है तब कुछ भी बाह्य नहीं दीखता, कोई भी आकर्षण उसे खीच नहीं सकता और विकर्षण दूर नहीं कर सकता।

वैषम्य की अनुशूति आत्मा की एकरसता को भग करती है। मोह

और विद्वेष मूल चेतन्य को आवृत करते हैं, किसी प्रकार की भेदात्मक विकृतिया आत्म-स्वभाव को विकृत बनाती हैं। बन्धन और मोक्ष आत्मा की धारणाएँ ही हैं। बाहर न कोई बन्धन और न कोई मोक्ष। न कोई सुन्दर, न कोई असुन्दर। हर वस्तु अपने ही स्वभाव में अवस्थित है। अन्त करण की कल्पनाएँ उसे विभिन्न स्वरूप प्रदान करती हैं। मन में मोह हो तो एक विकने गोल ककर पर भी चेतना ठहर जाती है और मन विरक्त हो तो लाख रूपये का रत्न भी ककर से अधिक कुछ नहीं लगता। विकार हो तो स्त्री-शब में भी कामुकता की खोज की जा सकती है और मन निर्विकार हो तो साक्षात् रूपसी भी पौद्गलिक परिणाम के सिवाय कुछ नजर नहीं आता।

भगवान् महावीर ने अपने मन को दृष्टा बना लिया था। उनका मन हर समय तटस्थ रहता। ज्ञान-अलाभ, सुख-दुःख को वे दृष्टा भाव से देखते। न ज्ञान से उल्लास होता और न अलाभ से निराशा। न सुख से हृष्ण होता, न दुःख में विषाद। दर्पण में पर्वत भी प्रतिविम्बित होता है और छलाछल सरोवर भी। परदर्पण न भारी बनता है, न भीगता है। भगवान् महावीर के समझ भी रूपवती स्त्रिया मोहक निवेदन करती, वे उनके मधुर वचन सुनते, पर कुछ नहीं सुनते। उन पर ललित और मदिर शब्दों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। मद-विह्वल स्त्रियों के नृत्य भी उनकी दृष्टि के आगे से गुजरते पर उनकी चेतना में कुछ नहीं उतरता। वे जैसे स्थिर-वृत्ति और आत्म-सलीन होते, वैसे ही रहते। जरा भी चबलता अथवा क्षीभ वहा नहीं होता।

वाह्य वाह्य को ही प्रभावित करता है। वाह्य ही वाह्य से प्रभावित होता है। आन्तरिक पर वाह्य का कोई असर नहीं होता। आन्तरिक जब वाह्य से जुड़ जाता है, वाह्य से प्रकटित, प्रवचित और प्रताडित होने लगता है तब वह आन्तरिक नहीं रह पाता। उसकी स्व-निष्ठता दूट जाती है और उसका स्वरूप विकृत ही जाता है। महावीर की दृष्टि स्वरूप परिटिकी थी। अत उन्हें उससे भिन्न भी दृष्टिगोचर ही नहीं होता था।

मनुष्य का देखना लक्ष्य के अनुबन्ध में होता है। हम जिसे लक्ष्य धनाते हैं वही हमें दिखायी देता है। सम्पूर्ण चेतना से जब 'स्व' को ही लक्ष्य बना लिया जाए तब फिर 'पर' नहीं दिखायी देता। लक्ष्य से व्यतिरिक्त दिखायी देता है तो मतलब है लक्ष्य गहराई से बना नहीं। भटकन और भ्रामकता जारी है। दिशा निर्णीत होने के बाद उससे भिन्न दिशा में चिन्तन और चरण नहीं चलता।

भगवान् महावीर आत्म-दर्शन का लक्ष्य निर्धारित करके ही साधना-आरूढ़ हुए थे। आत्म-दर्शन, दूसरे शब्दों में आत्म-मुक्ति ही एक ऐसा स्थान है जहा जीव अक्षय-अव्यावाध शान्ति उपलब्ध करता है, जहा खरा, मृत्यु, वेदना, व्याधि और कोई रोग-शोक नहीं है।" भगवान् महावीर की दृष्टि पूर्ण आत्म-मुक्ति पर टिकी थी। शरीर का तो उन्होंने अन्तर्चेतना में उत्सर्ग-स्था ही कर दिया था। "बोसठूठ चत्त देहे...मुक्ति मनोण अप्याण भावेमाणे विहरई"—यह उनका स्वल्पकालीन लक्ष्य नहीं था, निरस्तर का था।

उनकी यह उत्कृष्ट साधना वाधा-कान्त और द्वन्द्वग्रस्त न हो जाए इसीलिए उन्होंने 'न धर्मं प्रचार किया, न उपदेश दिया, न शिष्य मुण्डित किए और न अनुयायी बनाए', किन्तु मौन रहकर सजगता से आत्म-साधना में जगे रहे।

चिलचिलाती धूप में और कड़ कड़ाती सर्दी में भी उनकी साधना समझावपूर्वक चलती थी। कैसा भी निवासस्थान उपलब्ध हो उनकी समवृत्ति में कोई अन्तर नहीं आता। न निर्जनता का भय सताता, न जन-सकुलता का कोलाहल विकृब्ध बनाता। न रमणीय स्थानों में मोह जागृत होता, न फूटे-टूटे साधारण गृहों में वितृष्णा विडम्बित करती। अक्सर वे निर्जन-झोपड़ों में, धर्मशालाओं में, पानी पिलाने के लिए बनी हुई प्यालओं में, सुहार-माली आदि की शालाओं में, शमशानों में, सूने घरों में और बृक्षों के नीचे अपनी ध्यान-साधना करते। इन स्थानों में उन्हें अनजान मनुष्यों एवं पशुओं द्वारा विविध उपद्रव एवं उपसर्ग दिये जाते पर वे सब

समभावपूर्वक सह जाते। उनकी चेतना इन अवसरों पर आनंदोलित नहीं होती।

जब भगवान् महावीर ने “लाट देश (धर्म से अनभिज्ञ प्रदेश) में विहार किया था तब वहां के निवासी अनायं लोग उन्हे लकड़ी से, मुक्के से, भाले के अग्र भाग से, पत्थर से और खप्पर से मारते और ‘यह भूत के समान कौन है?’ कहकर चिल्लाते। कभी कुत्ते भगवान् के पीछे लगा देते। वे ध्यानस्थ होते तब उन पर धूल बरसा जाते। कभी उन्हे ध्यान के आसन से ढिगाकर नीचे गिरा जाते पर श्रमण भगवान् महावीर हर दशा में समभाव रखते।”

भोजन के प्रति भी उनका मन बड़ा सतुरित था। रसो में उन्हे कोई आसक्ति नहीं थी। भिक्षा में भीगा, सूखा, ठण्डा, नीरस, सरस जैसा भी आहार उन्हे मिलता, लेकर अस्वाद वृत्ति से खा लेते।

“वे जब किसी गृह में भिक्षा के लिए प्रवेश करते उस समय यदि कोई भिखारी, श्रमण, ब्राह्मण, चण्डाल, कुत्ता और विल्ली द्वार पर या अन्दर खाना खाते देखते तो थोड़ा भी उन्हे विक्षेप नहीं करते। तत्काल वापस लौट जाते। किसी भी कारण किसी भी जीव को दुख न हो, उनकी साधना का एक प्रमुख अग था। जिस तरह मुझे दुख प्रिय नहीं है, उसी तरह सब प्राणियों को दुख प्रिय नहीं है। इसलिए न किसी को सताप दिया जाए और न दिलवाया जाए। यह उनकी अहिंसा-साधना थी।”

भगवान् महावीर सजग और समचित्त के स्वामी थे। सब प्रकार के बार सहते हुए भी वे कपाय-रहित अविचल भाव से अपने लक्ष्य पर अड़िग थे। वे जीवन-संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे। “जैसे संग्राम के मुख्य भाग में रहने वाला बलिष्ठ हाथी पराक्रमपूर्वक विजय प्राप्त करता है वैसे ही साधक-प्रेष्ठ भगवान् महावीर ने भी आन्तरिक युद्ध में अहिंसा, सत्य और सत्यम के शस्त्रों से विजय प्राप्त की।

इन्द्रिय-विषयों से पूर्णतः निरपेक्ष बनकर आत्म-ध्यान और आत्म-

४८ जैन दर्शन के परिपालक में

योग की सतत साधना के द्वारा उन्होंने दिव्य ज्ञान सर्वज्ञत्व प्राप्त किया। उनकी समत्व-साधना फलित हुई। सर्वज्ञ बनने के बाद उन्होंने तीर्थ-प्रवर्तन किया। प्राणिमात्र के उदय एवं कल्याण के लिए अपना दिव्य सन्देश दिया। उन्होंने सर्वप्रथम आस्थावाद की प्रतिष्ठा की।

उन्होंने कहा—“यह मत विश्वास करो कि जीव-अजीव, धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप, बन्धन-मोक्ष नहीं हैं, प्रत्युत्त विश्वास करो कि ये सब हैं।” आस्थावाद की नीव पर उन्होंने आत्मवाद, अहिंसावाद, अपरिग्रहवाद और अनेकान्तवाद का दर्शन दिया। तीस वर्ष तक वे पैदल परिग्रहण करते हुए अपना दिव्य ज्ञान जन-जन में फैलाते रहे। अन्त में सर्वथा सब बन्धनों का उच्छेद कर सिद्ध, बुढ़, मुक्त बने।

जैन सन्यस्त विद्वानों की संस्कृत-सेवा

जैनों का मूल वाह्यमय

जैनों का प्राचीनतम आगम-साहित्य प्राकृत भाषा में है। भगवान् महावीर की प्रकीर्ण वाणी को जब गणधरों ने सूत्र-रूप से ग्रथित किया तब वह गणिपिटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके मुख्य बारह अग थे। अत उसे द्वादशांगी भी कहा गया। गणिपिटक के अतिरिक्त उपाग, मूल, छद, प्रकीर्णक आदि साहित्य भी रचा गया। इनकी गणना भी आगम-साहित्य में की गई है। उसके पश्चात् उस साहित्य के पल्लवन के लिए आगमों पर व्याख्या-ग्रन्थ लिखे जाने लगे। जैनों द्वारा निर्युक्ति, भाष्य और चूर्ण रूप में प्राकृत की विशालकाय साहित्य-राशि है। निर्युक्तिकार द्वितीय भद्रवाहु ने विक्रम की पाचवी-छठी शताब्दी में 'निर्युक्तिया' लिखी थी। विभिन्न चूर्णिकारों ने विभिन्न समय में सतरह आगमों तथा अन्य ग्रन्थों पर चूर्णिया लिखी हैं। सातवीं शताब्दी के अकेले जिनदास गणि महत्तर की आठ चूर्णिया उपलब्ध हैं।

आगम साहित्य के अतिरिक्त

आगम-साहित्य के अतिरिक्त जैनाचार्यों ने प्राकृत मान्त्र में काव्य-साहित्य तथा कथा-साहित्य भी लिखा है। पादलिप्त की तरफ वै, विमलूसरि का पठमचरिय, संघदास गणी की बसुदेव हृष्णी और हरिभद्र की समराइच्च कहा आदि एतद्विषयक महत्त्वपूर्ण कृतियां हैं।

इसके अतिरिक्त व्याकरण निमित्त ज्योतिष, सामुद्रिक और आयुर्वेद आदि विद्यों पर भी प्राकृत मापा में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया है।

सस्कृत-साहित्य

जैन साहित्यकारों ने प्राकृत की तरह ही सस्कृत में भी विशाल साहित्य-सर्जन किया है। उपलब्ध जैन सस्कृत साहित्य में आचार्य उमास्वाति का तत्त्वार्थ सूक्त प्रथम ग्रन्थ माना जाता है। जैन दर्शन का परिचय पाने के लिए आज भी यह ग्रन्थ प्रमुख रूप से व्यवहृत होता है। उमास्वाति का समय तीसरी शताब्दी माना जाता है। उनका यह ग्रन्थ इतना मान्य हुआ कि विविध समयों में इसकी बीमों टीकाए लिखी गयी। सिद्धसेन, हरिभद्र, अकलक और विद्यानन्द जैसे ध्रुवधर विद्वानों ने भी अपने दार्शनिक मतव्यों की स्थापना के लिए तत्त्वार्थ सूक्त की टीकाए रखी। यहाँ तक कि अठारहवीं शताब्दी में जैन नव्य न्याय के स्थापक उपाध्याय यशोविजयजी ने भी अपनी नयी परिभाषा में इसकी टीका की। यह कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा कि अधिकाश जैन दार्शनिक साहित्य का विकास तत्त्वार्थ सूक्त को केन्द्र में रखकर ही हुआ है।

तदनन्तर तो जैन सस्कृत साहित्य का एक स्रोत ही उमड़ पड़ा। विशाल साहित्य का निर्माण हुआ। उस सबका परिचय देना तो एक बड़ा ग्रन्थ बना डालने जैसा कार्य है।

भारतीय दर्शनों में नव-जागरण

जब भारतीय दर्शनों में नवजागरण हुआ तब सभी और से खड़न-मठन की प्रवृत्ति बटी। युक्तियों का आदान-प्रदान हुआ। इस सघर्ष में पड़कर दार्शनिक साहित्य बहुत पुष्ट हुआ। जैनों ने भी अपने विचारों की सुरक्षा के लिए दर्शन-ग्रन्थ लिखे। उन्होंने जब अपनी कलम को दर्शन-शास्त्र की ओर मोड़ा तो बहुत शीघ्र ही अन्य दार्शनिक ग्रन्थों से टक्कर

लेने योग्य ग्रन्थों का निर्माण हुआ। इस क्रम में पहल करने वाले प्रचड़ तार्किक श्री सिद्धसेन दिवाकर थे। आगमों में विकीर्ण अनेकान्त के बीजों को पल्लवित करने तथा जैन न्याय की परिभाषाओं को व्यवस्थित करने का प्रथम प्रयास उनके ग्रन्थ न्यायावतार में ही मिलता है। उन्होंने जो बत्तीस द्वार्तिशिकाएं रची थीं उनमें भी उनकी प्रखर तात्त्विक प्रतिभा का चमत्कार देखने को मिलता है। समन्तभद्र भी इमों कोटि के दार्शनिक गिने जाते हैं। उनका समय कुछ इतिहासकार चतुर्थ शताब्दी और कुछ सप्तम शताब्दी बतलाते हैं। उनकी रचनाएं देवागम स्तोत्र, युक्तनुशासन और स्वयभू-स्तोत्र आदि हैं।

कुछ दर्शन ग्रन्थ

अकलक, विद्यानन्द, हरिभद्र, जिनसेन, सिद्धपि, हेमचन्द्र, देवसूरि, यशोविजय और आचार्यश्री तुलसी आदि अनेकानेक दार्शनिकों ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। दार्शनिक ग्रन्थों में न्यायावतार, युक्तनुशासन, आप्त मीमांसा, लघीयस्त्रय, अनेकान्त पताका, पट्टदर्शनसमुच्चय, आप्त-परीक्षा, प्रमाणमीमांसा, परीक्षामुख, वादमहार्णव, प्रमेय कमल मार्तंण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र, स्याद्वादोपनिषद, प्रमाण नयतत्वालोक, स्याद्वाद रत्नाकर, स्याद्वाद मजारी, जैन तर्कभाषा और भिक्षुन्यायकर्णिका आदि के नाम प्रमुख रूप से गिनाए जा सकते हैं।

न्याय ग्रन्थों की तरह ही सस्कृत-व्याकरण के क्षेत्र में भी जैनों का महत्त्वपूर्ण योग रहा है। जैनेन्द्र, स्वयभू, शाकटायन, शब्दाम्बोज भास्कर आदि सस्कृत व्याकरणों के पश्चात् आचार्य हेमचन्द्र का सर्वांग, पूर्ण, सिद्ध हेमशब्दानुशासनम् उस क्रम का उन्नत प्रयास कहा जा सकता है। उसके पश्चाद्वर्ती शब्दसिद्धि व्याकरण, मलयगिरि व्याकरण, विद्यानन्द व्याकरण और देवानन्द व्याकरण रहे हैं। ये सब तेरहवीं शती तक के हैं। व्याकरण-रचना का यह क्रम वही समाप्त नहीं हो गया। बीसवीं शती में तेरापधी अमण सघ के विद्वान् मुनि चौथमलजी ने भिक्षु 'शब्दानुशासनम्' नामक

६२ जैन दर्शन के परिपाश्व में

महा व्याकरण लिखकर उस कड़ी को वर्तमान काल तक पहुचा दिया है और लघु कौमुदी की तरह कालुकौमुदी और तुलसी-प्रभा भी रची गई हैं।

इसी प्रकार कोश-ग्रन्थों में धनजय नाममाला, अपवर्ग नाममाला, अमरकोश, अभिधान चिन्तामणि, शारदीया नाममाला आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं।

काव्य के क्षेत्र में भी जैन विद्वान् किसी से पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने अनेक उत्कृष्ट कोटि के काव्यों की रचना की है। उनमें पाइवाभ्युदय, द्विसधान काव्य, यशस्तिलक, भरतवाहुवलि महाकाव्य, द्वयाश्रयकाव्य, त्रिशष्ठिशलाका पुरुषचरित्र, नेमीनिवणि महाकाव्य, शान्तिनाथ महाकाव्य, पद्मानन्द महाकाव्य, धर्मभ्युदय महाकाव्य, जैन कुमार सम्भव, यशोधर चरित्र और पाडव चरित्र की गणना प्रमुख रूप से कराई जा सकती है।

नाटकों में सत्य हरिष्चन्द्र, राघवाभ्युदय, यदुविलास, रघुविलास, नलविलास, मल्लिकामकरद, रोहिणीमृगाक, बनमाला, चन्द्रलेखा विजय, मानमुद्रा-अजन, प्रबुद्ध रोहिणोय, मोह पराजय, करुणा बज्रायुद्ध, द्रौपदी स्वयंवर आदि नाटक उल्लेखनीय हैं। आचार्य हेमचन्द्र के प्रधान शिष्य रामचन्द्र सूरि ने अकेले ही अनेक नाटकों की रचना की थी। उनके नाटक बहुत विष्यात हुए हैं।

नाटकों की तरह ही जैन साहित्यकारों ने कथा-साहित्य भी बहुत मार्मिक लिखा है। उपमिति भवप्रपञ्चक, कुवलय माला, आराधना कोश, आख्यानमणि कोश, कथा रत्नसागर आदि कथा-साहित्य द्वारा जैन विद्वानों ने सस्कृत के कथा-साहित्य को भी अपूर्व देन दी। आदिपुराण, उत्तर-पुराण, शान्तिपुराण, महापुराण, हरिवशपुराण आदि ग्रन्थों से उनके पुराण साहित्य की समझ को भी अच्छी तरह से जाना जा सकता है।

विविध

इसी प्रकार नीति वाक्यामत, अर्हेन्नीति आदि नीतिग्रन्थ, समाधितक्त

योगदण्डि, योगसमुच्चय, योगविन्दु, योगशास्त्र, योगविद्या, अध्यात्म-रहस्य, ज्ञानार्णव, योगचिन्तामणि, योगदीपिका आदि योग सम्बन्धी ग्रन्थ, सिद्धान्त शेखर, ज्योतिष रत्नमाला, गणितिलक, भुवनदीपक, आरम्भसिद्धि, नारचन्द्र, ज्योतिसार आदि, ज्योतिष ग्रन्थ, छन्दोनुशासन जयकीर्ति छन्दोनुशासन, छन्दोरत्नावली आदि छन्द ग्रन्थ, काव्यानुशासन, अलकार चूडामणि, कविशिक्षा, वाग्भटालकार, कविकल्पनालता, अलकार प्रबोध, अलकार महोदधि आदि अलकार ग्रन्थ और भक्तामर कल्याण मदिर, एकीभाव स्तोत्र, जिनशतक, यमकस्तुति, वीरस्तव, वीतराग स्तोत्र, महादेव स्तोत्र, कार्यमठल स्तोत्र आदि ग्रन्थ अपने-अपने क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों में गिनाए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त जैन सिद्धान्त दीपिका, अश्रुवीणा, उत्तिष्ठित जाग्रत, रत्न परीक्षा, सगीतोपनिषद, सगीतसार, सगीत मठल, यन्त्रराज सिद्धयत्र, चक्रोद्धार, वैद्यसारोद्धार, वैद्यवल्लभ आदि ग्रन्थ भी जैन विद्वानों के विस्तीर्ण ज्ञान-क्षेत्र का बोध कराते हैं।

जैनेतर ग्रन्थों पर टीका-निर्माण

जैन विद्वानों ने बहुत से जैनेतर ग्रन्थों की टीकाए लिखी हैं। साहित्य क्षेत्र में उनका यह उदार दृष्टिकोण अभिनन्दनीय रहा है। अनेक ग्रन्थों की टीकाओं ने अतिशय स्थाति पायी है। जैनेतर ग्रन्थों पर लिखे गए कुछ प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ इस प्रकार हैं—पाणिनी व्याकरण पर शब्दावतार न्यास, दिड़नाग के न्याय पर प्रवेशवृत्ति, श्रीघर की न्याय कदली पर टीका, नागार्जुन की योग रत्नमाला पर वृत्ति, अक्षपाद के न्यायसूत्र पर टीका, वात्स्यायन के न्याय भाष्य पर टीका, भारद्वाज के वार्तिक पर टीका, वाचस्पति की तात्पर्य टीका पर टीका, उदयन की न्याय तात्पर्य परिशुद्धि की टीका, श्रीकठ की न्यायालकार वृत्ति की टीका। इनके अतिरिक्त मैघदूत, रघुवंश, कादम्बरी, नैपथ और कुमार आदि काव्यों की टीकाए सुप्रसिद्ध हैं।

नव्य एवं विचित्र प्रयोग

जैन विशारदों ने माहित्य के क्षेत्र में कुछ ऐसे नए तथा विचित्र प्रयोग भी किए हैं जो उनकी अगाध विद्वता का प्रमाण तो देते ही हैं परसाथ ही अपने प्रकार के केवल वे ही कहे जा सकते हैं। उदाहरणार्थं सत्रहवीं शताब्दी के जैन विद्वान् श्री समयसुन्दर का 'अष्टलक्षी' नामक ग्रन्थ गिनाया जा सकता है। उसमें 'राजानो ददते सीख्य'—इस एक पद के १०२२४०७ अर्थ किए गये। हैं ग्रन्थ के नामकरण में उन्होंने आठ लाख से कपर की सख्ता को शायद इसलिए छोड़ दिया कि भूल से कही कोई अर्थ पुनरावृत्त हो गया हो तो उसके लिए पहले से ही अवकाश छोड़ दिया जाए। आठ अक्षरों के आठ लाख अर्थ करना प्रतिभा का असाधारण भास्तर्य हो कहा जाएगा। उन्होंने वह ग्रन्थ स० १६४६ में सआट अकबर की विद्वान-मडली के समक्ष रखा तो सभी विद्वान् उनको इस विचित्र प्रतिभा से चमत्कृत हुए। शब्दों की अनेकार्थता के लिए वह ग्रन्थ एक प्रतिमान के रूप में ही कहा जा सकता है।

इसी प्रकार का एक अन्य विचित्र प्रयोग आचार्य कुमुदेन्दु ने अपने भूवलय नामक ग्रन्थ में किया है। वह ग्रन्थ अक्षरों में न होकर अको में है। एक से लगाकर-चौंसठ तक के अकों का उसमें विभिन्न अक्षरों के स्थान पर प्रयोग हुआ है। वह कोष्ठकों में ही लिखा गया है। उसकी सर्वाधिक विशेषता तो यह है कि उसे यदि सीधी लाइन में पढ़ा जाए तो एक भाषा के श्लोक पढ़े जाते हैं और खड़ी लाइन में पढ़ा जाए तो दूसरी भाषा के। इस प्रकार टेढ़ी लाइनों से पढ़े जाने पर अन्य भाषाओं के श्लोक सामने आ जाते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ अभी कुछ वर्ष पूर्व ही प्राप्त हुआ है। अभी उसे पूर्ण रूप से पढ़ा भी नहीं जा सकता है। वह एक वृहत्काय ग्रन्थ है और कहा जाता है कि अपने समय के सभी विषयों का उसमें समावेश किया गया है। उसमें उत्तर तथा दक्षिण भारत की भाषाओं ने तो स्थान पाया ही है, अरबी आदि अनेक अभारतीय भाषाओं का भी उसमें

प्रयोग हुआ है। कहा नहीं जा सकता कि उसके निर्माता कितनी भाषाओं के धुरधर विद्वान् थे और कितने विषयों में उनकी प्रतिभा ने चमत्कार दिखलाया था। वस्तुत ही यह कृति बेजोड़ है।

सस्कृत-विकास का नया कार्य

जैन विद्वानों ने जैसे सस्कृत साहित्य को अनेक अभूत्य देने दी, वैसे ही उन्होंने सस्कृत के लिए एक और भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया—वह था सस्कृत के विकास का और उसे जनभाषा का रूप देने का। उन्होंने इसके लिए प्रान्तीय शब्दों को अपनाना प्रारम्भ किया। आगमों की टीकाओं और कृतियों में प्रान्तीय भाषाओं के शब्द खुलकर अपनाए गये हैं। इन विद्वानों ने व्याकरण के दृढ़ नियन्त्रण को उतना महत्त्व नहीं दिया जितना कि भाव-अभिव्यक्तियों को। नये देशी शब्दों तथा धातुओं को अपने साहित्य में स्थान देकर उन्होंने आगामी पीढ़ी के सामने एक मार्ग प्रस्तुत किया। सम्भवतः भारतवर्ष की भाषा-समस्या का समुचित हल इसमें प्राप्त हो सकता है।

इस प्रकार जैनों ने सस्कृत की विशिष्ट सेवा की है और उसके साहित्य भडार को अपनी अनुपम कृतियों से भरा है तथा उसे पुष्ट और प्रसारित करने का प्रयास किया है।

शब्द-प्रमाण

दार्शनिक विचारधाराओं का पुष्टीकरण और विकास प्रमाणों पर निर्भर रहा करता है। प्रमाणों की कस्ती पर यदि वे धारणाएँ जिन पर दर्शनों के भव्य भवन खड़े होते हैं, खरी नहीं उत्तरती तो उन दर्शनों के महल ढहते विलम्ब नहीं लगता। प्रमाणों की कस्ती पर कसे जाने के बाद ही दर्शन का स्वर्ण चमकता है और लोगों को आकृष्ट करता है।

प्रमाणों की सख्त्या

सभी दार्शनिकों ने प्रमाणों का अनिवार्य अवलम्बन लिया है। पर उनके प्रमाण-सख्त्या-स्वीकरण में समानता नहीं। विभिन्न दार्शनिकों ने एक से लेकर दस तक प्रमाण माने हैं। सबसे कम प्रमाण नास्तिकों ने माने हैं। वे केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। आस्तिक दर्शनों में जैन दो प्रमाण मानता है—प्रत्यक्ष और परोक्ष। बौद्धों ने भी दो प्रमाण अग्रीकार किये हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान। वैदिक दर्शनों में प्रमाणों की तालिका यो है—

१. वैशेषिक दो—प्रत्यक्ष और अनुमान।
२. सांख्य तीन—प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम।
३. नैयायिक चार—प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान।
४. पूर्व भीमासक (प्रभाकर) पाच—प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थपत्ति।
५. उत्तर भीमासक (भाट्ट) छह—प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थपत्ति और अभाव।

पौराणिक इनके अतिरिक्त सभव, ऐतिह्य कालात्मयापदिष्ट तथा प्रातिभ प्रमाण और मानते हैं। यहा केवल शब्द-प्रमाण के विषय में कुछ चिन्तन प्रस्तुत किया जा रहा है।

आरम्भ में वैदिक दर्शनों का शब्द-प्रमाण से तात्पर्य श्रुतियों से ही था। इतर दार्शनिक अपने मौलिक ग्रन्थ को शब्द-प्रमाण मानते थे। किन्तु आगे यथार्थ वक्ता के वाक्य को शब्द-प्रमाण कहा जाने लगा।

शब्द के भेद

शब्द प्रधानतया दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रथम तो छवनि के अर्थ में जो श्रुतिगम्य होता है, जिसे नैयायिक आकाश या गुण मानते हैं। जैसे—शब्द गुण आकाशम्। दर्शनशास्त्र में इस छवनि का विशेष कोई प्रयोजन नहीं।

दर्शन क्षेत्र में जो अभिप्रेत है वह है—जो वर्णनात्मक-शृखला अभीष्ट आशय को अभिव्यक्ति देती है, उस अभिव्यक्ति देनेवाले शब्द-समूह को शब्द-प्रमाण कहा जाता है।

शब्द का गोरव

शब्द का अपना मौलिक महत्त्व है। शब्द के विना हम कितना चिन्तन करते हैं, सोचते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, वह सुरक्षित नहीं रह सकता। आज तक जितना विचार-विकास हुआ है और दूसरी प्रगतिया हुई हैं, वे सब शब्द के सहारे ही सुरक्षित रह पायी हैं। विश्व की विकसित दशा शब्द-प्रमाण के आधार पर ही व्यवस्थित और विकासशील है। विना शब्द-प्रमाण के विश्व का काम नहीं चल सकता। प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ अपने आप जान से, यह सभव नहीं है। पग-पग पर हमें दूसरों का विश्वास करना होता है और उनके अंजित व लिखित अनुभव का सहारा लेना होता है। इसी आधार पर मनुष्य के अनुभवों का लाभ उठाया जा सकता है और मनुष्य शीघ्र अनुभवी तथा ज्ञानी बन सकता है।

एक आशका

कुछ विचारक शब्द-प्रमाण के विषय में सदिग्द हैं। उनका तर्क है कि हम ग्रन्थों के आधार पर जब सत्य को मानेंगे तब रुढ़ बन जाएंगे। नये चिन्तन का द्वार अवरुद्ध होने लगेगा, ऐसी स्थिति में शब्द-प्रमाण विचार-विकास का अवरोधक हो जायेगा और मनुष्य कुण्ठाग्रस्त बन जायेगा। उस समय उनकी बुद्धि चैतन्य की नहीं, जड़ की उपासिका होगी। किन्तु यह आशका वास्तविक नहीं लगती। शब्द-प्रमाण कमरे में जले दीपक के समान हैं, उसके आलोक में हम वस्तुओं का निरीक्षण कर सकते हैं और साथ ही चाहे तो कोई नया दीपक भी जला सकते हैं। पूर्वे दीपक उसका विरोध नहीं करता।

प्राय सभी भारतीय दार्शनिकों ने शब्द-प्रमाण माना है, फिर भी उनके चिन्तन में कोई कुण्ठा नहीं आयी, प्रत्युत खुलकर चिन्तन करने का अवसर उपलब्ध हुआ है। नास्तिक और आस्तिक दोनों दर्शनों ने विपुल उल्लंति की है। विभिन्न विचारों में आदमी को और गहरा मनोमन्थन करने का भौका मिलता है। कहा गया है—“वादे वादे जायते तत्व बोध ।” भारतीय दार्शनिक उन्मुक्त चिन्तन के समर्थक रहे हैं।

विचारों की विविधता भटकानेवाली ही क्यों, पर्यालोचनपूर्वक सन्मार्ग दर्शन की द्योतक क्यों नहीं मानी जाए। पाक-कला-निष्णात व्यक्ति विभिन्न चीजों को मिलाकर एक नयी स्वादिष्ट वस्तु बना लेते हैं। उसी प्रकार विविध मान्यताओं और विचार-सूक्ष्मों से विचारक-वृन्द नया और आकर्षक अभिमत प्राप्त कर लेता है।

यथार्थवादी वक्ता के वाक्य-विन्यास को शब्द-प्रमाण कहा जाता है। यहां पर प्रश्न हो सकता है कि एक मान्यता वालों के लिए जो यथार्थ होता है, वही दूसरी धारणावालों के लिए अयथार्थ हो जाता है। उसका जो सत्य होता है, वह दूसरों के लिए असत्य भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में शब्द-प्रमाण का क्या मूल्य रह जाता है? किन्तु यथार्थवादी के लिए

यह सन्देह ठीक नहीं है, क्योंकि उसे आप्त पुरुष कहा जाता है, जो सब दोषों से अतीत हो, राग और द्वेष से मुक्त हो, किसी प्रलोभन और भय से ग्रसित न हो, ऐसे यथार्थ वक्ता के सम्बन्ध में कोई गुत्थी नहीं रह जाती। अनायास वह सबका विश्वासपात्र बन जाता है और शब्द-प्रमाण की सार्थकता विद्यमान रह जाती है। शब्द-प्रमाण का गौरव भारतीय क्षेत्र में एक दूसरी अपेक्षा से भी रहा है। भारतीय दार्शनिकों की आस्था है कि केवल तर्क के बल पर पूर्ण तत्त्व-ज्ञान नहीं हो सकता, उसे तो श्रद्धा के बल पर ही पाया जा सकता है।

शब्द-प्रमाण की शर्तें

शब्द-प्रमाण को मानने वाले भारतीय विद्वानों ने उसके साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। प्रथम शर्त उन्होंने यह रखी है कि वह शास्त्र शब्द-प्रमाण के अन्तर्गत आ सकता है, जो अविषमवादी हो। एक जगह एक तथ्य का भण्डन करें और दूसरी जगह उसका खण्डन करें, ऐसा ग्रथ विरोधी तथ्यों को प्रकट करनेवाला होता है और विषमवादी कहलाता है। शब्द-प्रमाण के अन्तर्गत ऐसा एक ग्रन्थ नहीं आ सकता।

शब्द-प्रमाण की दूसरी कसीटी दार्शनिकों ने यह रखी है कि शब्द जो कहे, वह सभव होना चाहिए, असभव नहीं। कोई शास्त्र यदि मान्यता स्थापित करे कि गधे के सींग और आकाश के कुसुम लगते हैं, तो यह बात प्रत्यक्ष विश्व है, ऐसी बात असभव दोप से ग्रसित होती है।

तीसरी शर्त उनकी यह है कि जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण व्यक्त न करे किन्तु शब्द-प्रमाण को उस अलौकिक बात को व्यक्त करना चाहिए। जहा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण काम आते हैं, वहा शब्द-प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। इन कुछ शर्तों के साथ भारतीय विद्वानों ने शब्द-प्रमाण को स्वीकृत किया है।

मीमांसकों का मत

मीमांसकों ने शब्द-प्रभाण के विषय में अपना भिन्न अभिमत दिया। मीमांसा दर्शन के प्रबल समर्थक कुमारिल के आधार पर शब्द नित्य है। इसी प्रकार उसका अर्थ भी नित्य है। अर्थ और शब्द का सम्बन्ध भी नित्य है। नैयायिकों के अनुसार शब्द का अर्थ ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रहता है, किन्तु मीमांसक उन दोनों में स्वाभाविक और अनादि सम्बन्ध मानते हैं। जिस शब्द का जो अर्थ होना चाहिए, वही उसका अर्थ हो सकता है, है। दूसरा नहीं। वह सुविधा के लिए मानने की चीज़ नहीं, किन्तु शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है।

शब्द की नित्यता सिद्ध करने के लिए मीमांसकों ने कई युक्तियां दी हैं। ससर की वस्तुएँ पहले थीं और उनका नाम बाद में रखा गया, यह मत मीमांसकों को मान्य नहीं है। वस्तुओं और उनके नामों में पहले क्या था, यह बताना असभव है। शब्द वर्ण समूह का नाम है। प्रत्येक वर्ण व्यापक निरवयव है, अतएव नित्य है।

वर्ण नित्य है, इसके पक्ष में एक महत्त्वपूर्ण युक्ति है कि किसी वर्ण का उच्चारण होते ही हम पहचान लेते हैं कि अमुक वर्ण है, एक ही नित्य वर्ण का बार-बार उच्चारण होता है। वर्ण ध्वनि नहीं है, ध्वनि वर्ण के उच्चारण का साधन मान है। ध्वनि में वर्ण की अभिव्यक्ति मिलती है, ध्वनि वर्ण नहीं। ध्वनि ऊची-नीची, धीमी और तेज हो सकती है, परन्तु इससे वर्ण में भेद नहीं पड़ता।

वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द वर्णों का समूह मान है। वह अवयवी है। फिर भी अर्थ की प्रतीति के लिए वर्णों में ठीक क्रम होना आवश्यक है अन्यथा 'नदी' और 'दीन' में अर्थ-भेद न होगा। शब्दों का अर्थ व्यक्ति को नहीं, जाति को बताता है। 'गो' शब्द का अर्थ है गोत्व जाति। चूंकि जातिया नित्य है, इसलिए शब्द और अर्थ का सम्बन्ध भी जाति। यदि शब्द नित्य न हो तो गुरु शिष्य को पढ़ा भी न सकें। "गाय नित्य है। यदि शब्द नित्य न हो तो गुरु शिष्य को पढ़ा भी न सकें।

जाती है” यह कहने में गाय शब्द का उच्चारण पहले होता है। इसके साथ ही गो शब्द नष्ट हो जाए तो अर्थ कुछ भी समझ में न आए। नष्ट हुआ शब्द अर्थ का ज्ञापन नहीं कर सकता। ज्ञाप्य और ज्ञापक एक समय में होने चाहिए। वर्ण सदैव सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। उच्चारण से उनकी अभि व्यक्ति मात्र होती है। इसलिए यह तर्क कि वर्णों की उत्पत्ति और नाश होता है, वह अनित्य है, यह ठीक नहीं है। एक शब्द का बहुत से लोग बहुत-सी जगह उच्चारण करते हैं, न कि अनेक शब्दों का। शब्द नित्य और व्यापक है, तभी अर्थ-ज्ञाप्ति होती है अन्यथा एक शब्द से अर्थ की प्रतीति सब जगह नहीं हो सकती।

मर्यादा-मीमांसा

सुख का स्रोत स्ववशता से प्रवाहित होता है और दुःख का परवशता से^१। यह केवल वीद्विक तथ्य नहीं अपितु अनुभूति का एक उच्छ्वास है। स्ववशता आत्मा की मुक्त अवस्था है और परवशता बन्धनमय। मनुष्य के अशेष प्रयत्न दर्शन, स्स्कृति, विज्ञान और कला आदि विभिन्न उपक्रमों की जननी स्वस्वरूपोपलब्धि अर्थात् बन्धन-मुक्तता ही है^२। सर्व दुःख-विमुक्ति के लिए ही मनुष्य पराक्रम करता है।^३

मर्यादा की उत्पत्ति

मर्यादाओं का आविर्भाव बन्धन-मुक्ति के लिए हुआ। मर्यादा के अभाव में व्यक्ति का मन नाना वासनाओं से घिरा हुआ और आवद्ध रहता है। वदी कभी उन्मुक्त आनन्द का उपभोग नहीं कर सकता। हर प्रवृत्ति में सयत रहकर ही मनुष्य सुसमाहित भाव को पा सकता है। उखड़ा मन और उत्थृखल व्यवहार उसकी मुक्ति में सहायक नहीं हो पाते^४। सकल्पों के वशीभूत मन पग-पग पर विषाद को पाता है।^५

१ सर्व परवश दुःख सर्वमात्मवश सुखम्—अध्यात्मोपनिषद्-२-२२

२ शमार्थं सर्वशास्त्राणि, विहितानि मनीपिभि ।

३ सञ्चुक्खपहीणट्ठा, पक्कमति महेसिणो—दशावैकालिक अ० ३

४ छन्द निरोहण उवेइ मोक्ख

५ पए पए विसीयतो सकप्पस्स वसगओ

मर्यादा की परिभाषा

निरन्तर प्रगति तथा अप्रतिहत-विकास के लिए जो सुनिश्चित रैयाए खीची जाती है, उन्हे मर्यादा कहा जाता है। अथवा सुरक्षा और गतिशीलता के लिए जो विधि-निषेध के नियम होते हैं उन्हे मर्यादा के नाम से पुकारा जाता है। आत्मा-रक्षा मनुष्य का परम कर्तव्य है। आत्म-सुरक्षा के लिए सर्वस्व-न्याग तक को विहित किया गया है। अरक्षित आत्मा नाना घोनियों में भ्रमण करता है और कष्ट-परम्परा में गिर जाता है। सुरक्षित आत्मा सब दुखों से मुक्त हो जाता है।^१

मर्यादा किसके लिए ?

मर्यादा की अपेक्षा अपूर्ण के लिए है, पूर्ण के लिए नहीं। पूर्णत्व प्राप्त कर जो स्वभाव स्थित हो गया, उसके लिए कोई मर्यादा की आवश्यकता नहीं। जैसा कि उपाध्याय यशोविजयजी ने कहा है—“स्वय समर्थ एव विशिष्ट ज्ञानी के लिए न शास्त्र की अपेक्षा है और न मर्यादा-नियामकता की। उनका चिन्तन ही शास्त्र होता है और आचरण ही मर्यादा।”

क्योंकि उनका चिन्तन और व्यवहार कभी सत्य के प्रतिकूल नहीं जाता। ऐसे व्यक्तियों को जैन परिभाषा में कल्पातीत और वैदिक वाहृमय में क्लिगुणातीत कहा जाता है।^२ छोटे तथा असमर्थ बूझों की सुरक्षा के लिए

१ अप्पाहु खलु सयम रक्षिदयव्वो, सञ्चिदिएऽहि सुसमाहिएऽहि ।

अरक्षिद्वयो जाइ-पह चवेइ, सुरक्षिद्वयो सञ्चदुहाण मुच्चइ ॥

—द० चूलिका गा० २६

२ न च सामर्थ्योगस्य, युक्त शास्त्र नियामकम् ।

कल्पातीतस्य मर्यादाप्यस्ति न ज्ञानिन वचित् ॥

—अध्यात्मोपनिषद्, अ ३

३ निस्त्रैगुण्ये परिविचरता को विधि को निषेध ।

लोहे के तारों अथवा इंटो का गोल वृत्त बनाया जाता है पर जो पादप अपनी जड़ों को गहरी जमा लेते हैं, उनके लिए गोल वृत्त की अपेक्षा नहीं रह जाती। विद्यि-नियेधपरक भर्यादाए सामान्य साधक के लिए होती हैं, पूर्ण और विशिष्ट के लिए नहीं।^१

भर्यादा का महत्व

विद्युत यदि तारों के भीतर रहकर वहती है तो वह अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। अनेक लोगों को प्रकाश दे सकती है। भीमकाय यतों का सचालन कर सकती है। किन्तु वह जब किसी विशेष कारण से अपनी भर्यादा को तोड़कर विद्युर जाती है तो चारों ओर आतक फैला देती है।

बाध का पानी अनेक खेतों को सींचता है, देश के लिए फसल पैदा करता है तथा जनता की प्यास बुझाता है। अपनी भर्यादा में रहकर वह सब उपयोगी कार्य करता है। पर बाध यदि अपनी सीमा का उल्लंघन कर दे तो भीषण तबाही मचा देता है। अनेक लोगों के प्राण लूट लेता है और अनेक को दर्द-दर का भिखारी बना देता है। ऐसे ही भर्यादायुक्त मनुष्य अपना तथा पराया कल्याण करता है, राष्ट्र के समक्ष आदर्श रखता है। पर भर्यादाहीन अपने व्यक्तित्व को तो समाप्त करता ही है पर साथ ही वह समाज या देश के लिए भी सिरदर्द बन जाता है। उसकी स्वच्छता वृत्तिया हर जगह कठिनाइया पैदा करती है और गत्वा फैलाती हैं। वस्तुत भर्यादा और संयम ही जीवन की कला है।^२

१ विध्यश्च निवेद्याश्च तत्त्वज्ञाननियन्त्रिता। ।

वालस्यैवागमे प्रोक्तो नोदेश, पश्यकस्ययत् ॥

—अध्यात्मोपनिषद्, अ ३

२ तमाहु लोए पहिचुद्धीवी, सो जीवइ सजम जीविएण ।

—दक्षवैकालिक चूलिका ।

मर्यादा के लाभ

मर्यादा के अनेक लाभ हैं। उससे अनूठी उपलब्धिया होती हैं। मर्यादा जीवन के सभी पक्षों को स्वस्थ एवं शक्तिमान् बनाती है। सक्षेप में उसके लाभ को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—

- १ मानसिक स्वास्थ्य
- २ सघर्ष-निराकरण
- ३ आत्म-रक्षा
- ४ गति-सहायकता

मर्यादा का प्रथम लाभ है—मानसिक स्वास्थ्य। मर्यादा पालने वाले का मन सदा स्वस्थ एवं शान्त रहता है। उसमें सकल्प-विकल्पों की उद्धारण तर्गें नहीं उठती। विक्षोभ उसको आक्रान्त नहीं कर सकता।

जो विविध मर्यादाओं के माध्यम से अपने आपको नियमित बना लेता है उसका मन प्रतिक्रिया भटकता नहीं। उसमें स्थिरता बनी रहती है क्योंकि उसके लिप्साओं और कामनाओं की सीमा होती है। जिसके लोकेपणाओं का दाहुल्य होता है, वही मनुष्य दिन-रात चिन्ता में घ्यग्र रहता है। निस्युह व्यक्ति के दीड़-धूप नहीं होती।

मनुष्य के साथ आशा का अनुबन्ध बहुत गहरा है। प्रतिपल वह अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए व्याकुल रहता है। जब वे पूरी नहीं होती, 'निराशा हाथ लगती है तो उसका मानसिक सन्तुलन एकदम विगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं-कहीं पर तो मनुष्य आवेशवश पागल तक बन जाता है।

सघर्ष-निराकरण

मर्यादा का दूसरा लाभ है—सघर्षों का निराकरण। मर्यादानिष्ठ व्यक्ति में सघर्ष की कोई सम्भावना नहीं रहती। सघर्ष की स्थिति तभी बनती है जब व्यक्ति सन्धियों को भग कर उत्खुखल आचरण करता है।

७६ जैन दर्शन के परिपार्श्व में

पथ जनसकुल होता है; आदमी यदि निर्णीत सीमा में चलता रहे, अपनी साइड का ध्यान रखे तो टकराव नहीं हो सकता। पर जो निर्धारित नियमों को तोड़ने पर उतारु होता है वह सधर्प की स्थितिया पैदा करता है।

आत्म-सुरक्षा

मर्यादा का तीसरा लाभ आत्म-सुरक्षा है। मर्यादित कभी बिनष्ट नहीं होता। उसकी शान्ति सदा बनी रहती है। वह कभी क्षीण नहीं होती। मर्यादा विघटित होने पर शक्ति बिखर जाती है। नदिया जो अपने तटों के बीच बहती है, लाखों वर्षों तक उनका अस्तित्व विद्यमान रहता है।

सयमनिष्ठ राजीमति ने अपने व्यग्य-वचनों से स्वयं को तथा पतन-गति में गिरते रथनेमी को बचा लिया था।^१

जो कूर्म अपने बंगो को सुगुप्त रखता है वह जीवन को बचा लेता है और असर्यत मृत्यु को प्राप्त होता है।^२

गति-सहायकता

मर्यादा का चतुर्थ लाभ गति-सहायकता है। मर्यादित वस्तुएं सदा सक्रिय एवं गतिशील रहती है। उनकी गति का वेग बढ़ता चला जाता है और वे अपनी अभीष्ट मजिल को प्राप्त कर लेती हैं।

“रेल यदि अपनी सुदृढ़ और सीधी पटरियों पर चलती रहे तो उसकी गति में प्रबल वेग आ जाता है। अपने कर्रेंट से स्पृष्ट और स्वस्थान से

१ तीसे सो वयण सोच्चा सजयाइ सुभासिय ।

अकुसेण जहा नागो धम्मे सपडिवाहओ ॥

सम्बद्ध रहे तो विद्युत व्यजन की वेगवत्ता विस्मयजनक हो जाती है।

मर्यादा के प्रकार

सभी मर्यादाओं का लक्ष्य एक होते हुए भी वे अनेक प्रकार की होती हैं। सक्षेप में उन्हें तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

- १ मानसिक मर्यादा
- २ शास्त्रीय मर्यादा
- ३ सधीय मर्यादा

मानसिक मर्यादा

अपने जीवन का सबसे कच्चा कलाकार मनुष्य स्वयं ही होता है। उसके सुख-नुख की समग्र सृष्टि उसी के हाथ में होती है।^१ निश्चय-दृष्टि से दूसरा उसे न तार सकता है और न दूबो सकता है।

आत्मोत्थान की चेतना भी किसी दूसरे में उतनी सफूर्त नहीं हो सकती जितनी कि उसमें होती है। अत स्वेच्छा-कृत नियमन का सबसे अधिक महत्व है।^२

मर्यादाओं में मानसिक मर्यादाएं सर्वोत्तम होती हैं। ये मन की उपज और मन द्वारा विहित होती हैं। ये व्यक्ति के प्रबुद्ध और विवेचक व्यक्तित्व से उद्बुद्ध होती हैं। अत वह इनके पालन में स्वयं जागरूक रहता है। हो सकता है मानसिक मर्यादाओं का किसी को भान तक न हो पर वह उन्हे पूरी आस्था के साथ पालता है। ये व्यक्ति के स्वभाव का अंग

१ स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फलं मश्नुते ।

स्वयं भ्रामति ससारे, स्वयं तस्माद् विमुच्यते ॥

२ वर मे अप्या दन्तो सजमेण तवेण य ।

मार्हि पर्यहि दमन्तो बन्धणेहि वहे हिय ।

७८ जैन दर्शन के परिपाशवं में

बन जाती हैं।

मानसिक मर्यादाओं का जीवन में जितना ज्यादा विस्तार होता है उसमें उतना ही अधिक निखार आता है और कल्परी मर्यादाओं का दबाव हटता है। इन मर्यादाओं की कोई सख्त्या नहीं हो सकती।

शास्त्रीय मर्यादा

शास्त्रीय मर्यादाएं वे होती हैं जो विशिष्ट ज्ञानियों, पारगत अनुभवियों एवं सिद्धप्राय साधकों के द्वारा बनाई जाती हैं। ये मर्यादाएं मूल गुणों का सरक्षण और पोषण करनेवाली होती हैं। ये बहुत व्यापक और अपरिवर्तनीय होती हैं। क्षेत्र, समय और परिस्थिति का इन पर कोई असर नहीं होता। ये त्रिकालवर्ती और क्षेत्रातीत होती हैं। ये सब मुमुक्षुओं के लिए समान रूप से आचरणीय होती हैं। इनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता।

सघीय मर्यादा

सघीय मर्यादाएं सघ-प्रमुख या सघ-सदस्यों के द्वारा सगठन की दृढ़ता के लिए बनाई जाती हैं। सघ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे तथा वह अपने उद्देश्य में निरतर गति करती जाए, इसके लिए जो विधि-निषेध के नियम गढ़े जाते हैं, उन्हें सघीय मर्यादा या सघ संविधान के नाम से अभिहित किया जाता है।

ये मर्यादाएं परिवर्तनशील होती हैं। आवश्यकतानुसार इनमें परिवर्तन परिवर्धन और सशोधन होता रहता है। इन मर्यादाओं की लगाम अगलं पीछी के हाथ में रहती है। इनकी काट-चाट होते रहने से ये उपयोगी बन रहती हैं।

लकीर का फकीर बने रहना अन्धता और जड़ता का प्रतीक है जहाँ चेतना को स्पन्दित होने का अवसर नहीं मिलता वहाँ प्राणवत्ता ना

जिस सम्प्रदाय में पुरातन के नाम पर अनुपयोगी रूढ़ियों का समर्थन किया जाता है, वह सध वर्तमान युग की गतिविधि को नहीं पहचान पाता। परिणाम यह होता है कि वह युग से पिछड़ जाता है, उसके सदस्य नियमावली के प्रति उदासीन हो जाते हैं अत युग-चेतना के साथ सधीय मर्यादाओं में परिवर्तन अनिवार्य रहता है। सध के नियम करवट लेते रहे तभी उसमें युग को प्रभावित करने की योग्यता बनी रहती है, अन्यथा वह सध पुराणपन्थी रूढ़ियों का सग्रह मात्र रह जाता है।

मर्यादा-साम्य

बाह्य मर्यादाओं की सबसे बड़ी विशेषता उनकी समता होती है। जो मर्यादाएं सबके लिए हो, किसी को कोई छूट नहीं देती, उनके लिए हर मर्यादा-पालक को सन्तोष रहता है पर नियमों में जब विविधता आती है, कुछ के लिए कोई नियम हो और कुछ के लिए नहीं, तब उन मर्यादाओं के प्रति अनास्था उत्पन्न हो जाती है। एक के पग-पग पर बन्धन हो और दूसरे के लिए कही रुकावट न हो—ऐसी मर्यादा-व्यवस्था कभी निभ नहीं सकती। अवश्य ही वहा अन्दर से विद्रोह फूटता है और शासन-व्यवस्था भग हो जाती है।

मर्यादा को जब तक मनुष्य आचार के रूप में ग्रहण करता है और अपने कर्तव्य की कमाई समझता है तब तक वह उसे अद्वा की दृष्टि से देखता है तथा उसको निभाने के लिए बलिदान करता चला जाता है।

पर जब वह यह समझता है कि यह आचार नहीं, मेरे पर अत्याचार हो रहा है, मुझे दबाया जा रहा है और मेरे विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है, तब वह शासक और मर्यादाओं के प्रति अनास्थाशील बन जाता है और भार-रूप उन सारे बन्धनों को छिन्न-भिन्न करने के लिए प्राणों का बलिदान देने तक के लिए उत्तारू हो जाता है।

मर्यादा का जाल

मर्यादाएं जीवन के लिए होती हैं, जीवन मर्यादाओं के लिए नहीं। मर्यादाएं वे ही हो सकती हैं जो जीवन-विकास में सहायक हो। जिनसे व्यक्ति का मानस बोझिल होता हो वे मर्यादा की कोटि में नहीं आती।

अति की सर्वत्र वर्जना की गई है। मर्यादाओं का भी जाल नहीं होना चाहिए। मकड़ी के जाल के समान जब वाह्य मर्यादाओं का जाल विछ जाता है तो आदमी उसमें उलझ जाता है, निकल नहीं पाता। नियमों का आधिकार्य उन्हें तोड़ने के लिए विवश कर देता है।

प्याले में पानी भरा जाए तो वह एक सीमा तक बाहर नहीं निकलता, पर भरने वाला विवेक न रखे तो आखिर पानी बाहर निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।

मर्यादा-निष्ठा

किसी भी नियम का पालन बिना निष्ठा के नहीं हो सकता। किसी को महत्त्वपूर्ण और आवश्यक माना जाता है तभी अन्त करण का झुकाव उधर होता है और उसमें आकर्षण दीखता है। जो बात मन पर छा नहीं पाती, उसके लिए मनुष्य कभी कष्ट सहने के लिए और विपत्तिया उठाने को तैयार नहीं होता।

औदासिन्य और अवज्ञा के भाव मन में रहते हुए उसके प्रति श्रद्धा नहीं जाग पाती। जहां श्रद्धा नहीं होती वह कार्य कभी भी उच्च भाव से नहीं किया जा सकता।

हर मर्यादा को उच्च और हितकारी मानने की भावना से ही उसमें माहात्म्य प्रतिष्ठित होता है। जो मर्यादा को तुच्छ या नगण्य समझता है

वह अवश्य ही नियमहीन होकर तुच्छ बन जाता है।^१

शासक-शासित सम्बन्ध

मर्यादा-पालन में शासक-शासित सम्बन्ध का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। शासक में स्नेह, सौहार्द और आत्मल्य हो तथा शासितों में शील, सखता एवं विनीतता हो तो पारस्परिक सम्बन्ध अपने आप मधुर एवं स्नेहमय बना रहता है। शासितों की यक्षित का सदृपयोग होता रहे, उनके अधिकारों का हनन न हो, विकास का बदावर अवकाश मिलता रहे तो तनाव की स्थिति बहुत कम आती है और शासितों को मन्तोप बना रहता है।

मनुष्य जैसे अपने शरीर के हर अवयव को काम में लेता है, कड़े से कड़ा परिश्रम उनसे करताता है। पर माथ ही उनकी सुरक्षा और परिपोषण का भी पूरा ध्यान रखता है। फिसी भी दशा में उनकी उपेक्षा नहीं करता।

वैसे ही शासक यदि अपने शासितों के प्रति आत्मीय भाव रखे, उनके विकास और प्रगति के लिए सदा जागरूक रहे, हर अनुशासन की सौहार्द के माध्यम से चलाए तो शासितों का समर्पण स्वयं फलित होता है।

किसी भी शासन के नियमों को घलपूर्वक नहीं निभाया जा सकता। धर्म-शासन में तो यह सिद्धान्त विशेष रूप से लागू होता है। मर्यादाओं का पालन मन-गृहीत होने पर ही हो सकता है। आत्मार्थी और नीतिवान् यक्षित ही शासन-भार को बहन करने के योग्य होते हैं।

मर्यादा-पालन में शासितों की दृष्टि में भी वहा भेद रहता है। एक अनुशासन को माता-पिता ढारा किए गए प्यार के समान देखता है, उसमें

१. कुर्यात् तुच्छत्वं तुद्वियो, मर्यादाया महामद ।

तुच्छत्वं प्राप्युथाल्लोके, सोति शीघ्रं समन्तत ॥

८२ जैन दर्शन के परिपाश्व में

आत्मीय भाव देखता है पर दूसरा अनुशासन को दास के साथ किए गए व्यवहार के तुल्य मानता है।^१

एक व्यक्ति कठोर अनुशासन को भी हितकर और समाधिकारक मानता है किन्तु दूसरे की दृष्टि में वह निरी तर्जना का भाव होता है।

उपसहार

जैसे अनावृत अथवा दुराच्छादित गृह के निवासियों को वृष्टि का निरन्तर सबलेश बना रहता है, वैसे ही अर्मर्यादित को राग-द्वेष के सबल थपेडों का खतरा बना रहता है।^२

भयकर विषधर और नित्य सक्रुद्ध वैरी जो अनिष्ट और विगाढ़ नहीं कर पाते, वह मर्यादाहीन आत्मा स्वयं कर लेती है।^३

इमीलिए जीवन में मर्यादा की परम आवश्यकता है। जो अपने जीवन को मर्यादाओं के माध्यम से सयत बना लेता है, वह जीवन को अमृत से सीचता है।^४

मनोयोगपूर्वक मर्यादा-पालन समस्त निर्बलताओं को दूर हटाकर सामर्थ्य के अमन्द प्रवाह को सचारित करता है।

मर्यादा जीवन का शृणार, समाधि का अनन्य द्वार, समस्याओं का सशक्त समाधान और अखिल शक्तियों का प्राण है।

१ पुत्तो मे भाई नाइति, साहु कल्याण मन्नइ ।
पावदिद्वीओ अप्पाण, सास दासेति मन्नइ ॥

—उ० अ० २ गा० ३

२ यथा अगार दुच्छन्न, वुट्ठि समितिविज्जति ।
एव अभावित चित्त, रागो समितिविज्जति ॥

—रागबग्ग-२३

३ नतल्कुयादहि स्पृष्ट सर्पो वाप्यति रोपित ।
अरिर्वा नित्यसकुद्धे, यथात्मा दमर्जित ॥

४ सनियम्य तदात्मानमभूतेनाभिसिंचति ।

—पद्मपुराण ४

आंतरिक अहिंसा के विकास की चार विधियाँ

बत्तमान में मनुष्य की क्षेत्रीय दूरी दिन-प्रतिदिन सिमटती जा रही है। पहले जहा वह महीनों में पहुँचता था अब दिनों में और जहा दिनों में पहुँचता था अब घटों में पहुँचने लगा है। वैज्ञानिक उन्नति ने उसकी बाह्य सब परिविधि समाप्त कर दी। सारे व्यवधान हटा दिये। अब वह यहा बैठा ही चन्द्रमा तक की खदर ले लेता है, और उसका चेहरा देख लेता है। छह करोड़ मील दूर वाले शुक्र ग्रह को भी वह निकट करने के प्रयत्न में है। यीश्वर ही अब उसके लिए अभियान कर रहा है।

मनुष्य बाह्य रूप में जितना विशाल बना है, अन्तररग में उससे अधिक संकीर्ण हुआ है। उसकी आत्मीयता की परिविवहृत ही सकुचित हो गई है। वह एकदम स्व-नेत्रित होता जा रहा है। वह अपने ही सुख-दुःख की चिन्ता में मग्न रहता है। विश्व, देश, समाज और पड़ोस से मुक्त बनकर उसने अपनी सीमा परिवार तक सीमित कर ली है। पर अपने इस दौने रूप से वह कभी आकर्षक और महनीय नहीं बन सकता। न कोई सुखानुभूति भी कर सकता है। अपनी सकुचित मनोवृत्तियों के कारण वह वहृत ही तनावप्रस्त और विक्षिप्त-सा रहता है। सकीर्णता के कारण उसकी मानस-ग्रन्थिया विशृंखल और जड़ बन रही हैं। उसकी भावना अपने में ही इतनी अधिक उलझ गई है कि उसको एक अजीब कसमसाहृद हो रही है। यह सब उसकी स्व में ही सिमटने की प्रवृत्ति का परिणाम

है।

मनुष्य जितना ही स्वार्थ-निष्ठ होता है, वह उत्तना ही लघु और निरूपयोगी बन जाता है। गन्ने की गाठ में कोई रस नहीं रहता। ऐसे ही शरीर में भी जब किसी रोग विशेष के कारण मास की ग्रन्थियां बन जाती हैं तब शरीर का विकास तो दूर उलटा विनाश कर देती हैं। इसी प्रकार गाठ बना मनुष्य भी राष्ट्र या समाज का हित-साधक नहीं प्रत्युत्त हित-साधक बन जाता है। न वह समाज से रस ले पाता है और न समाज उससे। दोनों का सम्बन्ध-विच्छेद-सा हो जाता है। सचमुच ही मनुष्य की यह दशा मनुष्य के स्वय के और राष्ट्र के लिए विधातक है। यह सब मनुष्य के अहिंसा-विकास के अभाव में होता है। इसलिए अहिंसा का विकास नितान्त आवश्यक है। अहिंसा का दिखाऊ विस्तार तो स्वत्प्रयत्न से हो जाता है, किन्तु यथार्थ में उसका विकास होना बड़ी साधना का विपर्य है।

जैन ग्रन्थों में अहिंसा के आन्तरिक विकास की चार विधिया बताई गई हैं, जिन्हे भावनाओं के नाम से अभिहित किया गया है। चार भावनाएं निम्नांकित हैं—मैत्री, प्रमोद (मुदिता), कारण्य (करुणा) और भाष्यस्थ्य (उपेक्षा)।

मैत्री-भावना

अहिंसा के आतरिक विकास की प्रथम विधि है मैत्री। आदमी स्व में ही तन्मय रहता है। अपने ही सुख-दुख की चिन्ता उसे व्यथित किया करती है। उससे ऊपर उठकर बाहर क्षाकने की वृत्ति उसमें नहीं रहती। अपने ही उत्थान-पतन की चारदीवारी में वह बन्द रहता है। मैत्री भावना उसकी वृत्तियों को व्यापक बनाती है। इस भावना से मनुष्य का आत्मीय भाव वृद्धिगत होता है और वह सौहार्द-सम्पन्न बनता है।

मैत्री का अर्थ है मिलता। मनुष्य जब किसी के साथ मिलता का सम्बन्ध महसूस करता है तो उसके हित की चिन्ता करने लगता है।

प्राणिभास्त्र के हित का जो विचार है वह मैत्री भावना कहा जाता है। कोई प्राणी पाप न करे, कोई किसी का बुरा न करे और कोई भी प्राणी दुखी न हो, सासार के सब प्राणी सुखी बनें, सबका कल्याण हो, कोई भी अमगल न देखे। इस प्रकार का उदात्त चिन्तन मैत्री भावना के अन्तर्गत आता है। यही चिन्तन व्यक्ति को समष्टि से सम्बद्ध करता है। मनुष्य की यह वैचारिक विराटता उसकी असकीर्ण आत्मीयता की परिचायक है, जो अहिंसा का विषयात्म पहलू है।

प्रमोद भावना

अहिंसा की दूसरी विधि है प्रमोद भावना। साधारण व्यक्ति की यह एक आन्तरिक दुर्बलता होती है कि वह किसी की उन्नति नहीं देख सकता। किसी की समृद्धि और चढ़ती देखकर वह ईर्ष्या करने लगता है। अपने मन में एक कुठन उत्पन्न कर लेता है। जिस स्तर तक वह स्वयं नहीं पहुंच पाता है उस स्तर को ही लग्नित करना चाहता है। 'अगूर खट्टे हैं' की कहावत को चरितार्थ करता रहता है। यह सब व्यक्ति के अस्तुत मानस का उफान है, छिन्न व्यक्तित्व का घोतक है तथा आत्मरिक हिंसा का बलिष्ठ पहलू है।

मनुष्य जब किसी के प्रति ईर्ष्याली भाव रखता है तो उसे गिरने या मिटाने के विचार भी अपने अवचेतन मन में पनपाने लगता है और जो अन्त करण में पनपने लगता है वह एक दिन फूटकर बाहर भी आ जाता है। अतः इस कमज़ोरी को, मिटाना आवश्यक है। प्रमोद भावना इसे परिवर्तित कर देती है।

प्रमोद भावना मनुष्य में एक सृजनात्मक पहलू पैदा करती है। वह मनुष्य के दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन कर देती है।

प्रमोद भावना का अर्थ है—जिन व्यक्तियों में जो अच्छाइया हैं, जो सद्गुण हैं और जो योग्यताएँ हैं उन्हें देखकर प्रसन्न होना। मन में प्रमोद की अनुभूति करना।

मनुष्य का मन जब किसी वस्तु के प्रति आकृष्ट होता है, उसमें अच्छाई देखता है तब उसकी और अनायास झुकने लगता है। उसको पाने के प्रयत्न में सलग्न हो उठता है। जिस चौजा के प्रति आकर्षण की भावना जितनी तीव्र होती है, उसको उपलब्ध करने का प्रयास भी उतना ही प्रबल होता है।

प्रमोद भावना वाला व्यक्ति दूसरों के सद्गुणों और क्षमताओं के प्रति एक नैकट्य और अतिरिक्त लगाव उत्पन्न कर लेता है। उसका आशय यह है कि वह धीरे-धीरे गुणी और योग्य बन जाता है। प्रमोद भावना व्यक्ति को विशाल बनाती है और उसके लिए निहंन्त्र शान्ति का द्वार खोलती है।

कारुण्य भावना

सासार का हर आदमी अपने ही कष्ट को मिटाने में व्यग्र है। उसकी दृष्टि धूम-फिरकर अपने पर ही केन्द्रित हो जाती है। उसमें उदार भावना का उद्देश नहीं हो पाता। जिस समाज में वह रहता है उसके सदस्यों के प्रति भी उसका कोई कर्तव्य और उत्तरदायित्व है, यह मनुष्य के दिमाग में बहुत कम आता है। इस सद्भावना की अनुभूति वह तभी कर सकता है जब उसमें अहिंसा का विकास हो, 'आत्मवत् सर्वं भूतेषु' के तत्त्व की पहचान हो। कारुण्य भावना मनुष्य में सहानुभूति और आत्मीयता को विकसित करती है।

कारुण्य भावना का अर्थ है—जो व्यक्ति अज्ञानी है, व्यसनग्रस्त है, दुख और दारिद्र्य से कलान्त है, उनके दुख को दूर करने की अभिलाषा कारुण्य भावना कहलाती है।

दयाभाव सामाजिकसा का एक प्रबल अग है। द्रवशीलता से मनुष्य मिलनसार और धूलनशील बनता है, जो मनुष्य के स्वय के और विश्व के समस्त प्राणियों के लिए सुख का साधन होता है। सहव्यस्तित्व और सद्भावना से ही विश्व-बन्धुता की सीमा विस्तीर्ण बनती है।

माध्यस्थ्य भावना

विश्व का प्रागण वैचित्र्य का श्रीढा-स्थल है। यहा इतने अजीब और विस्मयजनक आचरण होते हैं कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अनेक आदमी इतनी शूरता कर बैठते हैं कि वह घटना सुनते ही मनुष्य के रोगटे खड़े हो जाए। कुछ बड़े धूर्तं, छली, प्रपञ्ची होते हैं। कुछ दुर्ब्यसनों में आकण्ठ निमग्न रहते हैं। इन व्यक्तियों में कुछ ऐसे होते हैं, जिनको समझाने का भी कोई परिणाम नहीं निकलता। वे अपने ही दुराग्रह पर ढटे रहते हैं, और उसी प्रकार बुराई में ढूवे रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ आदमी जल्ला उठते हैं। उनके मन में बड़ी उथल-पुथल मच जाती है। कहा न मानने वाले के प्रति वार-वार मन में शोध आता है।

पर यह निश्चित वात है कि मनुष्य जैसा चाहता है, वैसा सब का सब नहीं होता। सब चिन्तन के अनुरूप होना तो दूर, कभी-कभी तो सारा का सारा उल्टा हो जाता है। ऐसी दशा का सीधा निष्कर्ष यह होता है कि मनुष्य एकदम रोषाकुल हो उठता है, जो उसके स्वयं के लिए और दूसरों के लिए अनिष्टकारक होता है। इस विषम वेला में माध्यस्थ्य भावना का बड़ा उपयोग है।

माध्यस्थ्य भावना व्यक्ति को सन्तुलित रहने को प्रेरित करती है। मनुष्य वार-वार समझाने पर भी अपनी आदत से बाज नहीं आता। उसके प्रति मन में रोप नहीं करना चाहिए। चिन्ता में अपनी शान्ति को स्वाह क्यों किया जाए? दूसरे की चिन्ता की वही तक सार्थकता है जहाँ तक अपना आत्म-सन्तुलन न विगड़े। अपने घर में आग लगाकर दूसरे के घर की रक्षा नहीं की जा सकती।

जो अपने हित की बात भी नहीं सुनता उसके कपर शोध कर उसको उत्पाद करके व्यथ ही अपने सुख को क्यों विलुप्त किया जाए? यदि कोई आदमी समझाने पर भी निर्मल और शीतल जल को छोड़कर दुर्गंधमय कर्वम पीता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? कोई अमृत पीता

है तो उसी का मुह मीठा होता है और जहर पीता है तो उसी की मृत्यु होती है। दूसरे को कोई फल नहीं मिलता। यही सोचकर वहा उपेक्षा कर देनी चाहिए। व्यर्थ की पराई चिन्ता में अपनी शक्ति को कभी नहीं गवाना चाहिए।

मनुष्य को दूसरे पर उत्तेजित न होकर अपने विचारों की समीक्षा करनी चाहिए। उसके स्वय के विचारो में कितना उत्तार-चढ़ाव आता रहता है। वह स्वय कभी-कभी कितने विषम आचरण कर गुजरता है इसलिए दूसरा कोई जालसाजी और धोखेबाजी का दास बना हुआ है, किसी प्रकार भी मार्ग पर नहीं आ रहा है, समझाने पर उल्टा झटकता है तो अपने को समझा लेना चाहिए। प्रेम और परोपकार का अर्थ यह नहीं है कि अपने मन को व्यग्र और हिंसक बनाकर दूसरों का उद्धार करो। बल-प्रयोग से कोई नहीं सुधर सकता। अत दूसरे की नासमझी पर अपनी समता वृत्ति को आग में झोक देना उससे बड़ी नासमझी है। दूसरा जो बुराई करता है उसके निराकरण में स्वय उसी बुराई का शिकार हो जाना किसी भी प्रकार प्रशस्त नहीं।

भावना का दर्शन है कि दूसरा कुछ भी करे, प्रेमपूर्वक समझाने पर भी वह नहीं समझता है तो उसकी पूर्ण उपेक्षा कर देनी चाहिए, न कि अविचारिकता से उसकी बुराई स्वय को ओढ़ लेनी चाहिए। अपने आप पर सयम रखना अहिंसा का प्रथम अग है। विकट समय में भी जो सन्तुलित रह सकता है वही अहिंसा के मर्म को पहचानता है।

उपर्युक्त चारो भावनाओं को मनुष्य यदि समुचित रूप से जीवन में उतारना सीख जाए तो वह बहुत शान्त रह सकता है और अहिंसा के विकास में बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। अहिंसा का विस्तार कोरी बातों से नहीं हो सकता। 'उसका एकमात्र मार्ग सयमपूर्ण आचरण है। अहिंसा-प्रसार के इच्छुकों को यहीं से उसका शिलान्यास करना चाहिए।

अवधान का आधार—प्रक्रिया और प्रयोजन

आत्मवाद

पाश्चात्य और पूर्वीय दर्शन में कथचित् कुछ मौलिक विभेद है। पाश्चात्य विचारधारा भूतवाद पर प्रतिष्ठित है और पूर्वीय आत्मवाद पर। पाश्चात्य वैज्ञानिक और विचारक भौतिक शक्ति को ही विश्व का मूल केन्द्र मानते हैं और उसकी खोजवीन में अपनी प्रज्ञा का अधिकाधिक उपयोग करते हैं। उनका हर आविष्कार भौतिक विश्लेषण की उपलब्धि है। भूतवाद पर सर्वथा आस्था होने के कारण उनके प्रत्येक अनुसंधान का विषय भौतिक सत्ता ही होती है। वे हर समस्या का समाधान भी जड़ की तहो में छिपा खोजते हैं।

पूर्वीय मस्तिष्क का दर्शन करीब-करीब उससे एकदम उलटा है। विशेषकर भारतीय द्रष्टाओं की धारणा पूर्णतः आत्मवादी है। भारत की समग्र सास्कृतिक चेतना का आधार आत्मवाद है। ऋषियों ने इसे ही सर्वोच्च सत्ता और सब विज्ञानों का विज्ञान माना है। सभी अध्वेशों को भिटाने वाला यही प्रकाश है। इसलिए आत्मवाद और आत्मोपलब्धि भारतीय दर्शनिकों का सर्वोत्कृष्ट ध्येय है।

भारतीय दर्शनों में प्रमुख रूप से तीन विचारधाराएँ सबलतम और सुविकसित हैं। तीनों ही विचारधाराओं ने आत्मदर्शन पर बहुत बल दिया है और उसी को सब ज्ञानों का तथा अशेष उपलब्धियों का मूल जाना है।

जैनाचार्यों ने आगमों में कहा कि अपनी प्रबुद्ध आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा के दर्शन करो (सपिक्षण अप्पगमप्पण), आत्मा ही वन्धन और कष्ट-मुक्ति का आधार है (वध पमोक्खो तुज्ज्ञ अज्ज्ञत्थेव), आत्म-पहचान और आत्म-सथम से ही दुःख-विमुक्ति होगी (पुरिसा अत्ताणमेव अभिणिगिज्ज्ञ एव दुक्खा पमोक्खसि), आत्मा को जानने वाला सब कुछ जान लेता है (जो एग जाणइ से सब्ब जाणहि) ।

बौद्ध आम्नाय के शासकों ने कहा है—आत्मा के दीपक वनों (अप्पदीको भय), आत्मा ही आत्मा का नाथ है (अत्ता ही अत्तनो नाथो) दिशा या विदिशा में जो दुष्कार्य वैरी के लिए वैरी नहीं करता उससे बड़ा अहित अपनी दुष्प्रयुक्त आत्मा कर डालती है (दिसो दिस य न कयिरा, वैरी वापन वेरिण, मिच्छ मणि हित चित्त, पापियो त ततो करे) ।

आत्मा की सर्वोच्च सत्ता मानते हुए वैदिक-मत्तदाताओं ने सदेश दिया है—आत्मा को जान लो, उसको जान लेने पर सब कुछ विज्ञात हो जायेगा (आत्मनि विज्ञाते सर्वं मिद विज्ञात भवति), आत्मा ही द्रष्टव्य, मननीय और निदिष्यासनीय है (आत्मा वाऽरे दृष्टव्य, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्योसितव्यः), सब सुख-दुःख आत्मकृत ही होता है (आत्मना विहित दुःख आत्मना विहित सुखम्) ।

भारतीय सस्कृति की मूलभूत दार्शनिक चेतनाओं ने यो आत्मवाद की प्रतिष्ठा की है और उसी के माध्यम से सब विकासों और उत्क्रान्तियों के द्वारा खोले हैं ।

भारत के तत्त्व मनोपियों ने आत्मा को अनन्त ज्ञानात्मक और अनन्त शक्ति सम्पन्न माना है । केवल माना ही नहीं अपितु प्रयोग के क्षेत्र में लाकर साधना के द्वारा आत्मा को बैसा ही सिद्ध करके दिखाया है ।

साधना के सिद्धु में गहरे गोते लगाकर भारतीयों ने आत्मा की अनेक विस्मयजनक विभूतियों को प्रकट किया है । मानव जीवन में आयी अनेक जटिलताओं को आत्म-ऊर्जाओं के द्वारा सुगम बनाया है और अनेक ग्रन्थियों को आत्मशक्ति की सलाइयों से सुलझाया है ।

आत्म-शक्ति अथाह है, उसकी क्षमताओं एव सम्पन्नताओं का कोई अन्त नहीं। उसकी अलौकिक और अप्रतिम शक्तियों से ही विश्व सचालित तथा सवाहित है। ससार का हर प्राणी आत्म-शक्ति को जागृत और विकसित कर अपूर्व सुख-सामर्थ्य को उपलब्ध कर सकता है।

परम हृषि का विषय है कि इस वैज्ञानिक युग में भूतवाद के विकास की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए वैज्ञानिक भी आत्म-तत्त्व की अनन्य और अमोघ शक्ति से आकृष्ट होने लगे हैं। मनोविज्ञान का प्रादुष्करण इसी तथ्य का सुदृढ प्रमाण है।

मनोविज्ञान के मर्मवेत्ताओं का अभिमत है कि कठिन से कठिन समस्या का समाधान भूतवाद से निरपेक्ष रहकर केवल मनस्तत्त्व के आधार पर निकाला जा सकता है। यहां मानस-शास्त्रियों ने चैतन्य की पूर्ण प्रतिष्ठा की है। अवधान इसी मनस्तत्त्व का एक प्रकृष्ट रूप है। यह प्रवल स्मरण-शक्ति का चमत्कार है।

अवधान का इतिहास

जब लेखन और मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था तब हजारो-हजारो पद्मों को भौखिक स्मृति में रखने की परम्परा थी। उस समय स्मृति की भी अपनी विलक्षणता थी। कुछ लोगों की स्मृति के तो बहुत ही विस्मयकारी उल्लेख मिलते हैं। ईसा के पूर्व हुए नन्द राजा के महामती शकड़ाल की पुत्रियों की स्मरण-शक्ति का अद्भुत वर्णन उपलब्ध होता है। महामती शकड़ाल के सात पुत्रिया थी। उन्हें स्मृति का वरेण्य रूप प्राप्त था पर यह सब उन्होंने कोई अवधान पद्धति से नहीं पाया था। नैसर्गिक ही उनकी स्मृति-शक्ति ही तेज थी। अवधान की सुव्यवस्थित परम्परा कब प्रारम्भ हुई, इसके विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस परम्परा में जैन मुनि उपद्याय यशोविजयजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने इसका प्रयोग व्यवस्थित विधि से किया था। उनका समय विक्रम की सोलहवीं शताब्दी था। वे सहस्रावधानी

६२ जैन दर्शन के परिपाश्व में

थे। कहा जाता है कि वे मनोयोगपूर्वक हजार स्मृति एवं गणित प्रधान प्रणोदनों को सुनकर धटो तक बाद रख सकते थे। वाराणसी में जब उन्होंने विद्वत् समाज के समक्ष अवधान प्रस्तुत किये तब आत्म-शक्ति के इस विलक्षण विकास को देखकर सभी विद्वान् आशचर्यचकित रह गये।

इसके बाद भानुचन्द्र गणि का नाम विशेष रूप से उल्लेख-योग्य है। उन्होंने बादशाह अकबर की महत्वी सभा में १०८ अवधान प्रस्तुत कर अकबर सहित सारी सभा को विस्मय-विमुग्ध कर दिया था। उनके बाद मुनि सुन्दर सूरि आदि कुछ अवधानकार हुए हैं किन्तु उस समय के अवधानों की रूपरेखा कथा थी, यह कुछ भी ज्ञात नहीं होता। दक्षिणी भारत के कुछ विभागों में भी अष्टावधान नाम से अवधानों की एक प्रक्रिया चालू है। यो लगता है अवधानों का एक लम्बा सिलसिला रहा है।

वर्तमान समय में अवधानों की जो पढ़ति प्रचलित है, वह श्रीमद रायचन्द्र की मानी जाती है। वे एक महान् तत्त्वज्ञानी, अध्यात्मविज्ञ एवं सद्-गृहस्थ थे। गांधीजी उनको बहुत मानते थे। अहिंसा-विपर्यक् उनकी जिज्ञासाओं का समाधान वे ही किया करते थे। उन्होंने गणित के जटिल एवं स्मरण-शक्ति के अद्भुत प्रयोगों द्वारा अनेक बार लोगों को चमत्कृत किया था। वर्तमान समय में उक्त प्रणाली के अनेक साधु-साध्वियों अवधानकार हैं।

तेरापथ में अवधान का श्रीगणेश

तेरापथ सध में सर्वप्रथम अवधान विद्या का श्रीगणेश युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी के शासनकाल में हुआ। इसका प्रारम्भ मुनिश्री धनराजजी सरसा ने किया। उनका जब विक्रम स ० २००३ का चातुर्मास वस्त्रई था तब उन्होंने धीरजलाल टोकरसी शाह के पास अवधान सीखकर १०१ अवधान उस महानगरी में किए।

उसके बाद अनेक साधु-साध्वियों ने अवधान कला पर अधिकार प्राप्त किया।

सत्या की दृष्टि से मुनिश्री चमालालजी, मुनिश्री राजकरणजी और मुनिश्री श्रीचन्द्रजी ने काफी विकास किया है। आचार्यश्री ने अन्य कलाओं की तरह इस कला के विकास के लिए भी साधु-साधिवयों को बहुत प्रोत्माहित किया है। अनेक साधुओं को पारितोषिक देकर उनका उत्साह बढ़ाया है। तेरापथ में अब तक लगभग पचीस साधु-साधिवयों ने अवधान-विद्या की साधना कर ली है। विभिन्न साधु-माधिवयों ने भारत के बगाल, बासाम, पजाब, विहार, उत्तरप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, राजस्थान आदि अनेक प्रान्तों में अवधानों का सफल प्रयोग किया है। भारत के विभिन्न शिक्षा केन्द्रों, कॉलेजों, राज्य संस्थानों, प्रतिष्ठित सार्वजनिक स्थानों तथा दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, बगलौर, मद्रास, पूना, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गौहाटी, तेजपुर, नौगांव, चण्डीगढ़, हिंसार, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बाड़मेर आदि प्रमुख नगरों में किये गये अवधान-प्रयोगों ने लोगों की भावना को काफी सीमा तक अध्यात्म की ओर आकृष्ट किया है। तेरापथ की प्रसिद्धि में भी ये बहुत बड़े माध्यम बने हैं।

अवधान का अर्थ

- अवधान कोई जादुई चमत्कार नहीं है और न कोई अलौकिक उपलब्धि है। कुछ साधनों के द्वारा इसे प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अपनी प्रसुप्त शक्ति को जाग्रत् कर हर कोई इस विशेष क्षमता को पा सकता है। इसलिए इसे दैवी शक्ति अथवा अवतारों का अनुग्रह मानने की जरूरत नहीं। यह मनुष्य के प्रयत्न से सिद्ध होने वाला एक कार्य है। अवधान धारण करने का एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। इससे स्मृति-विकास में और स्थिरता में बड़ा सहयोग मिलता है। जो बातें बड़ा परिश्रम करने पर भी स्मृति में नहीं जमती, अवधान-परिपाठी से वे मिनटों में स्मृति में टिक जाती है।

- अवधान का अर्थ है—परिचित या अपरिचित किसी भी बात या वस्तु

को एकाग्र मन से अपने स्मृति-कक्ष में धारण करना। मनोयोग जितना निष्कम्प होता है, धारण करने में उतनी ही त्वरता और स्थिरता होती है। मानवीय जीवन के हर विकास के लिए स्मृति की प्रखरता और सबलता विपेक्षित है। अवधान फलात्मक ढंग से इसकी पूर्ति का साधन है। अवधान श्रुत, दृष्ट और स्पृष्ट तथ्यों को स्मृति में बैठाने का उपकरण है।

अवधान में विश्व की किसी भी भाषा के कुछ वाक्याश, लम्बी अंक प्रक्रिया, संस्कृत-प्राकृत पद्धति, व्यक्ति, नगर और वस्तुओं के नाम आदि स्मृति के आधार पर याद रखे जाते हैं। साथ ही गणित के प्रश्नों में गुण्डाक-शोधन, मनोरजन गणित, कौन व्यक्ति कितने नम्बर की पुस्तक के कौन से पृष्ठ की कौन-सी प्रक्रिया का कौन-सा वाक्य पढ़ रहा है, कौन कवि जन्मा और किस की जेव में कितने रूपये हैं आदि प्रश्नों का उत्तर विना कागज-कलम की सहायता से गणित के भाष्यम से किया जाता है। आखें बन्द किये कवि कौन-सी पुस्तक उसके हाथ में आयी बताना, यह सब कार्य-क्रम दर्शकों को अजीब आश्चर्य में डाल देता है। उनको दैवी चमत्कार-सा लगता है। पर असल में यह स्मृति-प्रखरता की विलक्षणता होती है।

अवधान की प्रक्रिया

अवधान करने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया से अवधानों का प्रशिक्षण होता है। सर्वप्रथम अवधानकार को अपने मन को केन्द्रित करने का अभ्यास करना पड़ता है। तदनन्तर उसे अपने मस्तिष्क में काल्पनिक प्रकोष्ठकों का निर्माण करना होता है और प्रत्येक प्रकोष्ठ में कल्पित स्वामी विठाया जाता है। अवधानकर्ता को अवधान के समय स्मर्तव्य वस्तु का प्रकोष्ठ स्वामी के साथ सयोजन करते हुए उसे मस्तिष्क प्रकोष्ठ में जचाना होता है। यह सम्बन्ध जितना सुदृढ़ और उभरा हुआ होता है अवधान उतने ही सफल होते हैं। अवधान प्रक्रिया के मुख्य चार अग हैं—

१. ग्रहण—जिस इन्द्रिय का विषय हो उसके द्वारा मन की पूर्ण

एकाग्रता के साथ उस वस्तु को ग्रहण करना। मन जितना केन्द्रित होकर ग्रहणकाल में सहयोग करता है, ग्रहण उतना ही स्पष्ट और परिपक्व होता है।

२ धारण—गृहीत चीज़ को मस्तिष्क प्रकोष्ठों में सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित कर सुरक्षित रखना।

३ स्मरण—आवश्यकता होने पर धारण की हुई वात को अस्थलित रूप से दोहराना।

४ प्रत्यभिज्ञा—स्मृति में ली गयी वस्तु को पृथक-पृथक पहचानना।

इन चारों अंगों के सम्यक् समायोजन के द्वारा ही अवधान की प्रक्रिया अच्छी तरह सीखी जा सकती है।

अवधान की सफलता के स्रोत

अवधान परिपूर्ण रूप से ठीक हो, उनमें किसी प्रकार की न्यूनता न रहे, वे सर्वथा सफल हो—इसके तीन आधार प्रमुख हैं। ये तीनों अवधान की सफलता के स्रोत कहे जा सकते हैं।

१ मानसिक एकाग्रता—अवधान की सफलता का मूल स्रोत मन की एकाग्रता है। विखरे और विक्षिप्त चित्त वाला व्यक्ति कभी अवधानों में सफल नहीं हो सकता। विखरी हुई बहुत-सी शक्ति भी बैकार और वर्वाद हो जाती है, जबकि वह केन्द्रित होकर कठिन से कठिन कार्यों को करने में सक्षम हो जाती है। विखरी हुई भाप बिलकुल अर्किचित्कर होती है, उसका आभास तक नहीं होता पर एकत्रित होकर महान् यन्त्रों का सञ्चालन कर डालती है। वस्तुत ही मन की एकाग्रता में महान् शक्ति निहीत है। अवधान की सफलता का प्रथम आधार द्वन्द्व-मुक्त मन की एकाग्रता ही है। अवधान के समय दूसरी इन्द्रियों के विषयों से मन पूरा हटा हुआ होना चाहिए। मन की ओर इन्द्रियों की समग्र शक्ति एकाग्रता से केवल प्रस्तुत अवधान में ही लगनी चाहिए। मन की एकाग्रता जितनी केन्द्रित होगी, अवधान उतना ही पूर्णता से होगा। अवधान में मानसिक एकाग्रता

की कितनी गहरी आवश्यकता होती है इसकी सबसे पहले अनुभूति मुझे दिल्ली में तब हुई जब मैंने साहित्य-परामर्शक मुनिश्री बुद्धमल्लजी के सान्निध्य में सर्वप्रथम १०१ अवधान किये थे।

२ कल्पना-प्रवणता—अवधान साफल्य का दूसरा आधार कल्पना-प्रवणता है। स्मृति के अवधानों में कल्पना का बहुत भारी उपयोग होता है। कल्पना शक्ति जितनी तेज और स्फूर्त होती है, अवधानों का समायोजन एव स्थिरीकरण उतना ही त्वरित गति से और सुषडता से होता है। आधात लगते ही वीणा के तार की तरह कल्पना के पथ स्पदित हो उठते हैं, कल्पना तितली की तरह उड़ने लगती है तो अवधानों के सम्बन्ध-समायोजन में बहुत ही विशदता आ जाती है। अवधानकार का कल्पना-शील होना बहुत आवश्यक है।

३ अभ्यास—अवधानों की सफलता का सूतीय स्रोत निरन्तर का अभ्यास है। किसी कला का शिक्षण एक बात है पर उसे सुरक्षित रखना दूसरी बात है। हर योग्यता या हर शक्ति को स्थायी अथवा मजबूत निरन्तर के अभ्यास से ही बनाया जा सकता है। सतत अभ्यास से नये सुशिक्षित और सुरुहित शिल्प विस्मृतप्राय हो जाता है। अत अवधान करने वाले को उसकी प्रक्रिया को दुहराते रहना चाहिए।

अवधान का प्रयोजन

अवधान कोई प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, वह आत्म-छ्याति के लिए भी नहीं किया जाता है। उसके प्रयोग का उद्देश्य आत्म-शक्ति का परिचय देकर आत्मवाद की प्रतिष्ठा स्थापित करना है। भोगवाद से अभिशप्त मनुष्य को अध्यात्मवाद का गौरव दिखाना है।

वर्तमान युग में स्मृति-क्षीणता प्रतिदिन विश्व की आवादी की तरह बढ़ती जा रही है। विश्व के लिए आवादी ज्यो सिरदर्द हो रही है उसी तरह गिरती हुई स्मृति भी एक महान् समस्या बन रही है। स्मृति-क्षीणता से जहां मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में अनेक अडचनें आती हैं वहां अनेक

अनैतिकताओं को भी अवकाश मिलता है। परीक्षा-भवनों मे नकल, उद्धड़ता और छोखाधड़ी इसलिए चलती है कि छात्र-छात्राओं के पाठ्य स्मृति में नहीं होता, उन्हें अपना विषय अधिकल रूप से याद हो तो इन सब बुराइयों को स्थान न मिले।

अवधान-प्रयोग के माध्यम से स्मृति-विकास की प्रक्रिया को प्रसारित करना है। निवेल पढ़ी स्मृति को पुनः तेज और सशक्त बनाया जा सकता है, इस प्रकार की आस्था को पौदा करना है। अपने आप पर विश्वास करके अगर भनुष्य अपनी स्मरण-शक्ति को बढ़ाना चाहे तो उसमे अवधान प्रणाली से आश्चर्यजनक विकास कर सकता है। अवधानों की कला सचमुच मे भनुष्य जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है।'

ध्यान : एक विवेचन

मनुष्य के दुख-दूङ्क का मौलिक कारण स्वरूप-विस्मरण है। वह यथार्थ में अभावभ्रस्त या दुखी नहीं है। परन्तु ऐसा अपने अज्ञान से बना हुआ है। अज्ञान का आवरण हृटा दे तो समुद्र की तरह चारों ओर उसके सरसता और सम्पन्नता की सृष्टि विद्यमान है। कहीं भी नीरसता और दण्डिता नहीं। समुद्र की तरह मनुष्य भी विशाल और अगम्य है। उसकी महत्ता और गरिमा उद्दिष्ट से भी विपुल और व्यापक है। अक्षय क्षमताओं का वह स्वामी अपने आप से परिपूर्ण है। उसकी अधिकाश अपूर्णता कल्पित और अज्ञान-जनित है। आत्म-विस्मृति से ही वह दीन-हीन भिखारी बना हुआ है। उसको सुखी और समर्थ करने का उपाय आत्म-ज्ञान ही है। आत्मशक्ति की अभिज्ञता उसकी सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर देगी। आत्म-पहचान ही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसमें सभी प्राप्तियाँ निहित हैं। आत्म-ज्ञान और आत्म-दोध के लिए सबसे उत्तम मार्ग है ध्यान।

भुक्ति-प्राप्ति के समस्त साधनों में ध्यान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सभी दार्शनिकों और तत्त्व दर्शनों ने इस पर विशेष बल दिया है और इसकी विधि का विस्तार से वर्णन किया है। ध्येय की साधना में ध्यान अनुपम और अद्वितीय सहायक होता है। विना ध्यान के ध्येय की सिद्धि नहीं की जा सकती। ध्येय-सिद्धि के लिए एकाग्रता अनिवार्य होती है। ध्येय साधना में सुदृढ़ निर्णय और अविकल धैर्य चाहिए। यह पोर्यता ध्यान के माध्यम से अनायास अर्जित हो जाती है।

ध्यान की सबसे बड़ी सार्थकता यह है कि उसके द्वारा अन्तर-शान्ति मिलती है। जिस शान्ति में अन्तःकरण की व्यग्रता एवं उद्घिनता मिटे और अन्तर्दृढ़न्द्र न रहे वही वास्तविक शान्ति होती है। अन्तरंग में यदि विक्षोभ, आकुलता और अकुलाहट होती है तो वह असली शान्ति नहीं है।

ध्यान के द्वारा सभी सध्यपों की भी परिसमाप्ति हो जाती है, क्योंकि अधिकाश सध्यं मानसिक अस्वस्थता और चचलता के ही परिणाम होते हैं। कुछ भी नहीं होते हुए भी आदमी भूत खड़ाकर लेता है और उससे लड़ा करता है। चित्त की शान्त दशा में विकल्प और विकारजन्य सभी सध्यं निरस्त हो जाते हैं। जैसे उबलते पानी में कोई प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर नहीं होता वैसे ही अशान्त मन में कोई निर्णय या तथ्य प्रतिभासित नहीं होता। स्वस्थ और शान्त चित्त में ही नव्य-नव्य स्फुरणाओं का साम्राज्य है (स्वस्थे चित्ते दुद्धय प्रस्फुरन्ति)।

ध्यान का अर्थ

ध्यान का अर्थ है एकाग्र चिन्तन अथवा मानसिक, वाचिक और कायिक चचलताओं का निरोध। ध्यान-दशा में सभी विकल्पों को शान्त करते हुए किसी ही एक विषय में तल्लीन एवं तन्मय होने का प्रयत्न किया जाता है। क्षण-क्षण में जो भाव-लहरिया उभरती हैं उन सबका शमन और निरसन करके अभीष्ट विषयों में एकाग्र होना ध्यान कहलाता है।

ध्यान प्रारम्भ में क्रिया और पूर्णता में अवस्था है। ध्यान के माध्यम से समता की साधना की जाती है। राग-द्वेष ही बन्धन के मूल हेतु हैं। इष्ट पर अनुराग और अनिष्ट पर द्वेष भाव का प्रादुर्भाव व्यक्ति को असतुलित और अस्थिर बनाए रखता है। उसकी यह चचल वृत्ति ही लक्ष्य तक पहुँचने में बाधक होती है। ध्यान इसको सुस्थिर करने का उपकरण है।

ध्यान का मौलिक रस और प्राण उसकी एकाग्रता में है। ध्यान दशा

से ध्येय के अतिरिक्त कोई दूसरी स्मृति तक नहीं होनी चाहिए। जैसे एक पीढ़ी के समीप दूसरा पीढ़ा उग जाता है और पनपने लगता है तो उसका रस खीचने लगता है और शोष में उसको निष्प्राण बना देता है। चिन्तन भाव ध्यान में उर्जित होना चाहिए। लगाव, झुकाव, तनाव और घुमाव सब समाप्त होने चाहिए। दिमाग में किसी भी चीज़ का भार न हो और न किसी अनुराग या विराग का परिस्फुरण ही। योग त्रिक (भन, वचन और काय) की जो शान्त अवस्था है वही ध्यान का शोषण अथ है, यही आत्म-दर्शन और परमात्म-पद को उजागर करता है।

ध्यान का फल

ध्यान का प्रथम फल सन्तुलन और अन्तिम फल बन्धन-मुक्ति है। ध्यान में मनुष्य की बुद्धि ज्यो-ज्यो स्थिर होती है त्यो-त्यो वह सनातन चिर सत्य की उपासिका बनने लगती है। प्रलोभन उसको लुभा नहीं पाते और भय उसको आतकित नहीं कर पाते। ध्यान में व्यक्ति अन्तर्भुखी होने लगता है। वाह्य सज्जाओं और सभ्यताओं से मुड़कर अन्तरग सज्जा से रसानुभूति करता है। ध्यानावस्था में मनुष्य स्व को लक्ष्य बनाता है। आत्म-निरीक्षण की प्रक्रिया ज्यो-ज्यो तीव्र और प्रखर बनने लगती है वह आत्म-स्वरूप के समीप पहुँचने लगता है। ध्यान का परम ध्येय तो आत्म-प्राप्ति ही है—जहां ध्यान, ध्येय और ध्याता का भेद मिट जाता है, शुद्ध एक चिन्मय स्वरूप रह जाता है। पूर्णता प्राप्त आत्मा के न कोई बन्धन रह जाता है और न कोई अधेरा। ज्योतिमंय उस तत्त्व की निराली आभा होती है। अनुपम आनन्द होता है। वर्ण विन्यास के द्वारा उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुभूति ज्ञेय तत्त्व का आनन्द अनुभव ही उठा सकता है, जडात्मक शब्द नहीं।

ध्यान प्रस्तुत जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। प्रतिक्षण ध्यय और विक्षुभ्य रहने वाला मनुष्य प्रशान्त और सन्तुष्ट बन जाता है। मानसिक स्वच्छता और प्रसन्नता के आधार पर वह अपना समग्र जीवन

जीवित और प्राणवान बना लेता है।

ध्यान के प्रकार

ध्यान की एक परिभाषा एकाग्र चिन्तन है। एकाग्र चिन्तन श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ किसी भी विषय में हो सकता है। विषयों के आधार पर ध्यान के कई प्रकार हो सकते हैं। शास्त्रकारों और तत्त्वदर्शी मनीषियों ने ध्यान के अनेक भाग किए हैं किन्तु जैन, बौद्ध और वैदिक आचार्यों ने ध्यान के अनेक भेद करते हुए भी दो प्रकारों में सभी का समावेश कर लिया है। वे हैं— पवित्र और अपवित्र। जैनाचार्यों ने इसको शुभ और अशुभ नामों से पुकारा है। बौद्धों ने कुशल और अकुशल नामों से व्यवहृत किया है और वैदिक धर्मनेताओं ने क्लिष्ट और अक्लिष्ट नाम दिया है।

चिन्तन की एकाग्रता और तल्लीनता किसी भी विषय में हो सकती है। तुच्छ से तुच्छ और जघन्य से जघन्य विषय में भी व्यक्ति एकाग्र हो सकता है और महान् से महान् विषय में भी। शुभ ध्यान जहा बन्धन-मुक्ति हेतु बनता है वहा अशुभ ध्यान बन्धन और क्लेश का निभित्त बनता है। मात्र एकाग्रता ही फलदायी नहीं होती, उसका शुभ होना भी आवश्यक है। इसीलिए सभी सम्प्रदायों एवं परम्पराओं ने शुभ ध्यान पर बल दिया है।

ध्यान की विधि

हर क्रिया की अपनी विशिष्ट पद्धति होती है। उस पद्धति से उस क्रिया की सम्पन्नता हो तो वह सुन्दर, सुव्यवस्थित और सफल बनती है। विधिपूर्वक क्रिया गया अनुष्ठान ही आत्मसन्तोष देने वाला होता है। ध्यान की अनेक विधियाँ हैं। उन सबका लक्ष्य यह है कि ध्याता का मन तरगित न रहकर प्रशान्त बने और वह टिके।

ध्यान की प्रथम आवश्यकता यह है कि मनुष्य का मन निर्विषय बने। विकल्पों की उद्घेढ़वन जब तक नहीं समेटी जा सकती तब तक ध्यान स्वलक्षी

नहीं हो पाता, अत ध्यान को पहली शर्त चित्त की स्वस्थता है। दूसरी बात है इन्द्रिय-संयम। इन्द्रिया व्यक्ति को बहुत भटकाती है। उन पर संयम और नियन्त्रण जब तक नहीं होता तब तक कोई भी साधक ध्यान में सफलता नहीं पा सकता। स्वर, रूप, सुगन्ध, स्वाद और स्पर्श मनुष्य को जब तक खीचते रहते हैं तब तक वह ध्यान का पात्र नहीं बनता। इन्द्रिय विषय-वन्धन से उसे बिलकुल मुक्त होना चाहिए तभी वह केन्द्रित हो पाएगा।

आन्तरिक साधनों के साथ-साथ वाह्य उपकरणों का भी ध्यान में बहुत बड़ा सहयोग रहता है। ध्यान के लिए एकान्त और शान्त स्थान की अपेक्षा होती है। जो स्थान जनाकुल हो अथवा हलचल-भरा हो वह ध्यान के उपयुक्त नहीं होता। ध्यान में दृग्बन्धन या नासाग्र दृष्टि बहुत आवश्यक है।

ध्यान छड़े, बैठे, सुप्त आदि किसी भी अवस्था में हो सकता है। ध्यान में आसन की अपेक्षा मनोनुशासन की विशेष महत्ता है। यद्यपि मन के स्थैर्य में आसन भी सहायक बनता है। वातावरण का व्यक्ति के अन्तर्ग पर काफी प्रभाव पड़ता है। किन्तु बलिष्ठ तथ्य यह है कि मन पर सम्यक् आधिपत्य हो तो वह हर परिस्थिति में उसको अनुकूल और साध्य-निष्ठ बनाए रख सकता है। अधिकृत मन तो पावर-हाउस की तरह शक्तियों का केन्द्र है। विधि का सर्वत्र महत्त्व है। अत विधिवत् किया गया ध्यान बहुत फलप्रद होता है।

ध्यान का समय

ऐसे तो ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। ध्यान की अच्छी साधना होने पर व्यक्ति कहीं भी और किसी भी समय एकाग्र हो सकता है। क्षेत्र, समय और परिस्थितिय उसकी एकाग्रता में बाधक नहीं होती। ध्यान की ओर रक्षान होने ही वह ध्यानस्थ हो जाता है। वाह्य वातावरण उसको पीछित नहीं क

पाता, क्योंकि उसका अन्तरण उसके वशवर्ती होता है। मन पर पूरा नियंत्रण होता है। पर जब तक ध्यान की अभ्यास-दशा हो तब तक सूक्ष्म-सी हलचल से भी मन उचट जाता है। अत ध्यान का समय ऐसा होना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक शान्ति हो और मन निर्विकल्प तथा निर्विचार हो।

शास्त्रकारों एवं ध्यान के अनुभवियों ने ध्यान के उपर्युक्त दो समय माने हैं—प्रथम प्रात काल का, दूसरा शयन से पूर्व। प्रात काल जिसे अमृत-बेला कहते हैं, सूर्योदय के दो-ढाई घण्टा पहले का समय होता है। उस समय वही शान्ति होती है। जग की हलचल प्रारम्भ नहीं होती है। चारों ओर शान्त और नीरव वातावरण रहता है। बहुत सुहावना और चित्त-प्रसन्नता का वह समय ब्रह्म भुर्हूर्त के नाम से भी पुकारा जाता है। वस्तुत वह समय ब्रह्म को—आत्मा को आह्वान करने का समय है। उस समय मनुष्य का मन काफी स्वस्थ और स्वच्छ होता है। अत उस समय में किया जाने वाला ध्यान तथा चिन्तन शीघ्र जीवन-परिष्कृत और आत्म-दर्शन में सहायक होता है।

प्रात काल के अतिरिक्त ध्यान का दूसरा समय शयन से पूर्व माना जाता है। प्रस्तुत समय में ध्यान करने से दो लाभ हैं। एक तो दिन भर के कृत कार्यों पर मनोमन्थन हो जाता है, उनके उचित-अनुचित का निष्कर्ष निकल आता है। सत् की ओर प्रेरित होने का बल मिलता है। वस्तुतः ही एकान्त में एकाग्र होकर किया गया ध्यान व्यक्ति को सुदृढ़ सकल्प और अपूर्व शक्ति प्रदान करता है। निराशा व्यक्ति के भी आशा की चादनी चमक उठती है। अक्षय शक्तियों का स्रोत उमड़ने लगता है। दूसरे इस समय में किया गया ध्यान निश्चित रूप से निद्रा में भी सहयोगी बनता है। चिन्तन-मनन से व्यक्ति सभी दिमागी भारो को हटाकर निश्चिन्त बन सकता है और सुख की नीद सो सकता है। सुखद नींद वही सो सकता है जो उलझनों से मुक्त हो और आसक्तियों से ऊपर हो। उपर्युक्त दोनों ही समय ध्यान के लिए श्रेष्ठ हैं।

१०४ जैन दर्शन के परिपालक में

ध्यान भारतीय स्त्रुति का नवनीत है। विषम पहलुओं को इसके द्वारा सम और स्थिरता बनाया जाता है। आत्मावबोध के लिए इससे अन्य कोई साधन नहीं है। पूरी तरह सप्तार में फसा व्यक्ति भी ध्यान-साधना से बन्धन-मुक्ति बन जाता है। ध्यान आत्म-जागृति का दिव्य प्रशस्त मार्ग है।

कितना भी कालुष्य चढ़ा हो पर ध्यान के निर्मल स्रोत के प्रवाहित होते ही सब धुलकर साफ हो जाता है। सुख-दुख का कारण भनुष्य स्वय है। वह अपने को सन्मार्ग पर चलाये तो सुख और उन्मार्ग की ओर बढ़े तो दुख पाता है। ध्यान उसको श्रेय मार्ग की ओर करने का उपकरण है। ध्यान से व्यक्ति अपने अन्तरग जीवन की हर समस्या को पकड़े और ध्यान की अग्नि में डाले तो सभी समस्याएं शान्त हो जाएं।

संस्कृति : एक चिन्तन

संस्कृति की व्युत्पत्ति में दो शब्द हैं—सम् और कृति । इन दोनों के योग से संस्कृति शब्द की निष्पत्ति हुई है । सम् अर्थात् सम्यक् और कृत अर्थात् निर्माण । तात्पर्य यह हुआ कि सम्यक् निर्माण ।

सप्ताह में बहुत कुछ निष्पत्ति होता है, पर वह सब संस्कृति की कोटि में नहीं आ सकता । संस्कृति की श्रेणी में तो वही समाविष्ट होता है, जिसका सम्यग् निर्माण होता है ।

संस्कृति की परिभाषा

संस्कृति की विद्वानों ने अनेक परिभाषाएँ की हैं, परन्तु विस्तार-शब्द से मैं उन सबका विश्लेषण नहीं करना चाहता । अत उनमें से कुछेक का ही उल्लेख कर रहा हूँ ।

संस्कृति की व्याख्या करते हुए एक पडित ने कहा है—जीवन में एकरसता प्राप्त संस्कारों की केन्द्रीभूत समष्टि ही संस्कृति है ।

अन्य किसी भेदावी ने कहा है—जातिगत गुणों का सामूहिक नाम ही संस्कृति है । जाति अथवा राष्ट्र जिन सुसंस्कृत नियमों को अपनाकर विकास करता है, उन्हीं को संस्कृति कहा जाता है ।

किसी जीवन-मर्मज्ञ ने कहा है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है ।

रामायण के रचयिता तुलसीदासजी ने कहा है—

कृषि निवारहि चतुर किसाना ।

जिमि बुध तर्जहि मोह मद माना ॥

अर्थात् जिस प्रकार चतुर किसान अपने खेत में हानि पहुँचानेवाले तृणादि को हटाकर खेत को शुद्ध एव स्वच्छ बनाता है, वैसे ही विलक्षण व्यक्ति अपनी आत्मा के मोह, मद, द्वेष, लोभ और क्रोध आदि दोषों को दूर करके जीवन का जो परिष्कार करते हैं, वही सस्कृति है। इस प्रकार हमें सस्कृति की विभिन्न परिभाषाएं मिलती हैं। इन सब परिभाषाओं के तल में हम पाते हैं कि अपूर्ण से पूर्ण की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर जो प्रयाण का उपक्रम है, वस्तुत वही सच्ची सस्कृति है।

एक सस्कृति

विश्व की सस्कृति एक है, इसके भेद नहीं हो सकते। भेद तो चित्त के साकीर्ण्य का प्रतीक है। सकीर्णता में सस्कृति के दर्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सस्कृति देश, जाति, वर्ग और भाषा आदि की सीमा से परे होती है।

विकास के मूल सत्य सद्भावना, सहानुभूति, त्याग, आस्था और प्रेम हैं। प्रत्येक मनुष्य, समाज, वर्ग और राष्ट्र के लिए ये गुण अनिवार्य हैं। इनके विना कोई प्रगति नहीं कर सकता और इनमें सास्कृतिक एकता स्वत प्रतिफलित हो आती है।

पूर्वीय सस्कृति, पाश्चात्य सस्कृति, रूसी सस्कृति, अमेरिकन सस्कृति, आगल सस्कृति, भारतीय सस्कृति, ईसाई सस्कृति, मुस्लिम सस्कृति, हिन्दू सस्कृति, जैन सस्कृति, बौद्ध सस्कृति, वैदिक सस्कृति, दास सस्कृति, वर्णिक सस्कृति आदि ये औपरिक भेद हैं, तत्त्वत सस्कृति न तो भेदपूर्ण होती है और न ऐसा होना अभीष्ट ही है।

सस्कृति के विभक्तिकरण से उसके लक्ष्य का हनन होता है, उसका गौरव विलुप्त होता है, उसमें सकुचितता आ जाती है। छोटी दृष्टि वाले दूसरों को नहीं सह सकते। असहिष्णुता सदा ही विरोध का वातावरण तैयार कर देती है और उसके बाद तो कलह का द्वार खुल जाता है। इससे

क्रमशः भयकर युद्धों का वातावरण बन जाता है। असत्य विष्वसक यत्नों का निर्माण होता है, उसमें असीम धन का नाश होता है। ऐसे महान् विष्वस और भीपण सघर्ष की हेतु मस्तुकि कैसे बन सकती है। उसका साध्य विघटन नहीं, सम्मेलन है। शान्ति-स्थापन है। जहां सम्मेलन और विकास होता है, वही सस्कृति की उपलब्धि हो सकती है, अन्यत्र नहीं।

सस्कृति के उपर्युक्त भेद जहा किए जाते हैं, वहा एक विशिष्ट दृष्टि या वाह्य आचार-व्यवहार के आधार पर किए जाते हैं। किन्तु मूलतः उसमें कोई भेद नहीं है।

आदान-प्रदान सस्कृति का एक विशिष्ट गुण है। इससे सस्कृति समृद्ध होती है। सस्कृति विरोध में नहीं, समन्वय में होती है। यह सदा सरिता की तरह प्रवाहशील रहती है, कभी रुकती नहीं। जिस प्रकार वहती हुई नदी से सब लोग लाभान्वित रहते हैं, उसी प्रकार सस्कृति से भी मनुष्यों का प्रेय और श्रेय सिद्ध होता है।

वर्तमान युग में सस्कृति का कुछ ह्लास अवश्य हुआ है। लोग सस्कृति के स्वरूप को भूल गये हैं। उनकी दृष्टि में अत्यन्त विपर्यय हो गया है। वे अन्तर को छोड़कर वाह्य के ही उपासक बन गए हैं। सस्कृति का रूप भी वे केवल नृत्य और गायनों में देखने लगे। सास्कृतिक कार्यक्रमों में वहां वही सब कुछ होता है, जिसका जीवन-विकास और सस्कार-निर्माण से थोड़ा भी सम्बन्ध नहीं होता।

सस्कृति शब्द की अर्थ-गरिमा

सस्कृति शब्द की अर्थ-गरिमा बहुत व्यापक है, इसलिए उसके गर्भ में जीवनगत विचार, आचार, विज्ञान, दर्शन, व्यवहार, साहित्य एवं कला निहित है। सस्कृत चरित्रवाले मनुष्य किसी को हीन और अस्पृश्य नहीं मानते, वे वर्ण-परिचय को लाधकर मानवता की सेवा करते हैं।

“आत्मवत् सर्वभूतेषु, म पश्यति स पण्डित”

यह उनका महान् सिद्धान्त होता है कि वे मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद-रेखा नहीं खीचते। ससार के सब जीवों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है और सब में समानता देखते हैं।

जैनागम का सुन्दर सूक्त है—

“समया सञ्चभूएसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे
गीता का सूक्त—अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्”

बीद्र ग्रन्थों में बुद्ध के लिए कहा गया है—

“वधके देवदत्तम्ह चोरे अगुलमालके।

घनपत्ते राहुले च सञ्चत्य समको मुनि. ?”

इन आदर्श सिद्धान्तों के आधार पर स्स्कृति का अर्थ हुआ—साम्य निर्लिप्तता और अनासक्त भाव से कार्यलीनता

स्स्कृति और सम्यता

अनेक लोग स्स्कृति और सम्यता को एक ही मानते हैं, पर वस्तुतः स्स्कृति ऐसी नहीं है। स्स्कृति और सम्यता में भिन्नता है। स्स्कृति सूक्ष्म होती है और सम्यता स्थूल। स्स्कृति में आत्मा के आदार्य, माधुर्य और सौजन्य आदि गुणों का समूह होता है और सम्यता मौलिक प्रगति पर आधारित रहती है। मनुष्य की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सज्जित वेशभूषा, आलाप-सलाप की परिष्कृत पद्धति और वाष्पयान, वाशुयान, जलयान, रडार यन्त्र आदि जो जीवन-सुविधा के लिए वाह्य उपकरण हैं, वे सब सम्यता के द्योतक हैं, स्स्कृति के नहीं। पर इन सब में मनुष्य कीन-सी रूच का प्रदर्शन करता है उससे स्स्कृति का परिचय होता है। वृहत्तम निर्माण यन्त्रों में मनुष्य किस इष्ट से सलग्न होता है, उस इष्ट से स्स्कृति का बोध होता है। स्स्कृति अन्तर आनन्द की अभिव्यक्ति है और सम्यता मानव के वाह्य प्रयोजनों को सहन करने का विधान है।

सम्यता शरीर को बलकृत करती है और वाह्य वातावरण को सजाती है। स्स्कृति चैतन्य को पुष्ट करती है और परस्पर के व्यवहार में सीहर्दं

सम्पादित करती है तथा आत्मा को विनम्र बनाती है।

विज्ञान की उन्मुखता सम्भवता की ओर है। प्राय उसकी समग्र गणितशारीर की सुरक्षा और सुव्यवस्था में व्यस्त तथा सलग्न है। पर आत्म-शान्ति तथा मनुष्य के मन को निर्भय एवं तृप्त बनाने के लिए उसने कोई सूक्ष्म चरण-न्यास नहीं किया है और वैसा करने के लिए समर्थ भी नहीं है। यह सब तो सास्कृतिक विकास ही कर सकता है। इसलिए सस्कृति का विशेष महत्व है।

भारतीय सस्कृति का वैशिष्ट्य

ऋग्वेद में कहा गया है—“एक सद्-विप्रा बहुधा वदन्ति”

जैनागम में निरूपण किया गया है—“एगे सच्चे”

बौद्ध ग्रन्थों में उल्लेख है—“एग ही सच्च न द्वुसियमत्यि”

इन कथनों के अनुसार सत्य एक ही है, पर विद्वान् लोग प्ररूपण-पद्धति के आधार पर उसमें नानात्म ले आते हैं, उसी प्रकार विश्व-व्याप्ति सस्कृति भी सारे ससार की एक ही है। परन्तु वक्ता की विवक्षा से अथवा किसी तथ्य की प्रमुखता से काल्पनिक भी स्वीकार कर ली जाती है।

‘भारतीय सस्कृति’ यह जो कथन किया जाता है, इसके पीछे भी यही वृष्टि काम करती है।

‘भारतीय सस्कृति’ की अनेक विशेषताएँ हैं। उसमें प्राणि मात्र के कल्याण की कामना की गई है, उसकी प्रथम विशेषता उदारता है।

कहा गया है—

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद्दुखभाग् भवेत्॥

अर्थात् सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो, कोई दुख न पाए—विना किसी भेद-भाव के यह भारतीय सस्कृतिका उद्घोष रहा है।

इसी प्रकार—

सगच्छव सगद्धव सबो मनासि जानताम्

११० जैन दर्शन के परिपाश्व में

अर्थात् सब मनुष्य मिलकर समान उन्नति करें, सब एक लक्षात्मक वाणी बोलें, सबके हृदय एक रसमय हो और सब सबके विकास में सह-योगी बनें।

भारतीय संस्कृति का इष्टिकोण बहुत व्यापक रहा है, उसमें सब-पर की भेद-रेखा नहीं है, इस रेखा को लघुता का प्रतीत माना है और हूपण रूप से देखा है। संस्कृत सूक्त है—

अय निज परोदेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारस्वरितानातु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

अर्थात् यह उदार भावना भारतीय संस्कृति का मौलिक स्तम्भ है। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है आत्मवाद

आत्मवाद ही सब चिन्तनों का आधार रहा है। इस विषय में बहुत सूक्ष्म आलोचन और प्रत्यालोचन हुआ है। कृष्णियों ने उसे ही श्रेय, उपादेय और परम कहा है। आत्मा को पूर्ण रूप से जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। गीता का कथन है—

यदृ ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते ।

अर्थात् आत्मा को जान लेने पर कुछ भी ज्ञातव्य अवशिष्ट नहीं रह जाता।

इस प्रकार भारतीय संस्कृति एक आत्म-संस्कृति बनती है।

भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता है त्याग

यहा भोग को नहीं, त्याग को गौरव प्राप्त है। जो त्यागी हैं, उन्हें सम्मान के योग्य माना जाता है, वैभवशालियों को नहीं। मनुष्य कभी भी वैभव परिवार या अन्य साधन सामग्री से सन्तुष्ट नहीं होता। मन का सन्तोष ही उसको परिस्तृप्त करता है। यही बात यहाँ के मनोविदों ने कही है।

मनसि च परितुष्टे को अर्थवान् को ही दर्खि ।

यहा वैभव-विपुलता को नहीं, मन के सन्तोष को सुख का साधन माता है। इसलिए यह त्याग की सस्कृति कही जाती है। यहा पर बड़े-बड़े धनिकों और राजाओं ने भी सर्वस्व त्यागकर सन्यास को स्वीकार किया है। भगवान् महावीर, बुद्ध आदि इसके साक्षात् उदाहरण हैं।

भारतीय सस्कृति की चतुर्थ विशेषता है समन्वयशीलता

भारतीय दर्शन इस विषय में काफी उदात्त है। उन्होंने प्रत्येक समस्या को सामजिक्य के बल पर समाहित करने का प्रयत्न किया। जैन दर्शन का अनेकान्त दर्शन और स्थाद्वादमय कथन तो समन्वय का मूर्त रूप है। उसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ और हर कथन अनेक स्वभाववाला तथा अनेक आशयवाला हो सकता है। अनेकान्त के आधार पर हम एक ही पुरुष को पिता, पुत्र, चाचा, भाई, भतीजा, भानजा आदि अनेक रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सभी उसके वास्तविक रूप होते हैं, जिनमें परस्पर कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार चिन्तन-विशालता और आचार-उदारता भारतीय सस्कृति का एक प्रमुख रूप रहा है, जिसे हम समन्वय शीलता के नाम से पुकारते हैं। इसका रूप बहुत उदारतापूर्ण है। यहां पर अनेक प्रवाह आये और जो उनमें ग्राह्य अथ या, उसे यह ग्रहण करती रही है और इस आधार पर अपने रूप को समृद्ध बनाती रही है। एक समय यह द्वितीय व्यापक और उन्नत बन गई थी कि सारे ससार में इसको शिखरस्थ पद प्राप्त था।

यहा के व्यक्तियों से समग्र ससार के मनुष्यों को चरित्र की शिक्षा मिलती थी। इस पर अनेक बार विविध आधार और प्रहार हुए हैं, पर इसने अपने मौलिक स्वरूप को नहीं छोड़ा।

आज आवश्यकता है कि इसका विस्तीर्ण अध्ययन और मनन किया जाए तथा उसको आचार में लाया जाए, क्योंकि सस्कृतिमय वातावरण विश्व का कल्याण करेगा। उससे ही सब द्वन्द्व विनष्ट होंगे और कृद्व वातावरण शान्त होगा। जीवन जागृत एवं शान्तियुक्त बनेगा।

प्रशासन : एक अनुचिन्तन

सुप्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक जैफसंन ने कहा है—“सर्वोत्तम प्रशासन-व्यवस्था वही है जो कम से कम प्रशासन करती है।” इसी तथ्य पर टिप्पणी करते हुए हेनरी डेविड थोरो ने लिखा है—“यदि उस शासन-व्यवस्था को अच्छा समझा जाता है जो कम से कम प्रशासन करती है तो उसे सर्वोत्तम क्यों नहीं माना जा सकता, जो प्रशासन विलकुल ही न करे।” उपर्युक्त शब्दावली में प्रशासन की गहरी मीमांसा प्रस्तुत है। प्रशासन क्या है ? और उसका व्येय क्या है ? इसको सूक्ष्मता से विश्लिष्ट किया गया है।

प्रशासन का उदय

प्रशासन का उदय जनता के अज्ञान और व्यवस्था असामर्थ्य का परिणाम है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि मानव-जाति के आरम्भ में ही मनुष्य का जीवन पूर्ण होता थथवा यह कहा जाए कि यदि सामाजिक सम्बन्ध शुरू से ही उत्तम होते तो मानव-समाज में सरकार की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की जाती। मानव-समुदाय की कार्य-विकासता ने ही प्रशासन-उद्गम को अवसर दिया।

प्रशासन-पद्धतिया

संसार में प्रशासन-पद्धतियों का लेया-जोखा बहुत विशाल है। आगे से आगे उनकी सख्त वृद्धिगत होती रही। किन्तु अब तक की उनकी वृद्धि

असफलता तथा निरर्थकता की ओर ही सकेत करती है। ऐसी कोई प्रशासन-प्रणाली नहीं है जो दोषों से सर्वथा उन्मुक्त हो। मनुष्य सदैव शान्ति का अभिलापी है। उसकी उपलब्धि के लिए उसने अनेक नये सृजन किए। प्रशासन का आक्रिर्भाव भी उसी कामना से हुआ। किन्तु मनुष्य का यह अनुष्ठान फलदायी न हो पाया। जैसा कि पाश्चात्य विचारक थोरो ने कहा—“अच्छी से अच्छी सरकार सामाजिक सुविधा के लिए होती है, किन्तु वहाँ अधिकाश सरकारें और कभी-कभी सभी सरकारें असुविधाजनक प्रमाणित होती हैं।”

सब प्रशासन-पद्धति के अपने-अपने गुण-दोष होते हैं। उनमें भी जो प्रशासन सत्ता को अधिक केन्द्रित करनेवाले होते हैं, वे ज्यादा भयकर और उत्पीड़क होते हैं। अनेकों का भाग्य जब एक मुट्ठी में बाधा दिया जाता है तो अन्यायों की कोई सीमा नहीं रह जाती। सम्राटों और राजाओं के प्रशासन इसके जीते-जागते प्रमाण हैं। यही कारण बना कि प्रशासन पद्धतियों में गणतन्त्र का प्रादुष्करण हुआ। एकतन्त्र में जहाँ व्यक्ति की अस्मिता अपने में ही चूर रहती है और जन-साधारण से उसका सम्बन्ध टूट जाता है वहाँ गणतन्त्र में उसकी अस्मिता पर नियमन और चुनौती रहती है। शासक को शिखरस्थ नहीं, लोगों के बीच में बैठने का अवसर मिलता है, जो कि सहानुभूति का उद्दीपन करता है और शासकत्व के गवं को भग करता है।

प्रशासन का मौलिक ध्येय

प्रशासन का मौलिक ध्येय सत्ता हस्तगत करना और लोगों पर अनुशासन चलाना नहीं है। उसका उद्देश्य तो मानवीय भावनाओं का उद्दीपन करना है। मनुष्य को हर पहलू पर सक्षम और योग्य बनाना है। मानव समुदाय को सदा अपने पैरों तले रोंदने वाला और उसे ज्ञान एवं जड़ता के गहन तिमिर में फसाए रखने वाला प्रशासन महान् हितवृत्ति और जघन्यता का प्रतीक है। ऐसा प्रशासन संस्कृति और मानवीय वृत्तियों

को चीपट पर देता है। जो प्रशासन कर्तव्यनिष्ठा, वन्धुत्व और निर्भयता को व्यापक रूप से प्रसारित नहीं कर पाता और मनुष्य में उदार एवं जागृति की भावना को नहीं जगा पाता वह स्फूर्ति का एक अपराध करता है।

वस्तुत तो मनुष्य की पूर्ण जागृति के एवं परस्पर की गहरी सम्बद्धता के आधार पर ही जीवन के पहलू विकसित एवं सबल बन सकते हैं। मानवीय सत्कारों का उद्दीपन जब तक न होगा तब तक कोई भी मुचारूता मनुष्य-समुदाय में पनप न पायेगी। उसके सब विकासों की रीढ़ उसका आत्म-जागरण है। उसकी उठी हुई और सत्कारित आत्मा ही उसके व्यवहार को व्यापक, मष्टुभय और विश्वस्त बनाती है। मनुष्य के सत्कार और व्यवहार जब इतनी मात्रा में उठ जाते हैं जहा आक्रमण और अहित की बात सर्वथा विलुप्त हो जाती है, तब फिर बाह्य रोक-टोक और अनुशासन की बात उस पर लागू नहीं होती। सारी स्थिति को वह अपने आत्मीय सम्बन्धों के आधार पर सम्भाल लेने का प्रयास करता है। यह आत्मोदय की स्थिति होती है। ऐसी अवस्था में प्रशासन की अपेक्षा नहीं रह जाती। आखिर यह बाह्यप्रशासन चलने का भी नहीं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने 'जीवन के दस भेद में' कहा है—“गवर्नेंट नाम से जिस सत्ता को पुकारा जाता है वह सत्ता अन्त तक मनुष्य पर कायम नहीं रह सकेगी।” इसी से मिलते-जुलते विचार श्री जैनेन्द्रकुमार ने व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है—“सरकार को अन्त में विवरना ही तो है। उसको सारे समाज में रम जाना है। समाज आदर्श वह है जहा हर नागरिक आत्म-शासित है और कही बाहरी छन्द-दण्ड से अभिशप्त होकर किसी पासक को सिंहासन पर विराजमान होने की आवश्यकता नहीं है।”

व्यक्ति-व्यक्ति को आत्मानुशासन सीखने की आवश्यकता है। वही स्थायी हुल प्रस्तुत कर सकता है। प्रशासन की कठोरता मनुष्य के मन को कभी नहीं जीत सकती क्योंकि उसका बल हार्दिक नहीं होता। जैसा कि 'सोच-विचार' में कहा है—“राज्य का बल हृदय का नहीं, कानून का है।

गुण का नहीं, सख्ति का है। सहानुभूति का नहीं, दमन का है।” यही कारण है कि व्यक्ति में अनुशासन के प्रति कोई आकर्षण पैदा नहीं हो पाता। आदमी वहां सदा आतंकित रहता है। फिर उस अनुशासन की क्षमा आवश्यकता रहती है कि जिसमें मनुष्य अभय और सुखी न हो।

प्रशासन की सीमा

प्रशासन के विस्तार में उसका ‘विनाश निकल आता है। इसलिए उसका सीमाकरण बहुत अनिवार्य है। महात्मा भगवानदीन ने कहा है— याद रहे अनुशासनपालकता भी अब सीमा जाए तो दुष्प्रदायी हो उठती है। शासकों की जैसे-जैसे शासनप्रियता बढ़ती जायेगी, शासन-भार बढ़ता जायेगा, वैसे-वैसे अनुशासन-हीनता बढ़ती जायेगी। गोलियां इस प्रचड अग्नि के लिए सदा आधी सिढ़ होती रहेगी। शासन-भार को कम और कानूनों के अम्बारों को सक्षिप्त करने के सुझाव शासकों के पास देश-विदेशों में आते ही रहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व विनोबाजी ने तो यहां तक प्रस्ताव रखा था कि भारत सरकार एक वर्ष के लिए प्रशासन कार्य को बदल कर दे।

महात्मा भगवानदीन ने भी अपने एक लेख में यह सुझाव दिया है— हमारी सलाह है कि भारत सरकार शक्ति को विवेरना शुरू कर दे, शासन-भार को कम कर दे और अनुशासनहीनता का रोना छोड़ दे।

प्रशासन के दो महान् दोष

प्रशासन-काल में कुछ छोटी कुटिया तो रहती ही हैं पर उनमें प्रमुख रूप से दो दोष अधिकाशतया होते हैं। दोनों ही दोष प्रशासन की आस्था को समाप्त कर देते हैं।

प्रशासन का प्रथम दोष

प्रशासन अधिकाश कार्य वल-प्रयोग के आधार पर करता है।

११६ जैन दर्शन के परिपार्श्व में

अनुशासित लोगों की इच्छाओं और कामनाओं को वह नहीं देखता। उसकी मानसिक स्थिति के साथ समन्वय बिठाये बिना वह आगे से आगे चलपूर्वक व्यवहार करता रहता है। अनुशासितों की प्राय मार्गें ठुकराता रहता है। तनिक-से अपराध पर उनको कुचल डालने का प्रयास करता है। अनुशासितों का विकास कैसे हो, इस दिशा में प्राय प्रशासन बहुत शिथिलता से सोचते और कार्य करते हैं।

प्रशासन में बल-प्रयोग की प्रवृत्तिया काफी बढ़ी-चढ़ी और स्वच्छन्द रहती हैं। अपने प्रतिकूल वह कुछ भी नहीं सह सकता। अपनी सखलनाओं की समालोचना को सहना भी उसके वश की बात नहीं होती। यही कारण है कि प्रशासन अपने आलोचकों के साथ बहुत कठोरता से पेश आता है। उसका परिणाम यह निकलता है कि प्रशासक और प्रशासितों में बैमनस्य और विरोध बढ़ता रहता है और विद्रोह की आग भभकने लगती है। विद्रोह की ज्वाला कभी-कभी तो इतनी प्रचड़ हो जाती है कि प्रशासन के प्रमुखों को भस्म कर डालती है। निकट में ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं। देश के प्रधानमन्त्रियों तक को मीत के घाट उतार दिया गया। जिस प्रशासन में बल-प्रयोग की आघी निर्देशता से चलती है वहा का प्रशासित चर्ग तो आतकित रहता ही है, पर प्रशासन के नेताओं और अधिकारियों को भी पूरा खतरा रहता है।

बल-प्रयोग के माध्यम से चलने वाले प्रशासन अक्सर अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। वे अपने शासित चर्ग के हृदय को पकड़ नहीं पाते। उससे अपेक्षित सहयोग नहीं ले पाते। प्रशासन तो आखिर प्रशासितों द्वारा स्वीकृत सत्ता ही तो है। वे जब सम्मिलित होकर उसे अमान्य कर देते हैं, तब उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाता। जो सिर पर होते हैं उन्हे पैरों तले आते विलम्ब नहीं लगता। पाश्चात्य विद्वान् विलियम जेम्स ने कहा है—“हमारे विचार और विश्वास तब तक चलते हैं जब तक उन्हें चुनौती नहीं दी जाती, उसी तरह जिस तरह वैक की हुण्डर्ड्यां स्वीकार किए जाने के कारण चलती रहती हैं। ठीक यही बात प्रशासन के विषय

मे है। प्रशासित वर्ग जब तक उसे मान्य करता है तब तक वह चलता रहता है, किन्तु वह उसके काले करनामो से विक्षुद्ध होकर सम्मिलित विद्रोह कर उठे तो किसी भी प्रकार का प्रशासन नहीं चल सकता। प्रशासन कितना भी बल-प्रयोग करे और कलेगाम बोल दे पर उखड़े हुए तथा विप्लवी प्रशासित-वर्ग को दबाने मे समर्थ नहीं होता। प्रशासन का बल-प्रयोग जितना तीखा होता है, विप्लव और विद्रोह की घटनाए उतनी ही अधिक घटती हैं।

प्रशासन का दूसरा दोप

प्रशासन का दूसरा दोप वैषम्य है। प्रशासन जब समत्वमय व्यवहार को छोड़कर पक्षपात के कीचड़ मे फस जाता है तो प्रशासित वर्ग की आखो से गिर जाता है। उसके कानून-कायदो मे प्रशासितो को कोई विश्वास नहीं रह जाता। फिर वह कितने ही आदर्शमय नियम-उपनियम गढ़े और प्रसार के लिए प्रयास करे किन्तु प्रशासितो के हृदय मे उनके प्रति कोई आस्थाभाव जागृत नहीं हो पाता। उन सब विधि-विधानो को प्रशासित वर्ग अपने को छलने का एक उपक्रम मान्न समझता है और प्रशासन-अधिकारियो की एक चालाकी मानता है।

प्रशासन मे जब प्रशासितो की निष्ठा नहीं रह जाती है तो एक गहरी खाई पैदा हो जाती है।

प्रशासन-अधिकारी जब निष्कारण किसी प्रशासित के साथ मूँदु और किसी प्रशासित के साथ कठोर व्यवहार करते हैं तो प्रशासितो मे भी वर्ग-जेतना उभर आती है और वे संगठित होकर विरोध करने लगते हैं। इस विरोध का अवकाश स्वयं प्रशासन ही अपनी विषम-व्यवस्था से देता है।

वैषम्य-वृद्धि का एक प्रमुख कारण भाई-भतीजावाद होता है। प्रशासन अधिकारी इस धून मे अनेक उचित-अनुचित कार्य कर बैठते हैं। प्रशासितो की उनके प्रति जो आस्था होती है वह यहा समाप्त हो जाती

३१८ जैन दर्शन के परिपालन में

है। प्रशासित-वर्ग प्रशासन-सचालको के सम्मुख भले ही कुछ न कहे पर अन्दर में बड़ी उग्र प्रतिक्रिया होती है। विप्रतारित और जागरूक प्रशासितों में फिर गुटबदिया होने लगती हैं। अवसर आने पर वे व्याज सहित उगाह लेते हैं। अनेक अधिकारी इस भाई-भतीजावाद के भवर में पढ़कर (गिरकर) समाप्त हो जाते हैं। वैसा न हो तो भी भाई-भतीजावाद का प्रशासन-सदन में प्रवेश पाना उसके विनाश का लक्षण मानना चाहिए।

प्रशासन का आधार

प्रशासन का मुख्य आधार मानव स्स्कृति होना चाहिए। स्स्कृति के अवलम्बन पर चलनेवाला प्रशासन हार्दिक होता है, निर्मम नहीं। हृदय को जीतना प्रशासन की मूल नीव होती है। जो बीज हृदय को जीत लेता है उसके पनपने और फलने में नैसर्गिक सहयोग उपलब्ध होता रहता है। प्रशासन का आशय यही होता है कि मानव के व्यापक और उदार स्स्कारी को जगाए जाए। इस उदात्त स्स्कृति के मुख्य आधार प्रेम, विश्वास, सहयोग और न्याय है। मानव स्स्कृति का यह चतुष्टम ही विशिष्ट रूप है। ऐसी स्स्कृति के बल पर ही प्रशासन चल सकता है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने कहा है—“अनुशासन स्स्कृति के आधार पर होना चाहिए। जो अनुशासन स्स्कृति के आधार पर होगा वह उदार, महान् और स्थायी होगा। उसमें मानवता का विकास होगा, मानवीय भरातल का होगा और फिर उसमें छोटे-छोटे गुट नहीं होंगे।”

धर्म की आवश्यकता

प्रवृत्ति-निवृत्ति

जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों अपेक्षित हैं। किसी एक को प्राधान्य देना न्यायसंगत नहीं लगता। हर श्वास के साथ विराम बद्धा हुआ है। प्रत्येक निष्पन्नता स्पन्नन से प्रकम्भित है। क्रिया और क्रिया-विरति के साहचर्य से ही जीवन बना रहता है तथा विकसित होता है। किसी एक के अभाव से सर्वतोमुखी प्रगति का प्रशस्त द्वार नहीं खुल सकता।

पौधे को सीचा जाता है पर साथ ही उस क्रिया को बद भी किया जाता है। पौधा सीचा न जाए तो सूख जाए और रात-दिन सीचा जाए तो गल जाए। कर्म और कर्म-निवृत्ति अत्यन्त व्यापक है। सारे ससार की अवस्थिति का माध्यम यह युगल ही है। वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आदि सभी उत्थानों के लिए विधि और निषेध के अतिरिक्त कोई तीसरा मार्ग नहीं है। हर आदमी भोजन, व्यवसाय, शयन आदि सभी क्रियाओं से निवृत्त होता है। बिना निवर्तन के प्रवर्तन हो नहीं सकता। इसी प्रकार बिना प्रवर्तन के निवर्तन का भी कोई आधार नहीं रह जाता। तथ्य यह है कि प्रवृत्ति-निवृत्ति परस्पर सापेक्ष होकर ही रहती हैं।

धर्म का उद्देश्य सक्षेप में प्रवृत्ति का शोधन और निवृत्ति की सीमा को विस्तीर्ण करना है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ती है। उसकी आवश्यकता प्रवृत्ति से पूरी होती है। परन्तु कोई भी प्रवृत्ति

१२० जैन दर्शन के परिपालन में

दोषपूर्ण और उत्प्रयुक्ति न हो यह आवश्यक है। मनुष्य बोलता है किन्तु वह असत्य, कट्टू, अप्रिय न बोले, अधिक न बोले—यह नियन्त्रण उसकी जल्पन क्रिया को विशुद्ध और संयत करता है। इस प्रकार का नियमन समस्त क्रियाओं पर अपेक्षित है।

मनुष्य के प्राकृतिक असामर्थ्य से कुछ तो स्वयं ही नियन्त्रण रह जाता है और कुछ समाज तथा राज्य के भय से रखना पड़ता है। परन्तु इस तरह के नियन्त्रण को वास्तविक नियन्त्रण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अवसर मिलते ही मनुष्य उसकी अवज्ञा करने पर उतारू हो जाता है। इसलिए नैतिक नियन्त्रण की अपेक्षा रहती है, जिसको मनुष्य अपने द्वारा ही अपने पर लागू करता है। यहाँ किसी दूसरे का दबाव नहीं होता, केवल आत्म-कृत नियमन ही होता है, जो कि बहुत स्थायी और कारगर होता है। व्यक्ति बुराई करता है, दूषित कर्म करता है। उसे कानून और भय बचा ही लेंगे—ऐसा निश्चित नहीं है। कम से कम मानसिक पतन से तो वह बच ही नहीं सकता। इस पाप से उसका आत्म-जागरण ही बचा सकता है।

धर्म का यही तकाजा है कि मनुष्य अपने आप पर अपने आप ही संयम रखे, अपने आचरण को कलूपित न होने दे और सीमा से बाहर न पसरने दे।

वर्तमान की जिन समस्याओं से विश्व व्याकुल है, उनमें से अधिकांश का उद्गम व्यावहारिक कल्यापता तथा असंयतता ही है। इसीलिए विचारकों की दृष्टि में राजनैतिक, आर्थिक आदि समस्याओं से भी बढ़कर नैतिकता की समस्या चिन्तनीय है। वे उसका समाधान खोजना अनिवार्य समझते हैं। उनका यह विचार पत्तो, फूलों और फलों को सीचने की अपेक्षा मूल को सीच देने के समान उचित और लाभदायक है।

आज जो नैतिक चरित्र की गिरावट हुई है, उसी के फलस्वरूप अनेक उलझनें पैदा हुई हैं। राष्ट्रो-राष्ट्रों में जो पारस्परिक तनाव, भय और कोश व्याप्त हैं, उसके नीचे विभिन्न देशों की अनीतिया ही कारण हैं। एक राष्ट्र

अपने विकास के लिए जब दूसरे राष्ट्र को दबाना चाहता है, उससे अनुचित लाभ उठाने की इच्छा करता है, तब सधर्ष पैदा होता है, वैमनस्य बढ़ता है और फिर भीषण सकट का वातावरण बन जाता है। अन्तत यही स्थिति युद्ध और विष्व-युद्ध की भूमिका बन जाया करती है।

सामाजिक और वैयक्तिक कठिनाइयों का मूल भी इसी असदाचार एवं असमयम् में छिपा है। समाज में जितने वर्ग हैं, उन सबके कामों में पवित्रता अपेक्षित है। किन्तु इस समय वह नजर नहीं आ रही है। ईमानदारी और सच्चाई घुलती जा रही है। व्यापारी मिलावट करता है। कम तोल-माप करता है। अधिकारी रिश्वत लेता है। कर्मचारी काम से मन चूराता है, किन्तु वेतन-बृद्धि के लिए झगड़ता है। ठेकेदार बड़े-बड़े गवन कर जाता है। उद्योगपति शोषण करता है। मजदूर अपने कर्तव्य-पालन की अपेक्षा सधर्ष का अधिक ध्यान रखता है और आये-दिन हड्डताल की घमकी देता रहता है। तात्पर्य यह कि सब अपना स्वार्थ गाठना चाहते हैं। दूसरों के हित से उन्हें कोई भतलब नहीं। वस यही भावना और विकृत-व्यवहार जीवन के पथ को कटकाकीर्ण बना देता है। वर्तमान में भावों की उदात्तता और आचरण-सौष्ठुद विशाल पैमाने पर विलुप्त हो चुका है। लोग बन्धुत्व, परोपकार और समत्व को अधिकाश में गवा देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग मौज उड़ाते हैं और विभिन्न वस्तुओं की विलासिताए बरबाद करते हैं। उसी के परिणामस्वरूप अनेक लोग भूखे मरते हैं। उन्हें न तो पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र मिल पाते हैं और न रहने के लिए स्थान। यह समाज में बहुत बड़ी विषमता है। इसी से सारा वातावरण विषाक्त बनता है। गरीबी, अशिक्षा, बेकारी और रोग—ये सब इसी वैपर्य-विष-वृक्ष की देन हैं। कुछ लोग अपनी चालाकी से दूसरों को छाते हैं और उनकी असमर्थता का दुरुपयोग करते हैं, उनका खून चूसते हैं। स्वाभाविक ही है कि इस पद्धति से अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब होता जाता है। यही कारण है कि विविध योजनाओं के चलते हुए भी राष्ट्र के सामने ये दीर्घकायिक समस्याए मुहूर वाए ज्यो-

१२२ जैन दर्शन के परिपाश्व में

की स्थो खड़ी हैं। इनका यदि कोई समाधान है तो वह है जन-मानस को बदलना, समाज में समता स्थापन करना और नीतिक घरातल को छोड़ा उठाना।

धर्म का प्रवर्तन इसी उपर्युक्त भावना को लक्ष्य में रखकर हुआ है। धर्म समत्व-भावना को व्यापक बनाना चाहता है। कर्म की अशुद्धि को मिटाना और सयम की वृद्धि करना धर्म का प्रथम व्येय है।

मानसिक संयम

मूल को पकड़ना ही अधिक वास्तविक होता है। जड़ को सीचने से समग्र चृक्ष अभियक्ष हो जाता है। अ्यक्ति-अ्यक्ति का सुधार ही विश्व-सुधार की मूल वीथिका है। अ्यक्ति की समस्त प्रवृत्तियों में मन ही मूल है। इतर सब प्रवृत्तिया उससे सचालित होती हैं। मन की तुलना पावर हाउस से की जा सकती है। उसमे जब तक विजली नहीं जाती तब तक अन्य किसी स्थान में नहीं जा सकती। वह वहां जाने के बाद ही बल्ब जला सकती है, पखा चला सकती है, रेडियो सुना सकती है, सिनेमा दिखा सकती है और बड़ी-बड़ी मशीनों को धूमा सकती है। इतना सब करते हुए भी वह अदृश्य रहती है, उसकी प्रवृत्ति के परिणाम ही देखे जा सकते हैं, उसको नहीं।

मन भी अदृश्य है। उसको कोई भी इन चक्षुओं से नहीं देख सकता। उसमे क्या सकल्प-विकल्प उठते हैं, कोई नहीं जान पाता। मन मे ऋषि की लहरें उठती रहे, दर्प की रेखाएं खिचती रहे, कितना ही लोभ का पारावार लहराता रहे, कितनी ही तूष्णा की भट्ठी जलती रहे, कितने ही विकार के फेन तैरते रहे, किसी को भी कुछ पता नहीं चलता, यदि ये भावनाएं चेहरे पर न आए—शरीर का स्पर्श न पाएं।

मनोविशेषज्ञ भाव-भगिमा, आकृति, चाल-ढाल, आवाज़, आँखें आदि के आधार पर मन को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु वह पकड़ा नहीं जा सकता। उसका स्वरूप अरूप है—अमूर्त है। उन्हें जो मानव-ग्रहण का आभास मिलता है उसका हेतु भी यह है कि मन अपनी प्रवृत्तियों को

१२४ जैन दर्शन के परिपार्श्व में

सूक्ष्माश में वाचिक तथा कायिक रूप प्रदान कर देता है।

मन आत्मा का एक अश है। वैसे आत्मा एक अखड़ द्रव्य है। उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अत अंश कहना असगत-सा प्रतीत होता है, परन्तु ज्ञानात्मक स्वभाव से एक स्वरूप विद्या का भी विवक्षा से गणित, ज्योतिष, वाणिज्य, अध्यात्म आदि विभागों में विभाजित कर लिया जाता है। इसी कल्पना से आत्मा के अश मानने में कोई वास्ता दृष्टिगोचर नहीं होती।

मन की अपार शक्ति है। वह जो सुदृढ़ सकल्प कर लेता है उसको पूर्ण करने में समग्र शक्ति लगा देता है। उसमें वही विचार धूमता रहता है। अन्त में उस कार्य को सम्पन्न करके ही मन विश्राम लेता है।

बन्धन और मुक्ति दोनों ही मन के हाथ में हैं। एक सस्कृत कवि ने कहा है—

मन एव मनुज्याणा कारण बन्ध मोक्षयो ।

बछ्यते विषयासक्त मुक्त निर्विषय मन ॥

—व्यक्ति के बन्धन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन विषयासक्त, बन्धनकारक और निर्विषय भोक्षदायक है। इसी सत्य को मुनिश्री बुद्धमल्लजी ने अपनी कविता में यो गुम्फित किया है—

“मन का ही विश्वास मनुज को तार-मार सकता है।”

निष्कर्ष यह है कि मन ही सब कुछ है। शकराचार्य ने थपने ही प्रश्न के उत्तर में कहा है—“तीर्थं पर किं ? स्वमनो विशुद्धम् ।” उत्कृष्ट तीर्थ क्या है ? अपना विशुद्ध मन। एक अन्य कवि ने कहा है, “जाके मन मे अटक है सो ही अटक रहा।” यहा कोई भी रुकावट नहीं चाहे निरन्तर आगे बढ़ो, पर जिसके मन मे रुकावट है, तो उसके लिए सभी जगह रुकावट है। सुविद्या और दुविद्या मन ही उत्पन्न कर लेता है अन्यथा तो कुछ भी नहीं। वाह्य परिस्थितिया कितनी भी भीषण सामने हो, पर मन जब तक उनको स्वीकार नहीं कर लेता तब तक वे कुछ भी नहीं कर सकती।

मन ही मित्र, अमित्र, उदार, अनुदार, उन्नत, अनुन्नत, धनिक और गरीब है। भतुर्हरि ने यही तो घटकत किया है कि, “मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान को दरिद्र”। मन सन्तुष्ट है तो कोई भी दरिद्र नहीं, यह सब तो मन की भावना के ही द्वारा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यहा सारा का सारा खेल मन का ही है। किसी मर्मज्ञ कवि ने इसी का रहस्योदयाटन किया, “मन पर निश्चित खेल सब तन तो मन का दास”। इस विवेचन का फलितार्थ यह है कि मन सर्वोपरि शक्ति है।

मन की धारा ही जीवन के समस्त क्षेत्रों को सीचती है। इसलिए इसी धारा पर नियन्त्रण पाना अधिक उपयुक्त है। इस पर सम्पूर्ण रूप से कावृपा लेना, मब पर अधिकार पा लेना है। मन को बदले बिना और उसको बश किए बिना अन्य सब परिस्थितियों को परिवर्तित कर देना और उन पर आधिपत्य जमा लेना भी कोई अर्थ नहीं रखता। वेणुभूपा और स्थान-परिवर्तन से कोई भी अर्थ सिद्ध नहीं होता। मन-परिवर्तन से ही वास्तविक अर्थ संघर्ष है। कहा जाता है कि “वनेषि दोपाः प्रभवन्ति रागिणा, निवृत्त रागस्य गृहे तपोवनम्”। रागवान् मन-मन में भी दोप पैदा कर लेता है और वीतराग के लिए घर भी तपोवन है। इसका तात्पर्य यह है कि मन की शुद्धि और अशुद्धि ही विशेष महत्त्व रखती है, वाह्य वातावरण विशेष महत्त्व नहीं रखते। इसलिए मन को जीतना ही मौलिक कर्म माना जाता है और इसी को बदलने के लिए विशेष बल दिया जाता है। कवीरजी ने कहा है—“कर- का मन का छाड़िके, मन का मनका फेर।” मन को परिवर्तित करना और मन को जीतना ही सभी विजयों का मूल है। शक्तराचार्य ने कहा है—“जित जगत् केन? मनो हि येन।” उसने सारा ससार जीत लिया जिसने अपने मन पर विजय पा ली। इस परम सत्य को भगवान् महाबीर ने यो कहा है—“सब्ब मम्ये जिए जिय (सर्वमात्मनि जिते जित)।” आत्मा को जीतने वाले ने सबको जीत लिया। इसलिए मन का सुधार और सयम सब व्यवहारों के सुधारों एवं सयमों का मूल है।

मन बहुत चचल है। इसकी गति इतनी तीव्र है कि वर्तमान के किसी

१२६ जीन दर्शन के परिपाश्व में

भी वैज्ञानिक आविष्कार की नहीं। इसकी चाल बहुत ही बफ़ तथा चपल है। किसी मनोवैज्ञानिक कवि ने कहा है—

“महा अटपटी द्वन्द्वमय भन की अद्भुत चाल,
पल-पल रग बदलती ज्यो गिरगिट की खाल ।”

इस प्रकार जो प्रतिक्षण रग बदलता रहे उसका निग्रह वस्तुत बहुत ही कठिन है। गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा है कि ‘मनस निग्रह भन्ये, वायोरिव सुदृष्टर’। भन का निग्रह वायु-निग्रह के समान दुष्कर है। मन की चपलता सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। हर छीटे-छोटे स्थान पर यह फिसल जाता है। कोई रूप आखो के आगे आते ही वह विकार जगा देता है। कोई भी गीत सुनाई पड़ता है, भन उधर ही चला जाना चाहता है। खाने-पीने की कोई चीज सामने आयी कि जीभ की लोलुपता को जाग्रत कर देता है। स्पर्श के विषय में भी इतना ही लुब्ध है। अर्थ-प्राप्ति के मामले में वह बहुत ही मुश्ख है। उसे हर कोई चीज भटका सकती है। अनुकूल परिस्थितियों में मोहावृत्त और प्रतिकूल वातावरण में द्वेषाकुल हो जाता है, किन्तु समता और सन्तुलन रखना उसके लिए प्राय कठिन-सा है।

धूणा, मात्सर्य, लालच, वासना, लोलुपता, हठवादिता, छल, कपट आदि अनेक दुर्गुणों में वह लिप्त रहता है।

औदार्य, गाम्भीर्य, समता, सयम और परोपकारिता आदि सार्वभौम सद्गुणों में बहुत ही कम रमण कर पाता है।

सयम का उपाय

मानसिक सयम की अनिवार्यता के पश्चात् उसके उपायों पर विचार अपेक्षित है। मानसिक सयम के लिए सक्षेप में दो ही उपायों का विशेष उल्लेख हो सकता है—

१ वस्तु का यथास्वरूप निरीक्षण ।

वस्तु के यथास्वरूप निरीक्षण का अर्थ यह है कि—वस्तु के मूल को परख लेना, उसके स्वरूप को जान लेना। यहाँ थोड़ी अन्तर्वृष्टि से काम लेना आवश्यक होता है। व्यक्ति उसी वस्तु के विषय में अधिक लालायित और मुग्ध रहता है जिसमें वह आकर्षण महसूस करता है। खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने की साधारण वस्तुओं से लेकर सभी वे ही वस्तुएं व्यक्ति को आनंद बनाती हैं जिनका असली रूप वह ज्ञान नहीं जाता। पैसे की नश्वरता, परिवार की अस्थिरता और भोग की असारता को वह ठीक तरह से जान जाए तो उसका सबम खड़ित नहीं होगा। पद की भावना, नाम की कामना, अमर होने की इच्छा आदि सभी चीजों मनुष्य के मस्तिष्क में तभी उत्पन्न होती हैं जब वह उनकी अन्त स्थिति नहीं पहचान पाता। मन इसीलिए गिरता है कि वह इन चीजों को अत्यधिक महत्व देता है। उनका यथार्थ निर्णय नहीं कर पाता अतः अन को समिति रखने का प्रथम मार्ग वस्तु का यथास्वरूप निरीक्षण है।

मन को वश में करने का दूसरा मार्ग क्रमिक अभ्यास है। कहा गया है कि “अभ्यासेन क्रिया सर्वा अभ्यासात् सकला कला ।” अभ्यास से सब क्रियाएं और सब कलाएं सौखी जा सकती हैं। सबम की कला भी उससे अछूती नहीं रहती। एक कार्य को बार-बार करके व्यक्ति उसे बहुत ही सुन्दर और स्थायी बनाना सीख जाता है। कुम्भकार पहले ही दिन इतना कलापूर्ण घड़ा नहीं बना लेता। वह तो उसके क्रमिक अभ्यास का ही सुपरिणाम है। मानसिक सबम भी एक ही बार में नहीं प्राप्त होता। उसके लिए भी निरन्तर वैसा प्रयास करना होता है। तभी मन को स्थिर, संयत, सतुलित और सत्य बनाया जा सकता है। मन को साध लेने का अर्थ है अपने जीवन को साध लेना और चिरन्तन सुख को पा लेना।

भावात्मक एकत्व : सूजन का प्रतीक

एकत्व सूजन का और विघटन विनाश का प्रतीक है। एकत्व का आशय है नियोजित तथा सुनियन्त्रित सम्बद्धता। शरीर, सदन, समुद्र और समाज इसी सम्बद्ध सघटना से प्रसूत हैं। इनकी यह सघटना दूट जाए तो ये सभी विखर जाएं। ऐस्य की कड़ी ही इनको बनाये रखती है। एकता एक निर्माणात्मक शक्ति है। चुभने वाले काटे भी बाड़ का रूप पाकर खेत की सुरक्षा का भार लेते हैं।

वर्तमान के स्पृतनिक युग में सभी वस्तुओं का विस्तार हुआ है। सहारक अस्त्र-शस्त्रों की प्रगति ने तो दुनिया को मृत्यु के किनारे ला पटका है। और यही कारण है कि आज समग्र विश्व चौमुखी उन्नति के उपरान्त भी भय-विहृल और सकट-सत्त्वस्त है।

वर्तमान की अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण की होड़ ने तथा भौतिक सुख-सुविधा की समृद्धि ने जहा शान्ति के पथ को आवृत्त किया है वहा उभारा भी है। आज की अतिशय विकलता ने ही मनुष्य को मैत्री भाव तथा परस्पर की सहदयता के लिए उत्प्रेरित किया है। वर्तमान तनाव की स्थितिया ही भावात्मक एकता की उत्सव बनी है।

भावात्मक एकता का मतलब है—मानसिक सबद्धता—परस्पर की हित-कामना की जागरूकता अथवा प्रत्येक की उन्नति में सहयोग की प्रखर भावना। भावात्मक एकता में धर्म, वर्ग, प्रान्त और भाषाओं के वैविध्य की समाप्ति अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट है उनमें सबद्धता स्थापित करना। दृष्टि विशेष से उनकी एकात्मकता स्वीकार करना। सधर्व अनेकता की

आ साता है। परिवार के मदम्य तो एक ही घर में रहते हैं, फिर क्या उनमें कभी तनाव नहीं आ जाता? हिन्दू और मुसलमान दोनों भारत में घरों में साथ रहते आ रहे हैं पर जब भावात्मक एकता टूटी तो कितना नर-महार हुआ और किस प्रकार मा-वहनों की इज्जत लूटी गई। कितने बीमत्स और धृणास्पद दृश्य उत्पन्न हुए। कितना भय कर रक्षतपात हुआ। भावात्मक एकता टूटते ही सारे सम्बन्ध विशृंखलित हो जाते हैं। स्मृतिनिक, रॉकेट और वायुयान आकाश में दूर उड़ते हैं, अन्तरिक्ष की परिधि का भी उल्लंघन कर जाते हैं, फिर भी धरती से उनका एक अदृश्य सम्बन्ध बना रहता है। उसी के आधार पर समस्त प्रक्रिया चलती है और पृथ्वीवासियों को नयी से नयी जानकारी उपलब्ध होती है। किन्तु वह सम्बन्ध टूट जाए तो एकदम अस्त-व्यस्तता हो जाती है। रॉकेटों और वायुयानों का क्या होता है? वे कहा गिरते हैं? कुछ भी पता नहीं चलता। यही बात भावात्मक एकता के विषय में है। उसके खंडित होने पर भी मनुष्य-मनुष्य के बीच क्या कुछ होता है—कुछ पता नहीं रहता।

भावात्मकता की आवश्यकता सदा रही है किन्तु वर्तमान दुनिया में वह अत्यन्त जरूरी है क्योंकि आज विशाल पैमाने पर अनेकता फैल चुकी है। सारा ससार शीत-युद्ध के कारण व्यग्र और आतकित है। इसीलिए सह-अस्तित्व की बात उठी है। अणु अस्त्रों की रोक की माग में और निशस्त्रीकरण के अनुरोधों में भी यही व्यापक भावना निहित है। जीवन के विकास के लिए यह सब करना अनिवार्य प्रतीत होता है।

भावात्मक एकता का मार्ग है—मनुष्य अपने को सहिष्णु और उदार बनाए। दूसरों के विचारों और दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करे। विरोधी विचारधाराओं का आशय समझकर जब तक सामजिक स्थापित करने का प्रयत्न न होगा तब तक भावात्मक एकता का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता।

भावात्मक एकता के प्रसार-हेतु बहुत बड़ी तितिक्षा अपेक्षित है। सूखे ठूंठ के समान अड़ा रहने वाला दृष्टिकोण कही भी सफल नहीं हो पाता,

सदाचार के अवरोध

सदाचार से ही समाज प्राणवान्

मैं बहुत-बहुत अन्तर्द्वन्द्व और मनो-मन्थन के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि सदाचार के बिना आदमी शान्ति नहीं पा सकता, उसके बिना सामाजिकता भी नहीं टिक सकती।

मनुष्य का जो सामाजिक रूप है, वह भी सदाचार के परिप्रेक्ष्य में ही है। सदाचार के बिना समाज पशुओं का समूह और मनुष्य हड्डियों का ढेर मात्र रह जाता है। उसमें जीवन-न्तर्क्षण नहीं रहता।

सदाचार ही वह शक्ति है जो समाज को प्राणवान् बनाये रखती है और मानवीय सम्बन्धों को सुचारू रूप से निभाती है।

सदृश्यता का प्रकाश जब मन्द पड़ जाता है तब समाज में वैमनस्य, कटूता, भ्रष्टाचार और अत्याचार पनपने लगता है, उस स्थिति में समाज की स्थिति बड़ी भयानक और बीभत्स बन जाती है। मानवीय गौरव समाप्त हो जाता है। समस्त विश्व एक अजीब अराजकता से ग्रस्त हो जाता है। इस तरह सदाचार प्राणवायु की तरह आवश्यक है।

सदाचार का अर्थ

सदाचार का अर्थ है—सम्यक् आचरण। सत्य, प्रामाणिकता, न्याय, मैत्री और सहानुभूति—इनका सामूहिक नाम ही सदाचार है। सदाचार में जिन उपर्युक्त तत्त्वों ने समावेश पाया है, वे समाज के लिए

बहुत जरूरी हैं। मनुष्य इन सबका परित्याग कर दे तो उसकी स्वय की और समाज की स्थिति बहुत विद्वृप बन जाती है तथा समाज में अतिशय अशान्ति फैल जाती है। इतना सब जानते हुए भी लगता है सदाचार के प्रति मनुष्य की जो निष्ठा और उत्सर्ग-भाव चाहिए वह हृदय में जड़ नहीं जमा पाता। इसीलिए नैतिकता नहीं पनपती।

किसी वृक्ष की जड़ें तभी जमती और फैलती हैं जब कोई रुकावट न हो और उनके उपर्युक्त क्षेत्र हो। अवरोधों के होते हुए जड़ें नहीं जम पाती।

सदाचार के पनपने में कुछ अवरोध है। उन वाधाओं के रहते हुए सदाचार नहीं फैल सकता। उन अवरोधों को मिटाना आवश्यक है, तभी सदाचार का वृक्ष पल्लवित, पुण्यित और फलित हो सकता है।

सदाचार के अवरोध

सदाचार के प्रसार में दो अवरोध हैं—आन्तरिक और बाह्य। दूसरे शब्दों में इन्हे वैयक्तिक और सामाजिक भी कहा जा सकता है।

वैयक्तिकता और सामाजिकता में गहरा सम्बन्ध है। व्यक्ति का प्रभाव समाज पर पड़ता है और समाज का व्यक्ति पर। दोनों में अत्यन्त सापेक्षता है। व्यक्ति का नियरा हुआ व्यक्तित्व समाज को प्रभावित करता है और उचित दिशा-दर्शन देता है। समाज की पवित्रता और संस्कृति व्यक्ति को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। समाज का व्यवहार यदि कल्पित और शिथिल होता है तो व्यक्ति को भी मलिन और शिथिल बनने का निमित्त बनता है। एक की प्रतिच्छाया दूसरे पर प्रतिबन्धित होती है। वैयक्तिक अवरोध सामाजिक अवरोध के कारण बनते हैं और सामाजिक अवरोध वैयक्तिक अवरोध के।

वैयक्तिक अवरोध तीन तरह के हैं और सामाजिक अवरोध दो तरह के। यो पाच अवरोध हैं जो ससार में सदृश्यता के प्रेसार में वाष्पक बनते हैं।

प्रथम अवरोध—अनास्था

व्यक्तिक अवरोधों में प्रथम है—सदाचार के प्रति अनास्था। हर कार्य की सबसे पहली रुकावट तो मनुष्य की अपनी अथद्वा ही होती है। उसका जब गहरे हृदय से किसी के प्रति आकर्षण नहीं होता और उसकी समर्थता में विश्वास नहीं होता तब वह उस कार्य को आचरण में नहीं ला पाता। किसी विषय को ध्येय रूप में अपनाने के लिए सबल अद्वा की आवश्यकता होती है। जब तक मन में निष्ठा नहीं होती तब तक अनेक बार उसकी उपयोगिता बताने पर भी मनुष्य उस दिशा में गतिशील नहीं हो पाता। उसको उस दिशा में अग्रसर बनाने के लिए उस विषय की क्षमता में उसकी प्रगाढ़ आस्था ही कार्य करती है। आज मनुष्य में सदाचरण के प्रति आस्था का अभाव है, उसे उसकी सबलता पर विश्वास नहीं। उसका मन शकाकुल रहता है। इसलिए वह उसे अपने आचरण में नहीं उतार पाता।

आज मनुष्य को धारणा बन गई है कि वर्तमान के विषम समय में अहिंसा, सत्य और नैतिकता—एक शब्द में सदाचार—कारगर नहीं हो सकता। सदाचार का पुजारी आज पिछड़ जाता है। वह आज की दुनिया के साथ ताल-मेल नहीं बिठा पाता। अर्थ में पिछड़ा व्यक्ति सभी क्षेत्रों में पिछड़ जाता है। न उसे सामाजिक सम्मान मिलता है और न भौतिक सुख-सुविधाएँ होती हैं। परिणाम यह होता है कि वह अपनी असम्पन्न अवस्था में खिल्न और व्यग्र रहता है। अन्तत अर्थार्जिन के लिए सभी कुछ प्रारम्भ कर देता है। उक्त प्रकार की मान्यता ने चरित्र के प्रसार में सबसे सबल और विस्तृत स्तर पर रुकावट पैदा की है। चरित्र-प्रसार के लिए सचरित्र के प्रति सुदृढ़ आस्था को जागृत करना होगा और इस अद्वा को जड़-मूल से उखाड़ना होगा।

सवेदन का अभाव

दूसरा वैयक्तिक अवरोध है—सवेदन का अभाव। वर्तमान का मनुष्य बहुत स्वनिष्ठ हो गया है। वह अपने विषय में ही चिन्तनशील रहता है, अपनी परिधि के पार उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अपने को सुखी और समृद्ध बनाने में वह अपनी दुष्टि और शक्ति को लगाये रहता है। आस-पास में कितनी पीड़ा और कितना अभाव है, लोग दुख में किस प्रकार विलविला रहे हैं, भूखे बच्चे किस तरह विलख रहे हैं, यह उसे विलकुल भी नहीं सूझता। वह तो अपने को ही सुरक्षित रखना चाहता है और अपना ही खजाना भरना चाहता है। इस सम्राह में दूसरों का कितना शोषण हो जाता है और कितने लोगों का खून चूस लिया जाता है इसकी सवेदना वर्तमान के मनुष्य में नहीं रही। यदि उसका हृदय थोड़ा भी मुलायम हो और दूसरों की व्यथा, व्याकुलता और विवशता को पहचानने का सवेदन हो तो वह शोषणपरक तथा अनैतिक कार्य नहीं कर सकता और सदाचार से च्युत नहीं हो सकता। जब दूसरों के साथ आत्मीय भाव और ऐक्य की अनुभूति की जाती है तब दूसरों को दबाया और धमकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसे परायी पीड़ा भी स्व-पीड़ा के समान ही लगती है। वह स्वयं जिस व्यवहार को नहीं चाहता, उससे दूसरों को भी बचाने का प्रयत्न करेगा। मनुष्य को जब एकता की अनुभूति होने लगती है, तब बड़े-बड़े संघर्षों की शव्याद्वा निकल जाती है और महान् अभावों की पूर्ति हो जाती है। आदमी की ऐक्य भावना जितनी प्रबल और विस्तीर्ण होती है, ससार में उतना ही सुख-समृद्धि का विस्तार होता है।

मनुष्य को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह सहानुभूति के बिना आनन्द का जीवन नहीं जी सकता। उसके पास-पड़ोस का द्वातावरण धूमिलं तथा उष्ण है तो वह कभी शान्ति नहीं पा सकता। निकट की गर्मी उसे अवश्य सतायेगी।

१३६ जैन दर्शन के परिपार्श्व में

मनुष्य पत्थर के समान जडात्मा नहीं है कि उस पर किसी चीज़ का असर न हो, वह एक चैतन्यमय प्राणी है, उसमें स्पन्दनशीलता है। निष्ठुरता और कोमलता को पहचानने की शक्ति है, वह इस्पात के हृदय चाला कैसे हो सकता है। उम्में जो मार्दव भाव है वह कहा विलुप्त हो ?

मनुष्य का सवेदन कभी कुण्ठित नहीं होना चाहिए और अपनी सीमा को लाघकर देखने की क्षमता होनी चाहिए। मनुष्य में सवेदन का भाव जितना गहरा होगा उतना अनैतिक तथा अत्याचार का कार्य रुकेगा तथा सदाचार का प्रसार होगा।

परिग्रह वृत्ति

तीसरा वैयक्तिक अवरोध है—परिग्रह वृत्ति। मनुष्य में आज सग्रह की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। कितना भी मिल जाए उसका मन सतुष्ट नहीं होता। आशाएं आगे से आगे अपने पख फैलाती चली जाती हैं। आशा एक ऐसा भाव है, जिसका कोई उपचार नहीं और कोई पार नहीं। ज्यो-ज्यो मनुष्य को प्राप्त होता है त्यो-त्यो नयी कल्पना अगड़ाई लेने लगती है। अर्थार्जित का चक्का इसने बेग से धूम रहा है, इसमें कुछ भी नहीं बच पाता, सब कुछ कट जाता है।

मनुष्य की आशाएं बहुत प्रलम्ब हैं। उसका जीवन समाप्त हो जाता है पर सग्रह-आशा पूर्ण नहीं होती। सग्रह की इस अंधी भावना ने ससार में वही उथल-पुथल मचा रखी है। जितने मन-मुटाव, उत्पात, आक्रमण और युद्ध होते हैं—सभी की जननी यह सग्रह वृत्ति है। मनुष्य पर सग्रह वृत्ति का ऐसा नशा चढ़ा है कि उसमें कोई विवेचना-शक्ति नहीं रही। नैतिक-अनैतिक का कोई भेद नहीं रहा। कैसे ही आए, कैसा ही जाए, कितना ही आए, समुद्र की तरह उदरस्थ कर लेना ही मनुष्य का कार्य रह गया है। आज मनुष्य के पास धन तो बढ़ा है पर उसकी मानवता चौपट हो गई है। उसकी सुख-शांति भस्म हो गई है। बड़े से बड़ा

— और आशान्त रहता है।

झूठ, कपट, लूट-खोट, भ्रष्टाचार और रिष्वत आदि सभी दुर्गुण उसी परिग्रह भावना की सत्तानें हैं। पैसे के लिए मनुष्य हर प्रकार का अन्याय और अनर्थ करने के लिए तैयार रहता है। न वह प्रान्त देखता है और न देश। घन के लिए वह सबको धोखा दे सकता है। यही कारण है कि आज का मनुष्य टूटा-टूटा और सहमा-सहमा रहता है क्योंकि अनैतिकता करके वह निर्दन्द्व और निर्भय नहीं रह सकता। चरित्र की गिरावट सबसे अधिक यही वृत्ति कराती है। यह तो छलनी के समान है जिसमें छेद ही छेद है। सदाचार के विकास में यह बहुत बड़ा विघ्न है। मनुष्य अपनी सगह वृत्ति पर अकुश लगाए तभी वह नैतिकता के प्रसार में योग दे सकता है।

सामाजिक अवरोध—कथन और क्रिया की विसंगति

सामाजिक अवरोधों में प्रथम है—कथन और क्रिया की विसंगति। सदाचार के कोमल अंकुर पर सबसे सबल चोट कथन-क्रिया की विपरिता ही है। मनुष्य के मन में बार-बार के चिन्तन-मनन से जो आदर्शोंन्मुख भाव उत्पन्न होता है, कथनी-करनी के बेमेल का उत्ताप लगते ही भस्म हो जाता है।

आदमी बड़ी उलझन में पड़ जाता है कि जिस सत्य को बहुत छान-कर उपलब्ध किया, गहरे मन्थन से जिसे जागृत कर हृदय-मदिर में गाढ़ श्रद्धा से विठाया, वह विहग एक ही क्षण में उड़ गया। अकसर उक्त प्रकार की घटना से उसे बहुत क्लेश होता है। बड़े-बड़े लोगों को भी जब वह अपने सिद्धान्तों को निगलते देखता है, उज्ज्वल वक्तव्यों पर कालिख पोतते देखता है और आदर्शों को मिट्टी में मिलते देखता है तो उसके अन्त करण में बड़ी कसमसाहट होती है। और इस विषम बेला में उसका अजित सारा आलोक तिमिर में परिणत हो जाता है। पता नहीं उस समय क्यों स्वर्ण से विश्वास उठ जाता है, लोहा ही सत्य दीखने लगता है। उस अन्तर् पीड़ा की क्या व्याख्या की जाए कि जब व्यक्ति सम्यक्त्व से

१३८ जैन दर्शन के परिपालन में

मिथ्यात्व की ओर ढकेला जाता है।

मन में सनसनी करता हुआ विचार कींधता है, जब विज्ञ, परमार्थी और धर्म-प्राण कहे जाने वाले व्यक्ति भी अपने अह की रक्षा के लिए सत्य की यो हत्या करते हैं और बड़ी प्रसन्नता से लोगों की आखो में धूल झोकते हैं तो क्या सत्य का अस्तित्व है? और श्रद्धा कपूर की तरह उड़ने लगती है कि स्वार्थ-साधन से अलग क्या कोई सदाचार है?

वस्तुत भनुष्यों को भटकाने में सिद्धान्त किया की विसर्गति बहुत बड़ा कारण बनती है। महापुरुष का लक्षण मन, वचन और तन की एकता ही भाना गया है। वहा जब उसे दैव दिखता है तो उसकी सदाचार की भावना को बहुत बड़ा घटका लगता है, उसकी सदाचार से श्रद्धा हिल उठती है और यह भाव सदाचार के पनपने में सामूहिक रूप से अवरोध पैदा करता है।

अनैतिक व्यक्ति का सम्मान

दूसरा सामाजिक अवरोध है—अनैतिक व्यक्ति का सम्मान। जो व्यक्ति अनुचित तरीको से इव्याजें करता है, जनता और सरकार को धोखा देता है, बड़े-बड़े हिसाकाण्ड करा देता है, उस व्यक्ति को जब सब और से सम्मान मिलता है, सब उसे हर कार्य-आयोजन में सभापति बनाने को आतुर रहते हैं तब भी भनुष्य के सम्मुख अघोरा छा जाता है। जिसे लोग सरकार का चोर, जनता का शोषक और उत्पीड़क मानते हैं उसे ही जब उच्च पद पर आसीन किया जाता है तो भनुष्य को मतिझ्रम हो जाता है। वह सोचने लगता है—नैतिकरण और चरित्र कुछ नहीं, पैसा ही शक्ति-सम्पन्न है। भले-बुरे का सबाल व्यर्थ है, आदमी की गठरी पूरी हो तो सब कुछ ठीक है, सब सुविधाएं हैं, ठाट-बाट है। सब लोग उसकी मुट्ठी में हैं। सब और उसका सम्मान है। मौलिक चीज़ धन ही है, चरित्र नहीं।

भनुष्य की जब उक्त प्रकार की धारणा बन जाती है तब परिणाम

बहुत भयानक होता है। इस भावना से मनुष्य धन के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, जो सब दुर्गुणों और पापों की खान होता है। अतः आवश्यकता है समाज में त्यागियों और नैतिकों की प्रतिष्ठा हो, सग्रहशोलोकी नहीं।

समाज में प्रामाणिक और स्वच्छ-सदाचारमय जीवन जीने वालों को जितना सम्मान दिया जायेगा, उतना ही समाज में सदाचार के लिए आकर्षण बढ़ेगा और नैतिक जीवन जीने का बातावरण बढ़ेगा।

मुक्ति के लिए संकल्प-बल

मनुष्य के समस्त दुःखों की जड़ बन्धन है। बन्द पड़ा पानी सड़ उठता है। बन्द पड़ी मशीन बेकार हो जाती है। बन्द पड़ा भव्य भवन दूषित वायु का शिकार हो जाता है। बद्ध मानस जड़ तथा निर्वायं बन जाता है।

बन्धन की उत्पत्ति बाहर से नहीं, अन्दर से होती है। जो अन्दर से मुक्त है उस पर कोई वाह्य बन्धन नहीं ठहर सकता। व्यक्ति स्वयं अपने को न बाधे तो किसी मे कोई शक्ति नहीं जो उसे बाध सके।

मनुष्य स्वयं ही ममता, अज्ञान या भयबहा अपने को बाध लेता है और अनेक कष्टों को सहन करता है। वह स्वयं यदि अपनी आत्मा को न गिराए तथा निर्बंलता न लाये तो उसको दुःखी तथा व्यथित कोई नहीं बना सकता।

जो स्वयं अपने को अज्ञ, अणोग्रह और कमजोर समझता है उसी को दूसरे दबाते हैं और अनुचित लाभ उठाते हैं। आग जब तक चण्ड होती है तब तक उसे कोई भी पैरों से रोंदने की नहीं सोचता, परन्तु जब वह अपने स्वरूप से गिरकर ठड़ी हो जाती है तो छोटा-सा बच्चा भी उसे पैरों से रोंद ढालता है और मुट्ठी भर-भरकर उड़ा देता है।

मनुष्य की इससे बड़ी भूल कोई नहीं है कि वह अपने स्वत्व को किसी के चरणों मे समर्पित कर देता है। वह हर जगह इतना अधिक बंध जाता है कि अन्याय और अत्याचार को सहता हुआ भी उससे अपने को अलग नहीं कर पाता। मात्र जिसे ढकोसला मानता है उससे भी वह इतना घनिष्ठ अनुबन्ध निभाता है कि वहाँ से छुटकारा नहीं होता।

• वस्तुतः यह बन्धन और जकड़न उसके स्वयं की सम्मादित होती है। वह अपने को फसा हुआ और परिस्थितियों से घिरा हुआ मान लेता है। मुक्ति चाहते हुए भी उसको निवन्धन का मार्ग नहीं दिखता।

पर असल में वात यह है कि वह अन्तरग से मुक्ति चाहता ही नहीं है, अन्यथा उस पर न कोई धेरा है, न कोई बन्धन। यदि वह अन्तरग से स्वतन्त्र होना चाहे तो हर बन्धन को तोड़ सकता है। पराधीनता की शूखला से मुक्त हो सकता है। बन्धन तो उस पर कोई ही नहीं। सब कल्पना है, दिमागी अनुबन्ध है, मानसिक कलीवता और दासता है।

मनुष्य यदि स्वयं मुक्ति के लिए तुल जाए और समग्र अनुबन्ध तोड़-कर जी-जान से स्वतन्त्रता के लिए जुट जाए तो उसे कोई वाधे नहीं रख सकता। मुक्ति जब मनुष्य का लक्ष्य बनती है तब सभी कुछ उसे देकार और निरर्थक लगने लगते हैं। सम्बन्ध मात्र उसे बन्धन जान पड़ता है। मेरेपन का भोह और झूठे ममत्व का व्यामोह समाप्त हो जाता है।

यथार्थ में उसका यहा कुछ भी नहीं है, सब कल्पित और माना हुआ है। व्यर्थ ही यह ममत्व का बोझ उठाये फिरता है। जिनके साथ वह अपना अदूट सम्बन्ध और अविच्छिन्न अनुबन्ध मानता है वे तो उससे प्रतिक्षण टूटते और छूटते चले जा रहे हैं। साथ रहने हुए भी उसकी आत्म-शान्ति और व्यक्तित्व को चूसने के सिवाय कुछ नहीं करते। जलोक चिपकी रहती है पर वह रक्त चूसने के सिवाय करती क्या है?

मुक्ति-अभिलापी और पूर्णता-कामी को निर्भयतापूर्वक सभी बन्धनों को तोड़ना चाहिए। उसे न किसी जाति का भोह होना चाहिए, न किसी सध का, न किसी संस्था का। मुक्त मानस के लिए जातिया समान हैं, सब संस्थाएं सहारा हैं, सब देश समान हैं और भाषाएं तुल्य हैं। किसी एक के साथ अविवेकपूर्वक अपने को धाधना सकीं और सक्लिष्ट बनना है। वैमतलव अपने विकास को अवश्य और आत्मा को वद्ध करना है।

शान्ति-प्रेमी मनुष्य को यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि उद्धार और कल्याण कोई जाति नहीं करेगी और न कोई दिव्य या भव्य लगने

बाली स्थिति । राष्ट्र-एकत्व भी उसे द्वन्द्व-मुक्ति न कर सकेगा, न किसी दल या संगठन की अधीश्वरता । ये सब तो उसे बाधेंगे और प्रतिक्षण चिन्तित, विवश और व्यथा-व्याकुल बनायेंगे ।

सम्बन्ध के साथ सदा विकलता और विह्वलता ही रहती है । जैसे आग के साथ उत्ताप और दाहकता, मंदिरा के माथ अविवेक और निर्घनता । कुन्तिम सम्बन्धों में मुग्ध और आसक्त रहने वाला कभी निर्वन्द्व नहीं बन सकता और उसे शान्त अवस्था उपलब्ध नहीं हो सकती । शान्ति सम्बन्धों की समाप्ति चाहती है अथवा विश्व मात्र के साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है । जो समस्त विश्व के प्रति अपर्णशील होता है, वह कभी किसी के साथ छल नहीं कर सकता । किसी को अपना और किसी को पराया नहीं मानता, प्राणिमात्र के साथ उसका समान व्यवहार होता है ।

कठोर-से-कठोर वाह्य बन्धन को तो मनुष्य शीघ्रतापूर्वक तोड़ सकता है, पर अन्तर् आत्मा के जो बन्धन होते हैं उनको समाप्त करना कठिन होता है । बार-बार कट्टु परिणाम भोगते हुए भी उनको तोड़ नहीं पाता । उनके तोड़ने के चिन्तन मात्र से ही दिल में एक सिहरन होती है । मनुष्य विकृतियों से जितना आकुल-व्याकुल रहता है और अन्तर्-पीड़ा सहता है, उतनी बाहर की परिस्थिति से नहीं । अन्तर् का बन्धन उसकी आत्म-शक्ति को क्षीण कर देता है । उसमें अपने को बन्धन-मुक्त करने का बल-पराक्रम नहीं रह जाता । लकड़ी में भी छेद कर देने वाला भ्रमर को मल कमल की पखुड़ियों को नहीं भेद पाता । वहां वह रागावद्ध अपने जीवन का उत्सर्ग कर देता है । बड़े-बड़े राज्यों को थर्दा देने वाला और कपा देने वाला मनुष्य विपयावद्ध होकर अपने को परमदीन बना लेता है ।

वस्तुत आन्तरिक बन्धनों के चक्रव्यूह को छिन्न-भिन्न करना ही मनुष्य की महत्ता है । अन्दर के बन्धनों की दासता से मुक्त हो जाए तो बाहर का कोई बन्धन उसे बाधे नहीं रख सकता । बीज जब अन्दर की कुण्ठा को तोड़कर अकुरित हो जाता है तो जमीन उसे दबाये नहीं रख सकती । पुष्प जब अपनी पखुड़ियों को विकस्वर करता है तो उसके विकास में

कोई वाधक नहीं बन सकता। विजली पर शत-शत बादलों का घेरा रहता है पर वह तो सबको विदीर्ण कर चमक ही उठती है।

मनुष्य के सकल्प में अपरिमित शक्ति होती है। वह जब सकल्प-बल को सजोकर किसी अनुष्ठान के लिए प्रस्तुत होता है, तो कुछ भी असम्भव नहीं रह जाता। मनुष्य जब सुदृढ़ निर्णय करके बन्धन तोड़ना चाहे तो वह प्रत्येक बन्धन तोड़ सकता है, इसमें कोई सशय नहीं।

विचारों की पटरी : कार्य की रेल

गिर वा आधार रेग्रेसों का मंथान है। रेग्रेस जिनकी मुन्द्र और व्यवस्था होती है, चित्र भी उनका ही मनोरन और गुप्तित होता है। रेग्रेस एवं विचारों का रेशी-मेटी होता तो निव्र भी बना ही भद्रा और देह-भेदा होगा।

सत्यम् यह है कि चित्र पर सारी गुणस्ता रेग्रेसों की बनावट पर आधारित है। ये ए ही पार्यं प्राक्ष की अच्छाई और युराई विनारं पर निर्भर है। समार में जितने भी कार्यं होते हैं वे नव विनारों के बल पर ही होते हैं। जब तक चिन्नन में कोई कार्यं नमा न जाए तब तक वह पूरा नहीं हो सकता। विचार ही उसकी भूमिका बनाते हैं और उसको मूर्त्यना प्रदान करते हैं। इनीलिए समस्त कार्यों एवं योजनाओं का जनक विचार ही है। विचार-स्पष्ट जिस हप में उनका शुल्क होता है, आचरण अपने आप उसी स्प में प्रारम्भ हो जाता है। इसीलिए विचारों की उत्तमता का योग्य महत्व है।

भारत के सत्यवश शृंगियों ने यह कहा कि 'गतिमंत्यनुसारिणी'—मनुष्य की गति यैसी ही होगी जैसी कि उसकी मति होगी। जीवन के सारे क्रियाकलाप विचारों के अनुसार ही होंगे, यह अनुभवों का निघोड़ है और जीवन-दर्शन का प्रतिविम्ब है। जब तक विचारों की पटरी विद्या नहीं दी जाती तब तक कार्यं की रेल आगे नहीं बढ़ सकती। विचार-सत्यता और चिन्तन-शुद्धि को अत्यधिक गोरव प्राप्त है। सत्य, शुद्ध, सुशुष्ठुलित और सुसन्तुतित विचारों का निर्माण करना एक बहुत बड़ा रखनात्मक कार्य

है। विचारों में जब तक औदार्य और विशाल भावना का उदय नहीं होगा तब तक कोई महान कार्य नहीं हो सकता। विचार ठीक होंगे तभी सारे सम्पादन सही और सार्थक होंगे।

साहित्य-निर्माण विचार-निर्माण का एक अत्यन्त इष्ट और महत्वपूर्ण पक्ष है। साहित्यिक इष्ट से जब तक नैतिकता के विषय में विचार यथातथ्य नहीं हो जाएगे तब तक किसी प्रकार की कोई सफलता पाने का दावा निर्मूल ही रहेगा। जब तक मान्यताओं और मूल्याकनों में इष्ट-विपर्यय और मति-विभ्रमता रहती है, तब तक कोई सही कार्य की वाद्या नितान्त गलत है। इसीलिए विचारकों का अभिमत है कि मनुष्य की धारणा सही, सत्य और शुद्ध बने। जो वस्तु तत्त्वत जितने मूल्य की है उससे अधिक आदर उसे न मिले। वर्तमान युग में इष्ट-विपर्यास बड़ी मात्रा में फैला हुआ है और लोग बड़ी भ्रान्ति में हैं।

ससार में दार्शनिक इष्ट से प्रभुखता दो तत्त्व हैं—भोक्ता और भोग्य। सूक्ष्म-इष्ट से देखें और सक्षे पीकरण से काम लें तो ससार में इनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भोक्ता का मतलब आत्मा से है और भोग्य का जड़ पदार्थों से।

भोक्ता सदा सुरक्षित रहना चाहिए। उसका पतन किसी भी अवस्था में इष्ट और उचित नहीं। आत्मा का हनन करके जो भी काम किया जाता है वह उत्थान नहीं, पतन है। उदार नहीं, निमज्जन है। यह तभी होता है जब व्यक्ति आत्मा और जीवन से भी अधिक महत्व किसी और चीज़ को देता है। मानवता और नैतिकता का सही मूल्याकन मनुष्य नहीं कर पाता, तभी वह इन्हे अपने हाथों से गिराता है। कोई भी मूल्यवान चीज अपने हाथों से गिराई नहीं जाती। जिसे लोग मूल्यवान समझते हैं, उसे अनेक सकट सहकर भी थामे रखना चाहते हैं। आज लोग पैसे के बदले अपना ईमान और धर्म बेच देते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि वे धर्म और ईमान का क्या मूल्य होता है, इसे पहचान नहीं पाते। यही आज की धारणा का सबल दोप है। सही इष्टिकोण से कभी गलत काम नहीं हो सकते।

१४६ जैन दर्शन के परिपार्श्व में

जितना भी अनर्थ या अनिष्ट होता है वह सब अज्ञानजन्य और मात्र विभ्रम के कारण ही होता है। इस निविड़ अन्धकार और इस दुर्लभ विपर्यय को मिटाना होगा और सही समझ पकड़नी होगी, क्योंकि समझ की नाव ही पार लगा सकेगी।

आज अर्थ को महत्व दिया जाता है। अर्थ के प्रति जब तक मनुष्य शुकाव और आकर्षण रहेगा तब तक वह नीतिकता और सत्य को न अपना सकता।

